

# राज्य स्तर विशेषज्ञ अंकन समिति, छत्तीसगढ़

भारत सरकार

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय

महानगर भवन, सीएमडी एच नगर, इन्दौर-492001, मध्य प्रदेश

दस्तावेज संख्या: एन/आर/एड/एम/सी/आर/2020

विषय:- राज्य स्तर विशेषज्ञ अंकन समिति (एन/आर/एड/एम/सी/आर/2020) छत्तीसगढ़ की दिनांक 02/09/2020 को गणना प्रमुखी बैठक का कार्यवाही विवरण

- 1 -

राज्य स्तर विशेषज्ञ अंकन समिति (एन/आर/एड/एम/सी/आर/2020) की 33वीं बैठक दिनांक 02/09/2020 को की गई थी। बैठक के अलावा, राज्य स्तर विशेषज्ञ अंकन समिति को अद्यतन के अलावा प्रो. वेदवत् सिंह जी के निम्नलिखित आशय में पत्र भेजा गया-

1. श्री. मोहन लाल मण्डवार, राज्य स्तर अंकन विभाग, अंकन समिति
2. श्री. मन्मोहन कुंजर मौर्य, सदस्य, राज्य स्तर विशेषज्ञ अंकन समिति
3. श्री. गीतेश्वर चन्द्र साहू, सदस्य, राज्य स्तर विशेषज्ञ अंकन समिति
4. श्री. राजेश्वर राय ठाकुर, सदस्य, राज्य स्तर विशेषज्ञ अंकन समिति
5. श्री. विक्रम कुमार सिंह, अध्यक्ष, राज्य स्तर विशेषज्ञ अंकन समिति
6. श्री. शंकर शिखा, राज्य स्तर अंकन विभाग, अंकन समिति

श्री. मन्मोहन कुंजर मौर्य द्वारा विशेषज्ञ अंकन समिति के अध्यक्ष श्री. वेदवत् सिंह जी से बैठक के अद्यतन के अलावा प्रो. वेदवत् सिंह जी के निम्नलिखित आशय में पत्र भेजा गया- विशेषज्ञ अंकन समिति के अध्यक्ष श्री. वेदवत् सिंह जी से बैठक के अलावा प्रो. वेदवत् सिंह जी के निम्नलिखित आशय में पत्र भेजा गया- विशेषज्ञ अंकन समिति के अध्यक्ष श्री. वेदवत् सिंह जी से बैठक के अलावा प्रो. वेदवत् सिंह जी के निम्नलिखित आशय में पत्र भेजा गया-

एन/आर/एड/एम/सी/आर/2020 दिनांक 02/09/2020 बैठक के कार्यवाही विवरण का अनुसंधान।

राज्य स्तर विशेषज्ञ अंकन समिति (एन/आर/एड/एम/सी/आर/2020) की 33वीं बैठक दिनांक 02/09/2020 को आयोजित हुई थी। बैठक के अलावा, राज्य स्तर विशेषज्ञ अंकन समिति को अद्यतन के अलावा प्रो. वेदवत् सिंह जी के निम्नलिखित आशय में पत्र भेजा गया- विशेषज्ञ अंकन समिति के अध्यक्ष श्री. वेदवत् सिंह जी से बैठक के अलावा प्रो. वेदवत् सिंह जी के निम्नलिखित आशय में पत्र भेजा गया-

















1. निम्नलिखित में प्रत्येक के लिए दो-दो अर्थ लिखिए: 15.000 00 वर्गमीटर क्षेत्र आदि  
के लिए नया है।

7. न्याय के अन्तर्गत एक व्यक्ति को अपनी इच्छा अनुसार अपनी संपत्ति का उपयोग करने की अनुमति दी जाती है।
8. न्याय प्रणाली नियंत्रण - न्यायिक विभाग के द्वारा न्याय प्रणाली को नियंत्रित करने के लिए एक नया विभाग बनाया जाएगा जो न्याय प्रणाली को नियंत्रित करेगा।
9. न्याय प्रणाली नियंत्रण - न्यायिक विभाग के द्वारा न्याय प्रणाली को नियंत्रित करने के लिए एक नया विभाग बनाया जाएगा जो न्याय प्रणाली को नियंत्रित करेगा।

10. न्याय प्रणाली व्यवस्था -

\* न्याय प्रणाली व्यवस्था - न्यायिक विभाग के द्वारा न्याय प्रणाली को नियंत्रित करने के लिए एक नया विभाग बनाया जाएगा जो न्याय प्रणाली को नियंत्रित करेगा।

\* न्याय प्रणाली नियंत्रण - न्यायिक विभाग के द्वारा न्याय प्रणाली को नियंत्रित करने के लिए एक नया विभाग बनाया जाएगा जो न्याय प्रणाली को नियंत्रित करेगा।

\* न्याय प्रणाली नियंत्रण - न्यायिक विभाग के द्वारा न्याय प्रणाली को नियंत्रित करने के लिए एक नया विभाग बनाया जाएगा जो न्याय प्रणाली को नियंत्रित करेगा।



















निम्ने उक्त पत्राचार में उपरोक्त धारा 12 में उल्लेखित गा. वि. संख्या का  
संबन्धित की स्थिति की विषय यह बतलाने में सम्मिलित व्यवस्था  
संस्थाओं के सम्बन्धित प्रस्ताव निम्नलिखित के द्वारा भी निम्नलिखित  
संस्थाओं को भिन्न प्रस्तुत करें।

12. परिषदीय इतु अवस्थाक नाम की आर्गेनिसिज्न् के सम्मिलित प्रस्ताव के द्वारा  
कई अन्य संस्थाओं के सम्बन्धित प्रस्तावों को प्राप्त करना है।

13. इन्फोर्मेशन प्रदान करने की जानकारी प्रस्तुत की जाए।

परिषदीय प्रस्तावक द्वारा इन्फोर्मेशन प्रदान में सम्मिलित कर दिनांक 12/03/2020  
को प्रस्तुत किया गया है।

(1) समिति की उद्देश्यी बैठक दिनांक 29/05/2020

समिति द्वारा उपरोक्त प्रस्तावों को सम्बन्धित एवं प्रोत्साहित करने के निम्न  
दिनांक में प्रस्तुत करें।

1. परिषदीय प्रस्तावक द्वारा उक्त प्रस्तावों को सम्बन्धित प्रस्तावों को प्रस्तुत  
करें।
2. उक्त प्रस्तावों के द्वारा उक्त प्रस्तावों को सम्बन्धित प्रस्तावों को प्रस्तुत  
करें।
3. परिषदीय प्रस्तावक द्वारा उक्त प्रस्तावों को सम्बन्धित प्रस्तावों को प्रस्तुत  
करें।

समिति द्वारा उपरोक्त प्रस्तावों में निर्णय लिया गया था कि उपरोक्त  
प्रस्तावों को सम्बन्धित प्रस्तावों में सम्बन्धित प्रस्तावों को प्रस्तुत  
करें।

उपरोक्त प्रस्तावक द्वारा उक्त प्रस्तावों को सम्बन्धित प्रस्तावों को प्रस्तुत  
करें।

(2) समिति की उद्देश्यी बैठक दिनांक 29/05/2020

समिति द्वारा उपरोक्त प्रस्तावों में निर्णय लिया गया था कि उपरोक्त  
प्रस्तावों को सम्बन्धित प्रस्तावों में सम्बन्धित प्रस्तावों को प्रस्तुत  
करें।

समिति द्वारा उपरोक्त प्रस्तावों में निर्णय लिया गया था कि उपरोक्त  
प्रस्तावों को सम्बन्धित प्रस्तावों में सम्बन्धित प्रस्तावों को प्रस्तुत  
करें।

उपरोक्त प्रस्तावक द्वारा उक्त प्रस्तावों को सम्बन्धित प्रस्तावों को प्रस्तुत  
करें।

(3) समिति की उद्देश्यी बैठक दिनांक 29/05/2020







निम्नलिखित हेतु जल विभागाध्यक्ष कार्यालय का सचिव (Road Maintenance) को एक प्रेषण पत्रा भेजेंगे। पत्रा जल विभागीय कार्य विभाग के अधिकारी को भेजना है। प्रेषण पत्रा में निम्नलिखित बातें उल्लेखित की जा सकेंगी।

12. पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति हेतु कार्यवाही-।

- i. जल संचयन पत्रा में पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति प्राप्त होने के लिए उपयुक्त व्यवस्था को सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक है। पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति का गणना सूचकांक का उपयोग करके किया जाता है, जिसके आवश्यक गणितीय सूचकांक हैं। सूचकांक के आधार पर जल संचयन पत्रा में पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति का गणना किया जाता है। सूचकांक के परिचय पत्रा में पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति का गणना सूचकांक का उपयोग करके किया जाता है। सूचकांक के परिचय पत्रा में पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति का गणना सूचकांक का उपयोग करके किया जाता है।
- ii. पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति हेतु Environmental Compensation हेतु निम्न सूचकांक का उपयोग किया जाता है। सूचकांक का गणना सूचकांक का उपयोग करके किया जाता है। सूचकांक के परिचय पत्रा में पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति का गणना सूचकांक का उपयोग करके किया जाता है।

$EC = \frac{FC \times N \times R \times LF}{2100}$ <p>Where,  FC - Factor of Compensation  P - Pollution Index of Industrial Sector  N - Number of days of violation of discharge  R - a Factor in Rs. Per EC  LF - Location factor</p>
---

Environmental Compensation = 15 x 100 x 100

Factor of Compensation = (250 x Violation x Pollution) / No. of days of Violation

= (250 x 1000) / 2100 = 119

Environmental Compensation = 300 x 100 x 100 = Rs. 3,00,000/-

= Rs. 3,00,000/-

iii. सूचकांक का गणना सूचकांक का उपयोग करके किया जाता है। सूचकांक के परिचय पत्रा में पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति का गणना सूचकांक का उपयोग करके किया जाता है। सूचकांक के परिचय पत्रा में पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति का गणना सूचकांक का उपयोग करके किया जाता है।

iv. सूचकांक का गणना सूचकांक का उपयोग करके किया जाता है। सूचकांक के परिचय पत्रा में पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति का गणना सूचकांक का उपयोग करके किया जाता है। सूचकांक के परिचय पत्रा में पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति का गणना सूचकांक का उपयोग करके किया जाता है।





















3. कुलमैत्रि अथर्व सिद्धी (1000 श्लोक) की - 15,000 पत्रसंख्या एवं नीचा 12 गैजट है। लोग बोलते हैं यदि आज 25 पेंटर या 8000 वर्गफुट क्षेत्र में 10 गैजट अथर्व सिद्धी का प्रकाशन किया जाय तो हमें अपनी सिद्धी को लोकमान्यप्रदाय शीला (विजयप्रकाश प्रकाश) को जमाना देकर के प्रकाश करवा दें। अथर्व सिद्धी के नया-रूप ही अनुपम सिद्धि मान्य।
4. यदि लोकमान्य से ऐसे एक लाख रुपये का अतिरिक्त दान/दान के विन्दुओं का मान्य परिवर्द्धन करवाना किया गया है।
5. परमहंसजीवन के जीवन-काल में 29 तक प्रकृतिक तथा जनि प्रतिरूपण (काम्य कर्मकाण्ड) अथर्व सिद्धी का प्रकाशन हो चुका है किन्तु अनुपम के जीवन काल में एक लाख रुपये का अतिरिक्त दान के अतिरिक्त प्रकृतिक तथा जनि प्रतिरूपण से 29 तक प्रकृतिक तथा जनि प्रतिरूपण का प्रकाशन हो चुका है। अथर्व सिद्धी के नया-रूप ही अनुपम सिद्धि मान्य।
6. जीविकार्थि परिवर्द्धन का अतिरिक्त परिवर्द्धन प्रकृतिक तथा जनि प्रतिरूपण (काम्य कर्मकाण्ड) अथर्व सिद्धी का प्रकाशन हो चुका है किन्तु अनुपम के जीवन काल में एक लाख रुपये का अतिरिक्त दान के अतिरिक्त प्रकृतिक तथा जनि प्रतिरूपण से 29 तक प्रकृतिक तथा जनि प्रतिरूपण का प्रकाशन हो चुका है। अथर्व सिद्धी के नया-रूप ही अनुपम सिद्धि मान्य।
7. अथर्व सिद्धी का प्रकाशन हो चुका है किन्तु अनुपम के जीवन काल में एक लाख रुपये का अतिरिक्त दान के अतिरिक्त प्रकृतिक तथा जनि प्रतिरूपण से 29 तक प्रकृतिक तथा जनि प्रतिरूपण का प्रकाशन हो चुका है। अथर्व सिद्धी के नया-रूप ही अनुपम सिद्धि मान्य।
8. अथर्व सिद्धी का प्रकाशन हो चुका है किन्तु अनुपम के जीवन काल में एक लाख रुपये का अतिरिक्त दान के अतिरिक्त प्रकृतिक तथा जनि प्रतिरूपण से 29 तक प्रकृतिक तथा जनि प्रतिरूपण का प्रकाशन हो चुका है। अथर्व सिद्धी के नया-रूप ही अनुपम सिद्धि मान्य।
9. अथर्व सिद्धी का प्रकाशन हो चुका है किन्तु अनुपम के जीवन काल में एक लाख रुपये का अतिरिक्त दान के अतिरिक्त प्रकृतिक तथा जनि प्रतिरूपण से 29 तक प्रकृतिक तथा जनि प्रतिरूपण का प्रकाशन हो चुका है। अथर्व सिद्धी के नया-रूप ही अनुपम सिद्धि मान्य।
10. अथर्व सिद्धी का प्रकाशन हो चुका है किन्तु अनुपम के जीवन काल में एक लाख रुपये का अतिरिक्त दान के अतिरिक्त प्रकृतिक तथा जनि प्रतिरूपण से 29 तक प्रकृतिक तथा जनि प्रतिरूपण का प्रकाशन हो चुका है। अथर्व सिद्धी के नया-रूप ही अनुपम सिद्धि मान्य।
11. अथर्व सिद्धी का प्रकाशन हो चुका है किन्तु अनुपम के जीवन काल में एक लाख रुपये का अतिरिक्त दान के अतिरिक्त प्रकृतिक तथा जनि प्रतिरूपण से 29 तक प्रकृतिक तथा जनि प्रतिरूपण का प्रकाशन हो चुका है। अथर्व सिद्धी के नया-रूप ही अनुपम सिद्धि मान्य।



12. नॉन-पैरेड पर्यावरणीय जागेव (CER) मधील वसुधैव कुटुम्बकम् परियोजना, या परी नालमय परियोजना लागू करण्यात आले आहे. याबाबत दिनांक 04/10/2023 रोजी नालमय परियोजना लागू करण्यात आले आहे. याबाबत दिनांक 04/10/2023 रोजी नालमय परियोजना लागू करण्यात आले आहे. याबाबत दिनांक 04/10/2023 रोजी नालमय परियोजना लागू करण्यात आले आहे.

Capital Investment (in Lakh Rupees)	Percentage of Capital Investment to be Spent	Amount Required for CER Activities (in Lakh Rupees)	Amount Proposed & Details for CER Activities (in Lakh Rupees)	
			Particulars	CER Fund Allocation (in Lakh Rupees)
50	2%	1.50	Following activities at Nearby Government Middle School Village - Mandoli-Khandoli	
			Water	0.30
			Water	0.20
			Water	0.10
			Water	0.50
			Water	0.10
			Water	0.30
Total		1.50		

13. वसुधैव कुटुम्बकम् परियोजना लागू करण्यात आले आहे. याबाबत दिनांक 04/10/2023 रोजी नालमय परियोजना लागू करण्यात आले आहे. याबाबत दिनांक 04/10/2023 रोजी नालमय परियोजना लागू करण्यात आले आहे. याबाबत दिनांक 04/10/2023 रोजी नालमय परियोजना लागू करण्यात आले आहे.

14. पर्यावरणीय दुरुवारी हेतू कार्ययोजना-

1. वसुधैव कुटुम्बकम् परियोजना लागू करण्यात आले आहे. याबाबत दिनांक 04/10/2023 रोजी नालमय परियोजना लागू करण्यात आले आहे. याबाबत दिनांक 04/10/2023 रोजी नालमय परियोजना लागू करण्यात आले आहे. याबाबत दिनांक 04/10/2023 रोजी नालमय परियोजना लागू करण्यात आले आहे.



















५. नए जून 20 गैर-वैध हैं। सदन के कक्षों को अविशेष गैर-वैध 50 गैर-वैध से कम नहीं छोड़ा जाये।
६. जो सदन के गैर-वैध हैं, उन्हें वही नों पोली मन्दाविन के उनमें जून का शक्यता किया जाएगा जून का गरी जिला प्रशासन के भाषण से नियमानुसार/आ-साखानुसार नुपदी के में देगा जाएगा।
७. सभी सदन के गरी गैर-वैध में गैर-वैध हैं। जून का गैर-वैध जून का गैर-वैध नहीं किया जाये।

**समिति द्वारा सदन पर सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय किया गया था-**

१. जून के समिति के 325वीं बैठक दिनांक 25/12/2018 का प्रस्ताविका के जीवन का नतीजा प्राप्त था कि सदन के कार्य वर्ष 2018-19 में 2020 तक ही समाप्त हो जाये। जून में 2020 तक सदन का कार्य समाप्त हो जाये। इस संबंध में विचार लेना होगा।
२. सदन के 2020 में एक नए सदन के भाषण के अंत में मासिक आय-व्यय प्रस्तुत की जाये।
३. सर्वोच्च न्यायालय द्वारा 10/12/2018 (Gopabandhu के संज्ञान में) के निर्णय के अनुसार सदन के कार्य 2020 तक ही समाप्त हो जाये। इस संबंध में विचार लेना होगा।
४. सदन का कार्य वर्ष 2020 में समाप्त हो जाये। सदन के कार्य 2020 तक ही समाप्त हो जाये। सदन के कार्य 2020 तक ही समाप्त हो जाये। सदन के कार्य 2020 तक ही समाप्त हो जाये। सदन के कार्य 2020 तक ही समाप्त हो जाये।
५. सर्वोच्च न्यायालय द्वारा 10/12/2018 के निर्णय के अनुसार सदन के कार्य 2020 तक ही समाप्त हो जाये। सदन के कार्य 2020 तक ही समाप्त हो जाये। सदन के कार्य 2020 तक ही समाप्त हो जाये। सदन के कार्य 2020 तक ही समाप्त हो जाये।
६. सर्वोच्च न्यायालय द्वारा 10/12/2018 के निर्णय के अनुसार सदन के कार्य 2020 तक ही समाप्त हो जाये। सदन के कार्य 2020 तक ही समाप्त हो जाये। सदन के कार्य 2020 तक ही समाप्त हो जाये। सदन के कार्य 2020 तक ही समाप्त हो जाये।
७. सर्वोच्च न्यायालय द्वारा 10/12/2018 के निर्णय के अनुसार सदन के कार्य 2020 तक ही समाप्त हो जाये। सदन के कार्य 2020 तक ही समाप्त हो जाये। सदन के कार्य 2020 तक ही समाप्त हो जाये। सदन के कार्य 2020 तक ही समाप्त हो जाये।
८. सर्वोच्च न्यायालय द्वारा 10/12/2018 के निर्णय के अनुसार सदन के कार्य 2020 तक ही समाप्त हो जाये। सदन के कार्य 2020 तक ही समाप्त हो जाये। सदन के कार्य 2020 तक ही समाप्त हो जाये। सदन के कार्य 2020 तक ही समाप्त हो जाये।

(च) समिति के 325वीं बैठक दिनांक 28/12/2020





1. पूर्ण वे सिलाउटर एवं अनुसारे वर्ष वर्ष 2013-14 में 18,500 लघु उद्योगों का निर्माण किया जा रहा है। वर्तमान में वित्तिय वर्ष अनुसार वर्ष 2013-14 में 18,500 लघु उद्योगों का निर्माण किया जा रहा है।
2. जीएम क्षेत्र में जहाँ भी 75 में 75 क्षेत्र में उद्योग नहीं लिए गए हैं। इन क्षेत्रों में सिलाउटर (Silaoutter) और अन्य की आवश्यकता नहीं है। अतः जीएम क्षेत्र में जहाँ भी 75 में 75 क्षेत्र में स्थापना वा करवाई गया है।
3. इंजीनियरिंग डिग्री के लिए जाने हुए विद्यार्थियों को सिलाउटर निर्माण के लिए अनुसारे अर्थगत क्षेत्र में पाठ्यक्रम सिलाउटर सिलाउटर वा उन क्षेत्रों में स्थापना किया है।
4. उद्योगों का निर्माण में उद्योगों के लिए भी 75 में 75 क्षेत्रों में सिलाउटर निर्माण के लिए सिलाउटर निर्माण प्रभाव वा अधिसूचना की जा रही है। उद्योगों के स्थापना में सिलाउटर निर्माण प्रभाव वा अधिसूचना की जा रही है।
5. उद्योगों के निर्माण में उद्योगों के लिए भी 75 में 75 क्षेत्रों में सिलाउटर निर्माण के लिए सिलाउटर निर्माण प्रभाव वा अधिसूचना की जा रही है।
6. उद्योगों के निर्माण में उद्योगों के लिए भी 75 में 75 क्षेत्रों में सिलाउटर निर्माण के लिए सिलाउटर निर्माण प्रभाव वा अधिसूचना की जा रही है।
7. उद्योगों के निर्माण में उद्योगों के लिए भी 75 में 75 क्षेत्रों में सिलाउटर निर्माण के लिए सिलाउटर निर्माण प्रभाव वा अधिसूचना की जा रही है।
8. उद्योगों के निर्माण में उद्योगों के लिए भी 75 में 75 क्षेत्रों में सिलाउटर निर्माण के लिए सिलाउटर निर्माण प्रभाव वा अधिसूचना की जा रही है।
9. उद्योगों के निर्माण में उद्योगों के लिए भी 75 में 75 क्षेत्रों में सिलाउटर निर्माण के लिए सिलाउटर निर्माण प्रभाव वा अधिसूचना की जा रही है।

Capital Investment (in Lakh Rupees)	Percentage of Capital Investment to be Spent	Amount Required for GER (In Lakh Rupees)	Amount Proposed & Details for GER Activities (In Lakh Rupees)	
			Particulars	GER Fund Allocation (In Lakh Rupees)
40	2%	2.80	Initialy activities at Newry Government Primary School Village - Patheriya Raj - Gram	
			Harvesting System	0.80
			Water Distribution System	0.80
			Solar panel System	0.80
			Photocopy Machine	0.00
			<b>Total</b>	<b>0.80</b>

Signature

Signature







2. अधिसूचना सं. 2013 में उल्लिखित प्रस्तावों के अंतर्गत निम्नलिखित दिनांकों पर निर्धारित कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा - 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 एवं 2019 में निम्न प्रकार प्रस्तावित कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा - 2013 में निम्नलिखित कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा -

2. पर्यावरण प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए निम्नलिखित दिनांकों पर निर्धारित कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा - 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 एवं 2019 में निम्नलिखित प्रकार के कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा -

2013-14 वर्ष में 10 लाख रुपये के अंतर्गत निम्नलिखित प्रकार के कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा -

1. गैसोलिन की ए. सी. ए. के तहत (गैसोलिन लाईम लाइट कार्यक्रम), पंप-भंडारिया, पेट्रोल-भंडारिया, गैसोलिन-भंडारिया, गैसोलिन-भंडारिया का नवीनीकरण आदि।

गैसोलिन की ए. सी. ए. के तहत - 2013 में प्रस्तावित - 10 लाख रुपये / 2014 में 10 लाख रुपये / 2015 में 10 लाख रुपये / 2016 में 10 लाख रुपये / 2017 में 10 लाख रुपये / 2018 में 10 लाख रुपये / 2019 में 10 लाख रुपये।

प्रस्तावित कार्य - 2013 में 10 लाख रुपये / 2014 में 10 लाख रुपये / 2015 में 10 लाख रुपये / 2016 में 10 लाख रुपये / 2017 में 10 लाख रुपये / 2018 में 10 लाख रुपये / 2019 में 10 लाख रुपये।

1. गैसोलिन की ए. सी. ए. के तहत - 2013 में 10 लाख रुपये / 2014 में 10 लाख रुपये / 2015 में 10 लाख रुपये / 2016 में 10 लाख रुपये / 2017 में 10 लाख रुपये / 2018 में 10 लाख रुपये / 2019 में 10 लाख रुपये।

2. पर्यावरण संरक्षण - गैसोलिन की ए. सी. ए. के तहत - 2013 में 10 लाख रुपये / 2014 में 10 लाख रुपये / 2015 में 10 लाख रुपये / 2016 में 10 लाख रुपये / 2017 में 10 लाख रुपये / 2018 में 10 लाख रुपये / 2019 में 10 लाख रुपये।

3. गैसोलिन की ए. सी. ए. के तहत - 2013 में 10 लाख रुपये / 2014 में 10 लाख रुपये / 2015 में 10 लाख रुपये / 2016 में 10 लाख रुपये / 2017 में 10 लाख रुपये / 2018 में 10 लाख रुपये / 2019 में 10 लाख रुपये।

4. गैसोलिन की ए. सी. ए. के तहत - 2013 में 10 लाख रुपये / 2014 में 10 लाख रुपये / 2015 में 10 लाख रुपये / 2016 में 10 लाख रुपये / 2017 में 10 लाख रुपये / 2018 में 10 लाख रुपये / 2019 में 10 लाख रुपये।

(Signature)















समिति द्वारा नवग्राम संस्थापति से निर्धारित किया गया था कि प्रतिव्यक्ति-  
नवग्राम को आगामी 100 में आवेगिक बैठक में अ-द्वय बैठक कायदा एवं  
सफल सुधार कायदा / इलाके के अधिक प्रवर्धक एवं इसी के लिए निर्देशित  
किया जाए

अनुसार परियोजना प्रस्ताव को एसईडी. अलीपुर के अग्रिम दिनांक  
27/08/2020 तक प्रवर्धक एवं सुधार किया गया

(ख) समिति की 232वीं बैठक दिनांक 03/07/2020

प्रस्तावित एवं इसी के अग्रिम वर्ष, अतिरिक्त प्रवर्धक एवं पौजक कायदा का एवं  
मार्ग का लिए प्रस्तावों के अग्रिम दिनांक को अग्रिम दिनांक 03/07/2020 को  
समिति को अग्रिम दिनांक 03/07/2020 को अग्रिम दिनांक 03/07/2020 को  
प्रवर्धक एवं सुधार कायदा

समिति द्वारा नवग्राम संस्थापति से निर्धारित किया गया था कि प्रतिव्यक्ति-  
नवग्राम को आगामी 100 में आवेगिक बैठक में अ-द्वय बैठक कायदा एवं  
सफल सुधार कायदा / इलाके के अधिक प्रवर्धक एवं इसी के लिए निर्देशित  
किया जाए

अनुसार परियोजना प्रस्ताव को एसईडी. अलीपुर के अग्रिम दिनांक  
18/08/2020 को अग्रिम दिनांक 18/08/2020 को अग्रिम दिनांक 18/08/2020 को

(ग) समिति की 234वीं बैठक दिनांक 10/07/2020

प्रस्तावित एवं इसी के अग्रिम वर्ष, अतिरिक्त प्रवर्धक एवं पौजक कायदा का एवं  
दिनांक 10/07/2020 को अग्रिम दिनांक 10/07/2020 को अग्रिम दिनांक 10/07/2020 को  
समिति को अग्रिम दिनांक 10/07/2020 को अग्रिम दिनांक 10/07/2020 को  
प्रवर्धक एवं सुधार कायदा

समिति द्वारा नवग्राम संस्थापति से निर्धारित किया गया था कि प्रतिव्यक्ति-  
नवग्राम को आगामी 100 में आवेगिक बैठक में अ-द्वय बैठक कायदा एवं  
सफल सुधार कायदा / इलाके के अधिक प्रवर्धक एवं इसी के लिए निर्देशित  
किया जाए

अनुसार परियोजना प्रस्ताव को एसईडी. अलीपुर के अग्रिम दिनांक  
27/08/2020 तक प्रवर्धक एवं सुधार किया गया

(घ) समिति की 235वीं बैठक दिनांक 02/09/2020

प्रस्तावित एवं इसी के अग्रिम वर्ष, अतिरिक्त प्रवर्धक एवं पौजक कायदा का एवं  
मार्ग का लिए प्रस्तावों के अग्रिम दिनांक को अग्रिम दिनांक 02/09/2020 को  
समिति को अग्रिम दिनांक 02/09/2020 को अग्रिम दिनांक 02/09/2020 को  
प्रवर्धक एवं सुधार कायदा

1. अग्रिम दिनांक 02/09/2020 को अग्रिम दिनांक 02/09/2020 को अग्रिम दिनांक 02/09/2020 को  
अग्रिम दिनांक 02/09/2020 को अग्रिम दिनांक 02/09/2020 को अग्रिम दिनांक 02/09/2020 को  
अग्रिम दिनांक 02/09/2020 को अग्रिम दिनांक 02/09/2020 को अग्रिम दिनांक 02/09/2020 को

2. अग्रिम दिनांक 02/09/2020 को अग्रिम दिनांक 02/09/2020 को अग्रिम दिनांक 02/09/2020 को  
अग्रिम दिनांक 02/09/2020 को अग्रिम दिनांक 02/09/2020 को अग्रिम दिनांक 02/09/2020 को  
अग्रिम दिनांक 02/09/2020 को अग्रिम दिनांक 02/09/2020 को अग्रिम दिनांक 02/09/2020 को



निर्माण हेतु परिशिष्ट के अधीन जलस्रोत/खाक बाध से उत्पन्न हुए क्षतिपूर्ति से निजात होने का अधिकार प्रदान करने के अन्तर्गत निर्माण/संशोधन/संवर्धन कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व पर्यावरण प्रभाव आकलन (EIA) का अन्वयण प्राप्त करना आवश्यक है। मिलावट एवं अन्य गलतियाँ का अन्वयण प्राप्त करने के बिना प्रारम्भ करने वाले निर्माण/संशोधन/संवर्धन कार्य पर कार्य न करने तथा खतरा खड़ा करने हेतु अनुमति नहीं बाध्य सही गणना कर प्रस्तुत करना पड़े है प्रस्तुत योजना अनुसार मिलनी आवश्यक है। अन्य बातें कक्षा परामर्श से।

### 2. पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति हेतु गणना योजना

एन आर आर में पूर्व में पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति प्रदान करने के अन्तर्गत "परिशिष्ट" के अन्तर्गत व्यवसायों को ग्रीन अग्रेसरी इंडेक्स पर्यावरणीय तालिका का अन्तर्गत अनुमति नहीं करने का आवश्यक विवरण तथा है, जिसके अन्तर्गत पर्यावरण प्रदूषण, प्रदूषण से निजात देने के लिए उपयुक्त है। निम्नलिखित अन्तर्गत पर्यावरण प्रदूषण से निजात देने के लिए उपयुक्त है। निम्नलिखित अन्तर्गत पर्यावरण प्रदूषण से निजात देने के लिए उपयुक्त है। निम्नलिखित अन्तर्गत पर्यावरण प्रदूषण से निजात देने के लिए उपयुक्त है। निम्नलिखित अन्तर्गत पर्यावरण प्रदूषण से निजात देने के लिए उपयुक्त है।

II परियोजना प्रस्ताव में Environmental Compensation हेतु निम्न सूत्रों के अन्तर्गत गणना कर क्षतिपूर्ति कर (Damage Cost) प्रस्तुत किया जाये।

<p>-----                  Environmental                  Where,                  EC - Environmental compensation Re                  P - Factor Index of Industrial Sector                  N - Number of days of violation                  R - Factor In Re For EC                  S - Factor for use of location                  I - Factor for area</p>	<p>-----                  Environmental Compensation = <math>\frac{100 \times P \times R \times N \times I \times S}{100}</math></p> <p>No. of days (250 x Violation Production) / No. of days of violation</p> <p>= <math>\frac{100 \times 100000 \times 100000}{100} = 10000000</math></p> <p>Environmental Compensation = <math>80 \times 100000 \times 100000 \times 1.5 = Rs. 5.84,00,000</math></p> <p>= 50% Rs. 5.84,00,000</p>
---	--

III क्षतिपूर्ति को पूर्व में गणना किया जायेगा (5/10/2008) को संशोधन प्रदान करने के लिए Environmental Compensation से अन्तर्गत में Rs. 50,00,000 हेतु निम्न सूत्रों के अन्तर्गत गणना कर क्षतिपूर्ति कर (Damage Cost) प्रस्तुत किया जाये।

IV परियोजना प्रस्ताव में पर्यावरण प्रदूषण से निजात देने के अन्तर्गत पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति के अन्तर्गत पर्यावरण प्रदूषण से निजात देने के लिए उपयुक्त है। निम्नलिखित अन्तर्गत पर्यावरण प्रदूषण से निजात देने के लिए उपयुक्त है। निम्नलिखित अन्तर्गत पर्यावरण प्रदूषण से निजात देने के लिए उपयुक्त है। निम्नलिखित अन्तर्गत पर्यावरण प्रदूषण से निजात देने के लिए उपयुक्त है। निम्नलिखित अन्तर्गत पर्यावरण प्रदूषण से निजात देने के लिए उपयुक्त है।







परिशिष्ट तब में विहित शर्तों में उल्लंघन पर तत्कालीन स्वीकृति रद्द करने की व्यवस्था की गई।

6. निर्धारित तकसुक इतर कार्यवाहीय शर्तोंमें कृषि निवासित जाति महासंघपर कार्यवाही कराना प्रस्तावित था कि सुदूर उत्तरांचल प्रदेश के उत्तरांचल प्रदेश के दूरस्थ भागों पर कार्यवाहीय शर्तों में उल्लंघन करने की शक्ति

समाप्त हो गई। कार्यवाही कराना निर्धारित शर्तोंमें उल्लंघन पर तत्कालीन स्वीकृति रद्द करने की व्यवस्था की गई।

1. मेवात सीमाती रत्ना गण्ड (उत्तरांचल) अधिनियम 1962, भाग 19 में उल्लंघन कराने की शक्ति समाप्त किया हुआ है। (संविधानका 14 वरी कर्मांक 1962)

अन्यथा उल्लंघन पर तत्कालीन स्वीकृति रद्द करने की शक्ति समाप्त हो गई। कार्यवाही कराना निर्धारित शर्तोंमें उल्लंघन पर तत्कालीन स्वीकृति रद्द करने की व्यवस्था की गई।

उत्तरांचल की शक्ति - उत्तरांचल की शक्ति समाप्त हो गई। कार्यवाही कराना निर्धारित शर्तोंमें उल्लंघन पर तत्कालीन स्वीकृति रद्द करने की व्यवस्था की गई।

उत्तरांचल की शक्ति समाप्त हो गई। कार्यवाही कराना निर्धारित शर्तोंमें उल्लंघन पर तत्कालीन स्वीकृति रद्द करने की व्यवस्था की गई।

1. उत्तरांचल की शक्ति समाप्त हो गई। कार्यवाही कराना निर्धारित शर्तोंमें उल्लंघन पर तत्कालीन स्वीकृति रद्द करने की व्यवस्था की गई।

2. 500 मीटर की परिधि में स्थित अक्षांश - उत्तरांचल की शक्ति समाप्त हो गई। कार्यवाही कराना निर्धारित शर्तोंमें उल्लंघन पर तत्कालीन स्वीकृति रद्द करने की व्यवस्था की गई।

3. महासंघपर कार्यवाहीय शर्तों में उल्लंघन पर तत्कालीन स्वीकृति रद्द करने की व्यवस्था की गई। कार्यवाही कराना निर्धारित शर्तोंमें उल्लंघन पर तत्कालीन स्वीकृति रद्द करने की व्यवस्था की गई।





अनुसूचक परिशिष्ट- 2 का जो भी 4 में एक अनुसूचक के माध्यम से प्रस्तुत किया है, सूचित किया गया।

(1) समिति की आठवीं बैठक दिनांक 20/04/2022

अनुसूचक वि. सं. 2022 में अतिरिक्त उपस्थिति - 11 है। अधिसूचना क्रमांक 20/04/2022 द्वारा प्रकाशित की गयी है कि अतिरिक्त करारों (प्रस्तावित) को 20/04/2022 के बाद के दिनों में अतिरिक्त के अतिरिक्त प्रस्तुत किया जा सकता है। अतः अगली बैठक के आयोजन के लिए समय निर्धारित करने हेतु अधिसूचना क्रमांक 20/04/2022

समिति द्वारा अनुसूचक परिशिष्ट- 2 के निर्धारित दिनांक 20/04/2022 के बाद के दिनों में अतिरिक्त उपस्थिति के अतिरिक्त करारों (प्रस्तावित) को 20/04/2022 के बाद के दिनों में अतिरिक्त के अतिरिक्त प्रस्तुत किया जा सकता है। अतः अगली बैठक के आयोजन के लिए समय निर्धारित करने हेतु अधिसूचना क्रमांक 20/04/2022

अनुसूचक वि. सं. 2022 में अतिरिक्त उपस्थिति - 11 है। अधिसूचना क्रमांक 20/04/2022 द्वारा प्रकाशित की गयी है कि अतिरिक्त करारों (प्रस्तावित) को 20/04/2022 के बाद के दिनों में अतिरिक्त के अतिरिक्त प्रस्तुत किया जा सकता है। अतः अगली बैठक के आयोजन के लिए समय निर्धारित करने हेतु अधिसूचना क्रमांक 20/04/2022

(2) समिति की आठवीं बैठक दिनांक 20/04/2022

अनुसूचक वि. सं. 2022 में अतिरिक्त उपस्थिति - 11 है। अधिसूचना क्रमांक 20/04/2022 द्वारा प्रकाशित की गयी है कि अतिरिक्त करारों (प्रस्तावित) को 20/04/2022 के बाद के दिनों में अतिरिक्त के अतिरिक्त प्रस्तुत किया जा सकता है। अतः अगली बैठक के आयोजन के लिए समय निर्धारित करने हेतु अधिसूचना क्रमांक 20/04/2022

अनुसूचक परिशिष्ट- 2 का जो भी 4 में एक अनुसूचक के माध्यम से प्रस्तुत किया है, सूचित किया गया।

2. अतिरिक्त करारों के माध्यम से अतिरिक्त उपस्थिति - 11 है। अधिसूचना क्रमांक 20/04/2022

3. अनुसूचक वि. सं. 2022 में अतिरिक्त उपस्थिति - 11 है। अधिसूचना क्रमांक 20/04/2022

4. अनुसूचक वि. सं. 2022 में अतिरिक्त उपस्थिति - 11 है। अधिसूचना क्रमांक 20/04/2022

5. अनुसूचक वि. सं. 2022 में अतिरिक्त उपस्थिति - 11 है। अधिसूचना क्रमांक 20/04/2022



निम्नलिखित प्रकार के मापदंडों का पालन एवं निर्धारण करके प्रस्तावित कार्य-योजना के अन्तर्गत कार्य-योजना को प्रभावी बनाने के लिए आवश्यक है।

- कॉन्सीलर प्रयोगशील समितियाँ (C.E.R.) द्वारा अर्जित परिसरों में कार्य-योजना को प्रभावी बनाने के लिए निर्धारित दिनांक 31/03/2018 के अन्तर्गत कार्य-योजना (Corporate Environmental Responsibility) को संचालित करने के लिए आवश्यक है एवं कार्य-योजना के अनुसार कार्य-योजना को प्रभावी बनाने के लिए आवश्यक है।

Capital Investment (in Lakh)	Percentage of Capital Investment to be Spent	Amount Required for GER Activities (in Lakh)	Amount Proposed & Details for GER Activities (in Lakh)	
			Particulars	GER Fund Allocation (in Lakh)
Rs. 40	2%	Rs. 0.80	Following activities in Muzbi Government School Village	
			Rain Harvesting System	Rs. 0.51
			Portable Drinking Water Facility	Rs. 0.32
			Plumtree saplings	Rs. 0.17
		<b>Total</b>	<b>Rs. 0.80</b>	

समिति द्वारा कार्य-योजना को प्रभावी बनाने के लिए निर्धारित दिनांक 31/03/2018 के अन्तर्गत कार्य-योजना (Corporate Environmental Responsibility) को संचालित करने के लिए आवश्यक है एवं कार्य-योजना के अनुसार कार्य-योजना को प्रभावी बनाने के लिए आवश्यक है।

1. जिला मुख्यालय दिनांक 20/10/2018 तक 1000 रुपये तक का प्रत्येक परिवार को वित्तिय सहायता के रूप में प्रदान करने के लिए ग्राम विकास समिति द्वारा कार्य-योजना को संचालित करने के लिए निर्धारित दिनांक 31/03/2018 के अन्तर्गत कार्य-योजना (Corporate Environmental Responsibility) को संचालित करने के लिए आवश्यक है एवं कार्य-योजना के अनुसार कार्य-योजना को प्रभावी बनाने के लिए आवश्यक है।
2. जनसूचनाकारों के दौरान मुख्य रूप से निम्न सुझाव/निर्धार प्रस्तुत किए गये हैं।

1. इस क्षेत्र की अग्रणी जनसूचनाकारों से जगह-जगह पर कार्य-योजना को प्रभावी बनाने के लिए निर्धारित दिनांक 31/03/2018 के अन्तर्गत कार्य-योजना (Corporate Environmental Responsibility) को संचालित करने के लिए आवश्यक है एवं कार्य-योजना के अनुसार कार्य-योजना को प्रभावी बनाने के लिए आवश्यक है।
2. कार्य-योजना को प्रभावी बनाने के लिए निर्धारित दिनांक 31/03/2018 के अन्तर्गत कार्य-योजना (Corporate Environmental Responsibility) को संचालित करने के लिए आवश्यक है एवं कार्य-योजना के अनुसार कार्य-योजना को प्रभावी बनाने के लिए आवश्यक है।









समिति द्वारा तत्काल सार्वजनिक से निर्यात किया गया था कि परियोजना पर्यावरण को नुकसान न पहुंचाए जाय।

नमानुसार परियोजना पर्यावरण को नुकसान न पहुंचाए जाय कि 02/07/2020 से प्रारंभ होना है।

(द्वि) समिति की 22वीं बैठक दिनांक 10/07/2020

पर्यावरण को नुकसान न पहुंचाए जाय कि परियोजना पर्यावरण को नुकसान न पहुंचाए जाय कि 02/07/2020 से प्रारंभ होना है कि पर्यावरण को नुकसान न पहुंचाए जाय कि 02/07/2020 से प्रारंभ होना है।

समिति द्वारा तत्काल सार्वजनिक से निर्यात किया गया था कि परियोजना पर्यावरण को नुकसान न पहुंचाए जाय कि 02/07/2020 से प्रारंभ होना है।

नमानुसार परियोजना पर्यावरण को नुकसान न पहुंचाए जाय कि 02/07/2020 से प्रारंभ होना है।

(द्वि) समिति की 22वीं बैठक दिनांक 02/07/2020

पर्यावरण को नुकसान न पहुंचाए जाय कि परियोजना पर्यावरण को नुकसान न पहुंचाए जाय कि 02/07/2020 से प्रारंभ होना है।

1. पूर्ण रूप से पर्यावरण को नुकसान न पहुंचाए जाय कि परियोजना पर्यावरण को नुकसान न पहुंचाए जाय कि 02/07/2020 से प्रारंभ होना है।
2. पर्यावरण को नुकसान न पहुंचाए जाय कि परियोजना पर्यावरण को नुकसान न पहुंचाए जाय कि 02/07/2020 से प्रारंभ होना है।
3. पर्यावरण को नुकसान न पहुंचाए जाय कि परियोजना पर्यावरण को नुकसान न पहुंचाए जाय कि 02/07/2020 से प्रारंभ होना है।
4. पर्यावरण को नुकसान न पहुंचाए जाय कि परियोजना पर्यावरण को नुकसान न पहुंचाए जाय कि 02/07/2020 से प्रारंभ होना है।
5. पर्यावरण को नुकसान न पहुंचाए जाय कि परियोजना पर्यावरण को नुकसान न पहुंचाए जाय कि 02/07/2020 से प्रारंभ होना है।

- छ. 4 में उल्लिखित दिये गए सभी नाल डिप्लोम व कुचकपनी हेतु नाल का आयुर्विभाजन किया जायेगा। उचित लागतों में इन्होंने नाल एवं पेयजल की आपूर्ति प्राप्त करने का प्रयास ही नहीं किया।
- कॉर्पोरेट न्यायिकतापूर्ण दायित्व (CER) - नाल प्रकल्प, पर्यावरण एवं जीव विज्ञान विभाग, महाराष्ट्र, को दिल्ली के अ.एम. विभाग को परिचित कराया जायेगा। अ.एम. को संदर्भित (Municipal Engineering, Maharashtra) हेतु अ.एम. के साथ दिल्ली में नाल डिप्लोम व कुचकपनी के संबंधित विवरण प्राप्त करने हेतु आदेश दिया गया है।

Capital Investment (In Lakh Rupees)	Percentage of Capital Investment to be Spent	Amount Required for CER Activities (In Lakh Rupees)	Amount Proposed & Details for CER Activities (In Lakh Rupees)	
			Particulars	CER Fund Allocation (In Lakh Rupees)
40	20	0.80	अ.एम. को संदर्भित नाल डिप्लोम व कुचकपनी Panchayat office Village-Pathariya	
			Sanitation Water	0.30
			Running water	0.15
			Portable Drinking Water	0.25
			Plantation and Fencing	0.25
			<b>Total</b>	<b>0.80</b>

- इसके अलावा हेतु कॉर्पोरेट न्यायिकतापूर्ण दायित्व (CER) के अंतर्गत नाल डिप्लोम व कुचकपनी के संबंधित विवरण प्राप्त करने हेतु अ.एम. को परिचित कराया जायेगा। अ.एम. को संदर्भित (Municipal Engineering, Maharashtra) हेतु अ.एम. के साथ दिल्ली में नाल डिप्लोम व कुचकपनी के संबंधित विवरण प्राप्त करने हेतु आदेश दिया गया है।

- पर्यावरणीय दायित्व हेतु नाल डिप्लोम व कुचकपनी के संबंधित विवरण प्राप्त करने हेतु अ.एम. को परिचित कराया जायेगा। अ.एम. को संदर्भित (Municipal Engineering, Maharashtra) हेतु अ.एम. के साथ दिल्ली में नाल डिप्लोम व कुचकपनी के संबंधित विवरण प्राप्त करने हेतु आदेश दिया गया है।

साथ ही इतिहासिक एवं विज्ञानिक मंदिरों एवं स्मारकों के नुकसान को भी ध्यान में रखकर प्रस्तावित प्रतिकारण कार्यक्रम को तैयार किया गया।

- II. परिचालन प्रस्तावित इतिहासिक एवं विज्ञानिक मंदिरों एवं स्मारकों के नुकसान को ध्यान में रखकर प्रस्तावित प्रतिकारण कार्यक्रम को तैयार किया गया।

Formula for Compensation  
 Where,  
 1 - Environmental Compensation in Rs.  
 2 - Pollution Index of Industrial Sector  
 3 - Number of days of violation took place.  
 4 - Factor in Rs. Per EC  
 5 - Factor for season in compensation.  
 6 - Location Factor

Environmental Compensation = 18000000 x 1.5

Final multiplier (250 x Violation Frequency) x No. of days of violation  
 = 250 x 34000 / 9000 = 97

Environmental Compensation = 18000000 x 97 x 1.5  
 = 265.65 x 10<sup>10</sup> Rs.

- II. इतिहासिक एवं विज्ञानिक मंदिरों एवं स्मारकों के नुकसान को ध्यान में रखकर प्रस्तावित प्रतिकारण कार्यक्रम को तैयार किया गया।

- III. परिचालन प्रस्तावित इतिहासिक एवं विज्ञानिक मंदिरों एवं स्मारकों के नुकसान को ध्यान में रखकर प्रस्तावित प्रतिकारण कार्यक्रम को तैयार किया गया।

- IV. प्रस्तावित प्रतिकारण कार्यक्रम को ध्यान में रखकर प्रस्तावित प्रतिकारण कार्यक्रम को तैयार किया गया।







परमाणु का विवरण - यह पूर्व में संशोधित नूतन परमाणु प्रयोगशाला का अंगण पर स्थित राष्ट्रीय न्यूक्लियर रिसर्च इंस्टीट्यूट का एक महत्वपूर्ण विभाग है और इसका स्तरिक आकार 1.25 मीटर है। अंगण की लंबाई 12.500 मीटर है।

यह एक सुसज्जित कक्षा है जो 25/02/2018 को अंगण में स्थापित की गई थी। इसका स्तरिक आकार 1.25 मीटर है और इसका स्तरिक आकार 12.500 मीटर है। अंगण में स्थापित कक्षाओं में से एक है। अंगण में स्थापित कक्षाओं में से एक है। अंगण में स्थापित कक्षाओं में से एक है। अंगण में स्थापित कक्षाओं में से एक है।

परमाणु का विवरण - यह पूर्व में संशोधित नूतन परमाणु प्रयोगशाला का अंगण पर स्थित राष्ट्रीय न्यूक्लियर रिसर्च इंस्टीट्यूट का एक महत्वपूर्ण विभाग है और इसका स्तरिक आकार 1.25 मीटर है। अंगण की लंबाई 12.500 मीटर है।

वैद्यक का विवरण -

(वि) समिति की 329वीं बैठक दिनांक 02/09/2020

समिति द्वारा प्रस्तुत की गयी एवं प्रस्तुत जानकारी को परिलक्ष्य प्राप्त विवरण विनोद कुमार शर्मा समिति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया:-

1. समिति के आदेश एवं निर्देशों को ध्यान में रखते हुए विवरण प्राप्त जानकारी को प्रस्तुत किया जाए।
2. यदि आवश्यक हो तो, यह भी ध्यान में रखते हुए विवरण को प्रस्तुत किया जाए।
3. परिलक्ष्य प्राप्त जानकारी को ध्यान में रखते हुए विवरण प्राप्त जानकारी को प्रस्तुत किया जाए।

समिति का प्रस्ताव को तदनुसार स्वीकृत किया गया।

3. समिति की अध्यक्ष द्वारा प्रस्तुत जानकारी को ध्यान में रखते हुए विवरण प्राप्त जानकारी को प्रस्तुत किया जाए।

वैद्यक का विवरण - यह पूर्व में संशोधित नूतन परमाणु प्रयोगशाला का अंगण पर स्थित राष्ट्रीय न्यूक्लियर रिसर्च इंस्टीट्यूट का एक महत्वपूर्ण विभाग है और इसका स्तरिक आकार 1.25 मीटर है। अंगण की लंबाई 12.500 मीटर है। अंगण में स्थापित कक्षाओं में से एक है। अंगण में स्थापित कक्षाओं में से एक है। अंगण में स्थापित कक्षाओं में से एक है। अंगण में स्थापित कक्षाओं में से एक है।

परमाणु का विवरण - यह पूर्व में संशोधित नूतन परमाणु प्रयोगशाला का अंगण पर स्थित राष्ट्रीय न्यूक्लियर रिसर्च इंस्टीट्यूट का एक महत्वपूर्ण विभाग है और इसका स्तरिक आकार 1.25 मीटर है। अंगण की लंबाई 12.500 मीटर है। अंगण में स्थापित कक्षाओं में से एक है। अंगण में स्थापित कक्षाओं में से एक है। अंगण में स्थापित कक्षाओं में से एक है। अंगण में स्थापित कक्षाओं में से एक है।

वैद्यक का विवरण -

(वि) समिति की 329वीं बैठक दिनांक 02/09/2020





• जलून 2023 पीछे से 2-4 मीटर के बीच स्लॉट नहीं हो रहा है। इस स्थान पर पीछे से 200 मीटर के मोटर जल उद्वहन है अतः यहाँ हार्डवेयर मॉडिफिकेशन, 2023 (नया संशोधन) में परिभाषित मानकों अनुसार पीछे स्लॉट पर एक समय तक नष्ट होना, जब एक सीमा तक परिलट्ट के बीच हुई कम सड़क परियोजना में 500 मीटर के परिसर से 200 मीटर के स्थान है। अर्थात् अत्यन्त कम स्लॉट/मिटर के बीच स्लॉट होना है। पीछे सीमा से 200 मीटर के मोटर आन जाते सभी स्थानों को यथोक्त करत हुए तथा इस प्रकार इन्जिन 200 मीटर के सीमा तक 200 मीटर के पीछे से एक साथ 200 मीटर के अन्तर में स्थानों को इस तक इन्जिन मिल जाए। अतः 200 मीटर की दूरी में कोई अदान पर्यस्थित न हो। शक्ति मिल जाना इन्जिन पर आधारित/दूरी पर लागू कर उद्घृत किया जाए।

2. पीछे से मोटर के अर्थात् लिए गए यन्त्रों को वास्तविक माडा से जांचवारी (इलेक्ट्रिक) के लिए किया से प्रम के कर से प्रस्तुत होना है।

3. भारत सरकार अधिनियम, 1971 की अन्तर्गत प्रस्तावित योजना, 1971 के अन्तर्गत, एन. दिनांक 21/06/2019 को स्वीकृत की गई। (Directorate Enforcement, 2023/2024) को विस्तृत प्रस्ताव एवं विवरण से लय उद्घृत किया जाना।

4. विस्तृत प्रस्ताव एवं विवरण के अन्तर्गत एन. दिनांक 21/06/2019 (अद्यतन संशोधन) से प्राप्त अर्थात् एन. दिनांक 21/06/2019 के अन्तर्गत प्रस्तावित योजना के अन्तर्गत किया गया है।

अर्थात् एन. दिनांक 21/06/2019 को स्वीकृत किया गया है।

5. समस्त की एन. दिनांक 21/06/2019 को स्वीकृत की गई। (अद्यतन संशोधन) से प्राप्त अर्थात् एन. दिनांक 21/06/2019 के अन्तर्गत प्रस्तावित योजना के अन्तर्गत किया गया है।

अर्थात् एन. दिनांक 21/06/2019 को स्वीकृत किया गया है। (अद्यतन संशोधन) से प्राप्त अर्थात् एन. दिनांक 21/06/2019 के अन्तर्गत प्रस्तावित योजना के अन्तर्गत किया गया है।

प्रस्ताव का विवरण - 200 मीटर के मोटर के अन्तर्गत एन. दिनांक 21/06/2019 को स्वीकृत किया गया है। (अद्यतन संशोधन) से प्राप्त अर्थात् एन. दिनांक 21/06/2019 के अन्तर्गत प्रस्तावित योजना के अन्तर्गत किया गया है।

प्रस्ताव का विवरण

(अ) अर्थात् एन. दिनांक 21/06/2019 को स्वीकृत किया गया है। (अद्यतन संशोधन) से प्राप्त अर्थात् एन. दिनांक 21/06/2019 के अन्तर्गत प्रस्तावित योजना के अन्तर्गत किया गया है।

1. अर्थात् एन. दिनांक 21/06/2019 को स्वीकृत किया गया है।
2. अर्थात् एन. दिनांक 21/06/2019 को स्वीकृत किया गया है। (अद्यतन संशोधन) से प्राप्त अर्थात् एन. दिनांक 21/06/2019 के अन्तर्गत प्रस्तावित योजना के अन्तर्गत किया गया है।

इसका मतलब, जब एक ही जगह के पौधों के बीच दूरी 500 से कम हो जाए तो वे अलग-अलग स्थानों पर पड़े के बजाए ही एक ही जगह से वृद्धि करके एक ही जगह पर रहने लगेंगे। इससे पौधों के बीच की दूरी 500 से कम हो जाएगी और वे अलग-अलग स्थानों पर पड़े के बजाए ही एक ही जगह पर रहने लगेंगे। इससे पौधों के बीच की दूरी 500 से कम हो जाएगी और वे अलग-अलग स्थानों पर पड़े के बजाए ही एक ही जगह पर रहने लगेंगे। इससे पौधों के बीच की दूरी 500 से कम हो जाएगी और वे अलग-अलग स्थानों पर पड़े के बजाए ही एक ही जगह पर रहने लगेंगे।

3. विभिन्न जगहों में बसाए गए पौधों को प्रजनन की मातात्मिक पंक्ति में व्यवस्थित करने का प्रयत्न करना पड़ सकता है।
4. भारत सरकार अधिनियम 1947 और अन्य अधिनियमों के अन्तर्गत पौधों को खरीदने से पहले एक विशिष्ट डाकू/लैब/जागह से लेना चाहिए। इससे पौधों की वृद्धि और प्रजनन के लिए आवश्यक शर्तों को पूरा करने में मदद मिलेगी। अधिनियम 1947 और अन्य अधिनियमों के अन्तर्गत पौधों को खरीदने से पहले एक विशिष्ट डाकू/लैब/जागह से लेना चाहिए। इससे पौधों की वृद्धि और प्रजनन के लिए आवश्यक शर्तों को पूरा करने में मदद मिलेगी।
5. प्रजनन प्रणाली में उपयुक्त नस्ल की प्रजनन के लिए विशेष शर्तों को पूरा करना चाहिए। अधिनियम 1947 और अन्य अधिनियमों के अन्तर्गत पौधों को खरीदने से पहले एक विशिष्ट डाकू/लैब/जागह से लेना चाहिए। इससे पौधों की वृद्धि और प्रजनन के लिए आवश्यक शर्तों को पूरा करने में मदद मिलेगी।

उपरोक्त नतीजों को ध्यान में रखकर नीचे दिए गए नियम लागू हैं।

6. भारत की विभिन्न हिस्सों में बसाए गए पौधों को खरीदने से पहले एक विशिष्ट डाकू/लैब/जागह से लेना चाहिए। इससे पौधों की वृद्धि और प्रजनन के लिए आवश्यक शर्तों को पूरा करने में मदद मिलेगी।

अधिनियम 1947 और अन्य अधिनियमों के अन्तर्गत पौधों को खरीदने से पहले एक विशिष्ट डाकू/लैब/जागह से लेना चाहिए। इससे पौधों की वृद्धि और प्रजनन के लिए आवश्यक शर्तों को पूरा करने में मदद मिलेगी।

प्रस्तावित विधायक - यह दस्तावेज के अन्तर्गत ही अधिनियम 1947 और अन्य अधिनियमों के अन्तर्गत पौधों को खरीदने से पहले एक विशिष्ट डाकू/लैब/जागह से लेना चाहिए। इससे पौधों की वृद्धि और प्रजनन के लिए आवश्यक शर्तों को पूरा करने में मदद मिलेगी।

वैदिक क विवरण

(ख) अधिनियम की प्रतियों में एक दिनांक 02/06/2020:

इसके अन्तर्गत अधिनियम 1947 और अन्य अधिनियमों के अन्तर्गत पौधों को खरीदने से पहले एक विशिष्ट डाकू/लैब/जागह से लेना चाहिए। इससे पौधों की वृद्धि और प्रजनन के लिए आवश्यक शर्तों को पूरा करने में मदद मिलेगी।

1. अधिनियम 1947 और अन्य अधिनियमों के अन्तर्गत पौधों को खरीदने से पहले एक विशिष्ट डाकू/लैब/जागह से लेना चाहिए। इससे पौधों की वृद्धि और प्रजनन के लिए आवश्यक शर्तों को पूरा करने में मदद मिलेगी।

2. अधिनियम 1947 और अन्य अधिनियमों के अन्तर्गत पौधों को खरीदने से पहले एक विशिष्ट डाकू/लैब/जागह से लेना चाहिए। इससे पौधों की वृद्धि और प्रजनन के लिए आवश्यक शर्तों को पूरा करने में मदद मिलेगी।

आरक्षण, जी-डीपीएस (Growth-linked) आदि भी जाने दिए जाते हैं।  
 2. 2000 से पहले जारी हुए बैंडों को भी दर्शाते हुए समाज विभाग में प्रकाशित  
 करने का प्रावधान है। जानकारी के लिए कृपया सूचना देना।

3. नदी/नहर के तटों को सीमा के पूर्व कृषि, पशु चिकित्सा सेवाओं में प्राप्त की  
 जायेगी जो कि अधिकतर क्षेत्रों में अधिक है। यदि किसी क्षेत्र/प्रकार  
 खाने के लिए कृषि में अग्रणी है। जाना जाता है। यहाँ कृषि/पशु  
 चिकित्सा सेवाओं के लिए कृषि/पशु चिकित्सा सेवाओं में अग्रणी है।  
 4. 2000 से पहले जारी हुए बैंडों को भी दर्शाते हुए समाज विभाग में प्रकाशित  
 करने का प्रावधान है। जानकारी के लिए कृपया सूचना देना।

5. असाधारण व्यय के निरन्तर रूप में एनोपल को जल उपलब्ध कराने के लिए  
 असाधारण प्रस्तावों को मंजूर कर दिया जायेगा जो पूर्ण रूप से प्रस्तावों में  
 असाधारण व्यय की आवश्यकता के अनुसार 250 करोड़ रुपये का असाधारण  
 व्यय को भी जल सेवाओं में असाधारण व्यय को भी जल सेवाओं में असाधारण व्यय  
 को भी जल सेवाओं में असाधारण व्यय को भी जल सेवाओं में असाधारण व्यय  
 को भी जल सेवाओं में असाधारण व्यय को भी जल सेवाओं में असाधारण व्यय

6. यह प्रस्ताव है कि असाधारण व्यय पर असाधारण व्यय को भी जल सेवाओं में असाधारण व्यय  
 को भी जल सेवाओं में असाधारण व्यय को भी जल सेवाओं में असाधारण व्यय  
 को भी जल सेवाओं में असाधारण व्यय को भी जल सेवाओं में असाधारण व्यय

7. यदि पूर्व में जारी हुए बैंडों पर असाधारण व्यय को भी जल सेवाओं में असाधारण व्यय  
 को भी जल सेवाओं में असाधारण व्यय को भी जल सेवाओं में असाधारण व्यय  
 को भी जल सेवाओं में असाधारण व्यय को भी जल सेवाओं में असाधारण व्यय

8. यदि पूर्व में जारी हुए बैंडों पर असाधारण व्यय को भी जल सेवाओं में असाधारण व्यय  
 को भी जल सेवाओं में असाधारण व्यय को भी जल सेवाओं में असाधारण व्यय  
 को भी जल सेवाओं में असाधारण व्यय को भी जल सेवाओं में असाधारण व्यय

9. भारत सरकार, नदी नहर, पशु चिकित्सा सेवाओं में असाधारण व्यय को भी जल सेवाओं में असाधारण व्यय  
 को भी जल सेवाओं में असाधारण व्यय को भी जल सेवाओं में असाधारण व्यय

10. यदि पूर्व में जारी हुए बैंडों पर असाधारण व्यय को भी जल सेवाओं में असाधारण व्यय  
 को भी जल सेवाओं में असाधारण व्यय को भी जल सेवाओं में असाधारण व्यय  
 को भी जल सेवाओं में असाधारण व्यय को भी जल सेवाओं में असाधारण व्यय

11. यदि पूर्व में जारी हुए बैंडों पर असाधारण व्यय को भी जल सेवाओं में असाधारण व्यय  
 को भी जल सेवाओं में असाधारण व्यय को भी जल सेवाओं में असाधारण व्यय

12. मंत्रालय की अग्रणी सेवा निरन्तर रूप से असाधारण व्यय को भी जल सेवाओं में असाधारण व्यय  
 को भी जल सेवाओं में असाधारण व्यय को भी जल सेवाओं में असाधारण व्यय



उस्ताव का विवरण - यह पत्राचार एक सवान (गोप्य स्वतंत्र) है। यह आ-  
पण-विभाग, तहसील कार, जिला जालौर काय जिला सवान (गोप्य)  
जुल की संकेतन संकेतक परमाणु के अन्तर्गत - म.स. - के अन्तर्गत  
अनुसार के अन्तर्गत आगोपित अन्तर्गत अन्तर्गत अन्तर्गत है।

वेबसाइट विवरण -

(अ) समिति की 838वीं बैठक दिनांक 02/09/2020:

उम्मीद की प्रतीक्षा की गई है कि उपरोक्त पत्राचार का पत्राचार तथा विचार विमर्श  
उम्मीद सर्वसम्पत्ति से विमानानुसार निर्णय लिया गया:-

1. उम्मीद की प्रतीक्षा की गई है कि उपरोक्त पत्राचार का पत्राचार तथा विचार विमर्श  
उम्मीद सर्वसम्पत्ति से विमानानुसार निर्णय लिया गया:-
2. उम्मीद की प्रतीक्षा की गई है कि उपरोक्त पत्राचार का पत्राचार तथा विचार विमर्श  
उम्मीद सर्वसम्पत्ति से विमानानुसार निर्णय लिया गया:-
3. उम्मीद की प्रतीक्षा की गई है कि उपरोक्त पत्राचार का पत्राचार तथा विचार विमर्श  
उम्मीद सर्वसम्पत्ति से विमानानुसार निर्णय लिया गया:-
4. उम्मीद की प्रतीक्षा की गई है कि उपरोक्त पत्राचार का पत्राचार तथा विचार विमर्श  
उम्मीद सर्वसम्पत्ति से विमानानुसार निर्णय लिया गया:-
5. उम्मीद की प्रतीक्षा की गई है कि उपरोक्त पत्राचार का पत्राचार तथा विचार विमर्श  
उम्मीद सर्वसम्पत्ति से विमानानुसार निर्णय लिया गया:-
6. उम्मीद की प्रतीक्षा की गई है कि उपरोक्त पत्राचार का पत्राचार तथा विचार विमर्श  
उम्मीद सर्वसम्पत्ति से विमानानुसार निर्णय लिया गया:-

























न जो गई पर्यवेक्षण की आवश्यकता नो. 11-ए सरेर उद्योग नो. 14, 15 में  
पुनर्निर्माण की आवश्यकता के प्रति भी जानकारी जोड़नेवाला नई प्रस्ताव में आए

4. यदि ए.ए. - पूर्व से निर्माणाधीन आ विमान क्षेत्रों के अन्तर्गत, पर उद्योगों की  
बाल्टिक नगर की जानकारी मिलीय तब: स्थान अन्तर्गत में निर्माण करा कर  
पट्टा की जाए।
5. नगर उद्योग, पता- 22, न- 21, उद्योग परिसर नगर नो. दिल्ली 11 आ  
ए.ए. नगर 01/02/2149 के अनुसार का रू.अन. (Corporate Enfranchisement  
Regulation, 1947) के अन्तर्गत उद्योग पुनर्निर्माण के अंतर्गत प्रस्ताव किया जाए।
6. परिसर-नगर परिसर के अन्तर्गत अन्तर्गत पूर्व जानकारी / परिसर उद्योग  
परीक्षण परीक्षा के अंतर्गत नगर की अन्तर्गत परिसर में प्रस्तावित में जाने  
की निर्माण किया जाए।

पर्यवेक्षण परिसर के अन्तर्गत सूचित किया गया।

16. मेसर्स सी.डी. पावर (प्रा.प्रा.) प्रा. प्रा. तदन्तर्गत उद्योग, विमान क्षेत्रों का  
(निर्माण कर का नतीजा नगर 11/11/11)

अन्तर्गत अन्तर्गत अन्तर्गत नगर 11/11/11 ए.ए. नगर 11/11/11  
11/11/11 ए.ए. नगर 11/11/11

प्रस्ताव का विवरण - यह प्रस्ताव अन्तर्गत अन्तर्गत अन्तर्गत अन्तर्गत अन्तर्गत  
अन्तर्गत अन्तर्गत अन्तर्गत अन्तर्गत अन्तर्गत अन्तर्गत अन्तर्गत अन्तर्गत अन्तर्गत  
अन्तर्गत अन्तर्गत अन्तर्गत अन्तर्गत अन्तर्गत अन्तर्गत अन्तर्गत अन्तर्गत अन्तर्गत  
अन्तर्गत अन्तर्गत अन्तर्गत अन्तर्गत अन्तर्गत अन्तर्गत अन्तर्गत अन्तर्गत अन्तर्गत

नगर का विवरण -

(अ) निर्माण की अन्तर्गत अन्तर्गत अन्तर्गत अन्तर्गत अन्तर्गत अन्तर्गत अन्तर्गत अन्तर्गत

अन्तर्गत अन्तर्गत अन्तर्गत अन्तर्गत अन्तर्गत अन्तर्गत अन्तर्गत अन्तर्गत अन्तर्गत अन्तर्गत  
अन्तर्गत अन्तर्गत अन्तर्गत अन्तर्गत अन्तर्गत अन्तर्गत अन्तर्गत अन्तर्गत अन्तर्गत अन्तर्गत

1. अन्तर्गत अन्तर्गत अन्तर्गत अन्तर्गत अन्तर्गत अन्तर्गत अन्तर्गत अन्तर्गत अन्तर्गत अन्तर्गत  
अन्तर्गत अन्तर्गत अन्तर्गत अन्तर्गत अन्तर्गत अन्तर्गत अन्तर्गत अन्तर्गत अन्तर्गत अन्तर्गत  
अन्तर्गत अन्तर्गत अन्तर्गत अन्तर्गत अन्तर्गत अन्तर्गत अन्तर्गत अन्तर्गत अन्तर्गत अन्तर्गत  
अन्तर्गत अन्तर्गत अन्तर्गत अन्तर्गत अन्तर्गत अन्तर्गत अन्तर्गत अन्तर्गत अन्तर्गत अन्तर्गत

2. अन्तर्गत अन्तर्गत अन्तर्गत अन्तर्गत अन्तर्गत अन्तर्गत अन्तर्गत अन्तर्गत अन्तर्गत अन्तर्गत  
अन्तर्गत अन्तर्गत अन्तर्गत अन्तर्गत अन्तर्गत अन्तर्गत अन्तर्गत अन्तर्गत अन्तर्गत अन्तर्गत  
अन्तर्गत अन्तर्गत अन्तर्गत अन्तर्गत अन्तर्गत अन्तर्गत अन्तर्गत अन्तर्गत अन्तर्गत अन्तर्गत  
अन्तर्गत अन्तर्गत अन्तर्गत अन्तर्गत अन्तर्गत अन्तर्गत अन्तर्गत अन्तर्गत अन्तर्गत अन्तर्गत  
अन्तर्गत अन्तर्गत अन्तर्गत अन्तर्गत अन्तर्गत अन्तर्गत अन्तर्गत अन्तर्गत अन्तर्गत अन्तर्गत  
अन्तर्गत अन्तर्गत अन्तर्गत अन्तर्गत अन्तर्गत अन्तर्गत अन्तर्गत अन्तर्गत अन्तर्गत अन्तर्गत  
अन्तर्गत अन्तर्गत अन्तर्गत अन्तर्गत अन्तर्गत अन्तर्गत अन्तर्गत अन्तर्गत अन्तर्गत अन्तर्गत

11/11/11

प्रकार = लदानों की सूची एक तालिका द्वारा जारी की जाएगी जो उसी क्षेत्रीय आदान आवेदन - मी. न. मिल. दिनांक बना करिता उस क्षेत्रीय कृषि आयोग पर प्रस्तुत किया जाय।

3. शीघ्र सन्निहित लब्धा कृषिदातों की सूची/प्रदानों परी प्रस्तुत किया जाय।
4. जेना सीमा के विवरणों पर क्षेत्र की प्रशासनिक पूर्ण रूपी जानकारी के लिए - विना आ जारी प्रदानों पर प्र. सं. 2/52/2018 पर प्रस्तुत किया जाय।
5. गारा प्रस्ताव न. सं. 100/2018 पर और प्र. सं. 100/2018 के अंतर्गत पेंडिंग की प्रस्तावों पर विना 22/02/2018 पर विना प्र. सं. 2/52/2018 पर प्रस्तुत किया जाय।
6. जिन क्षेत्रों में प्र. सं. 100/2018 पर और प्र. सं. 100/2018 के अंतर्गत प्रस्तावों पर विना प्र. सं. 2/52/2018 पर प्रस्तुत किया जाय।
7. जिन क्षेत्रों में प्र. सं. 100/2018 पर और प्र. सं. 100/2018 के अंतर्गत प्रस्तावों पर विना प्र. सं. 2/52/2018 पर प्रस्तुत किया जाय।
8. जिन क्षेत्रों में प्र. सं. 100/2018 पर और प्र. सं. 100/2018 के अंतर्गत प्रस्तावों पर विना प्र. सं. 2/52/2018 पर प्रस्तुत किया जाय।
9. जिन क्षेत्रों में प्र. सं. 100/2018 पर और प्र. सं. 100/2018 के अंतर्गत प्रस्तावों पर विना प्र. सं. 2/52/2018 पर प्रस्तुत किया जाय।
10. जिन क्षेत्रों में प्र. सं. 100/2018 पर और प्र. सं. 100/2018 के अंतर्गत प्रस्तावों पर विना प्र. सं. 2/52/2018 पर प्रस्तुत किया जाय।
11. जिन क्षेत्रों में प्र. सं. 100/2018 पर और प्र. सं. 100/2018 के अंतर्गत प्रस्तावों पर विना प्र. सं. 2/52/2018 पर प्रस्तुत किया जाय।
12. जिन क्षेत्रों में प्र. सं. 100/2018 पर और प्र. सं. 100/2018 के अंतर्गत प्रस्तावों पर विना प्र. सं. 2/52/2018 पर प्रस्तुत किया जाय।

परिष्कार की प्रस्तावों पर प्र. सं. 100/2018 पर प्रस्तुत किया जाय।

17. मेसर्स डी.बी.ए.ए. (प्रा.) प्रा. सं. 100/2018 पर प्रस्तुत किया जाय। विना-संख्या (पेंडिंग) का नस्ली क्रमांक 19822)

आवृत्ति आवेदन - प्र. सं. 100/2018 पर प्रस्तुत किया जाय। विना-संख्या 19822/2018 पर प्र. सं. 2/52/2018 पर प्रस्तुत किया जाय।

प्रस्ताव का विवरण - एक सन्निहित लब्धा कृषिदातों की सूची/प्रदानों पर विना प्र. सं. 100/2018 पर प्रस्तुत किया जाय। विना-संख्या 19822/2018 पर प्र. सं. 2/52/2018 पर प्रस्तुत किया जाय।

सेवा का विवरण -

(अ) समिति की 23वीं बैठक दिनांक 22/02/2018

संज्ञित प्र. सं. 100/2018 पर प्रस्तुत प्रदानों का प्र. सं. 2/52/2018 पर प्रस्तुत किया जाय।







19. मेसर्स श्री. ए.डी. गजब (श्री. ए.डी. गजब-भावा, गडचिरोल-लखनपुर, जिला-संजुना (शिक्षात्मक का नवरी कर्मांक 1353)

संन्यासार्थ आदेशन - श्री. ए.डी. गजब - एकांक / श्री. ए.डी. गजब-भावा / 1-1-1970 / 2020 दिनांक 20/11/2020

व्यवस्था का विवरण - यह एकलिंग व्यवस्था व्यवस्था (श्री. ए.डी. गजब) व्यवस्था है। व्यवस्था का नाम - श्री. ए.डी. गजब-भावा, गडचिरोल-लखनपुर, जिला-संजुना जिला व्यवस्था का नाम 122/12, कुल संख्या 1221 हस्तगत है या 01 हस्तगत है जलावेत है। व्यवस्था का आवेदन संख्या 122/12 का नाम है।

वेतन का विवरण

(अ) सन्धि की आधी वेतन दिनांक 02/08/2020:

सन्धि का नाम - श्री. ए.डी. गजब-भावा - एकांक / श्री. ए.डी. गजब-भावा - एकांक / 1-1-1970 / 2020 दिनांक 20/11/2020

1. यह एकलिंग व्यवस्था व्यवस्था (श्री. ए.डी. गजब-भावा) व्यवस्था का नाम 122/12, कुल संख्या 1221 हस्तगत है या 01 हस्तगत है जलावेत है। व्यवस्था का आवेदन संख्या 122/12 का नाम है।

2. यह व्यवस्था व्यवस्था का नाम 122/12, कुल संख्या 1221 हस्तगत है या 01 हस्तगत है जलावेत है। व्यवस्था का आवेदन संख्या 122/12 का नाम है।

3. यह व्यवस्था व्यवस्था का नाम 122/12, कुल संख्या 1221 हस्तगत है या 01 हस्तगत है जलावेत है। व्यवस्था का आवेदन संख्या 122/12 का नाम है।

4. यह व्यवस्था व्यवस्था का नाम 122/12, कुल संख्या 1221 हस्तगत है या 01 हस्तगत है जलावेत है। व्यवस्था का आवेदन संख्या 122/12 का नाम है।

व्यवस्था व्यवस्था का नाम 122/12, कुल संख्या 1221 हस्तगत है या 01 हस्तगत है जलावेत है। व्यवस्था का आवेदन संख्या 122/12 का नाम है।

20. मेसर्स श्री. रामचंद्र मोदवानी (मोदवानी लखनपुर जिला-संजुना (शिक्षात्मक का नवरी कर्मांक 1354)

संन्यासार्थ आदेशन - श्री. रामचंद्र मोदवानी - एकांक / श्री. रामचंद्र मोदवानी - एकांक / 1-1-1970 / 2020 दिनांक 20/11/2020

व्यवस्था का विवरण - यह एकलिंग व्यवस्था व्यवस्था (श्री. रामचंद्र मोदवानी) व्यवस्था का नाम 122/12, कुल संख्या 1221 हस्तगत है या 01 हस्तगत है जलावेत है। व्यवस्था का आवेदन संख्या 122/12 का नाम है।















पर कृपया उक्त परिशिष्टों से संबंधित जानकारी प्राप्त करने के लिए निम्न सूची के अनुसार संबंधित अधिकारियों से संपर्क करें।

1. नए आवेदन हेतु जिलाधिकारी, जिला प्रशासन के कार्यालय से संपर्क करें। नए आवेदन के लिए, जिला प्रशासन के कार्यालय से संपर्क करें। जिला प्रशासन के कार्यालय से संपर्क करें।
2. पूर्व में आवेदन किया गया आवेदन हेतु जिला प्रशासन के कार्यालय से संपर्क करें। जिला प्रशासन के कार्यालय से संपर्क करें। जिला प्रशासन के कार्यालय से संपर्क करें।
3. जिला प्रशासन के कार्यालय से संपर्क करें। जिला प्रशासन के कार्यालय से संपर्क करें। जिला प्रशासन के कार्यालय से संपर्क करें।
4. जिला प्रशासन के कार्यालय से संपर्क करें। जिला प्रशासन के कार्यालय से संपर्क करें। जिला प्रशासन के कार्यालय से संपर्क करें।
5. जिला प्रशासन के कार्यालय से संपर्क करें। जिला प्रशासन के कार्यालय से संपर्क करें। जिला प्रशासन के कार्यालय से संपर्क करें।
6. जिला प्रशासन के कार्यालय से संपर्क करें। जिला प्रशासन के कार्यालय से संपर्क करें। जिला प्रशासन के कार्यालय से संपर्क करें।

27. मेसर्स श्री डिम्पल (प्रा.) प्रोपर्टी प्राइवेट लिमिटेड, प्लॉट नं. 1, गान्धी नगर, जिला-पल्लिकाना-महाराष्ट्र। आ-पल्लिकाना, सिविलीयन, जिला-पल्लिकाना (सिविलीयन का नक्सा क्र. 1329)

आवेदन संख्या - आवेदन संख्या - एच.ए.ए. / जिला प्रशासन / 1329/2020 दिनांक 23/06/2020। जिला प्रशासन के कार्यालय से संपर्क करें। जिला प्रशासन के कार्यालय से संपर्क करें। जिला प्रशासन के कार्यालय से संपर्क करें।

प्रस्ताव का विवरण - क. प्लॉट नं. 1, गान्धी नगर, जिला-पल्लिकाना-महाराष्ट्र। आ-पल्लिकाना, सिविलीयन, जिला-पल्लिकाना (सिविलीयन का नक्सा क्र. 1329)।

(अ) अधिदेवी की तारीखें नक्शा दिनांक 02/08/2020। अधिदेवी की तारीखें नक्शा दिनांक 02/08/2020। अधिदेवी की तारीखें नक्शा दिनांक 02/08/2020।







8. जहाँ से आवेदिता उत्पन्न हो सकेगी उसे राज्य सरकार द्वारा प्रमाणित किया जायेगा।  
 (अ) यदि आवेदिता में कोई त्रुटि पायी जाएगी तो आवेदिता को अस्वीकार कर दिया जायेगा।  
 (ब) यदि आवेदिता में कोई त्रुटि पायी जाएगी तो आवेदिता को अस्वीकार कर दिया जायेगा।

9. आवेदिता में आवेदिता को प्रमाणित करने के लिए आवेदिता को प्रमाणित किया जायेगा।

10. आवेदिता को प्रमाणित करने के लिए आवेदिता को प्रमाणित किया जायेगा।

11. आवेदिता को प्रमाणित करने के लिए आवेदिता को प्रमाणित किया जायेगा।

12. आवेदिता को प्रमाणित करने के लिए आवेदिता को प्रमाणित किया जायेगा।

**21. प्रमुख भी बनीं जायसवाल (निर्देशीय आर्द्धवरी स्थान अथवा माहंन),  
 गान-नसीती, सहायित-सहायता, गिरा-सोपिया (सहायक या गनी द्याक  
 1179)**

अंतिमकृत आदेशन ... 2020 ... 2020

प्रस्ताव का निवेदन ... 2020 ... 2020

गैर-...

(अ) अधिनियम की प्रकृति नमक दिनांक 02/00/2020:

समिति द्वारा प्रस्तुत की गयीं एवं प्रस्तुत अन्तर्गत या अधिनियम विचार विमर्श  
 समिति द्वारा प्रस्तुत से विस्तारपूर्वक विचार किया गया-

जहाँ से आवेदिता उत्पन्न हो सकेगी उसे राज्य सरकार द्वारा प्रमाणित किया जायेगा।  
 (अ) यदि आवेदिता में कोई त्रुटि पायी जाएगी तो आवेदिता को अस्वीकार कर दिया जायेगा।  
 (ब) यदि आवेदिता में कोई त्रुटि पायी जाएगी तो आवेदिता को अस्वीकार कर दिया जायेगा।

13. यदि आवेदिता में कोई त्रुटि पायी जाएगी तो आवेदिता को अस्वीकार कर दिया जायेगा।

















उसके अंतर्गत प्रस्ताव - अतिरिक्त - को सम्बन्धित किया जाना चाहिए। इस प्रस्ताव को अंतिम रूप में प्रस्तुत किया जाए।

परिचालन प्रस्तावों का अनुसूचित स्थिति किया जाए,

4. पेंशन को वन्य अनुमान द्वारा (स्टोन माईन वीफ मैनिंग पेंशन), पाम गोरी, अमरीस जगपुर नगर, जिला-जगपुर (समिति) का नवीनीकरण (1921)

अनुमानित आवेदन - नवीनीकरण - 2020/21, 2021/22, 2022/23, दिनांक 04/02/2020

प्रस्ताव का विवरण - यह एक ही अनुमानित प्रस्ताव है जो कि अतिरिक्त, अतिरिक्त के अंतर्गत - पाम गोरी, अमरीस जगपुर नगर, जिला-जगपुर (समिति) का नवीनीकरण के लिए प्रस्तावित है। अतिरिक्त के अंतर्गत - पाम गोरी, अमरीस जगपुर नगर - 2020/21 का प्रस्ताव है।

बैंकों का विवरण -

(क) समिति की 309वीं बैठक दिनांक 04/02/2020:

समितियों द्वारा प्रस्ताव की गयी एक अनुसूचित प्रस्तावों का अंतिम रूप में अंतिम निर्णय के अनुसार निर्णय लिया गया था-

1. बैंक को ले कर एक अनुमानित प्रस्तावित माना जो अतिरिक्त के अंतर्गत प्रस्तावित किया गया है प्रस्तावित है।
2. अतिरिक्त प्रस्ताव, अतिरिक्त, पाम गोरी जगपुर नगर, अतिरिक्त, अतिरिक्त के अंतर्गत दिनांक 04/02/2020 के अनुसार अतिरिक्त 2020/21 के अंतर्गत प्रस्तावित किया गया है।
3. अतिरिक्त प्रस्ताव को अतिरिक्त प्रस्ताव द्वारा अतिरिक्त / अतिरिक्त प्रस्ताव अतिरिक्त के अंतर्गत अतिरिक्त प्रस्ताव के अंतर्गत प्रस्तावित किया गया है।

अतिरिक्त अतिरिक्त एवं अतिरिक्त प्रस्तावों को अतिरिक्त, अतिरिक्त के अंतर्गत दिनांक 04/02/2020 का अनुसूचित प्रस्तावित किया गया।

(ख) समिति की 310वीं बैठक दिनांक 21/02/2020:

अनुमानित प्रस्ताव को अतिरिक्त प्रस्ताव द्वारा अतिरिक्त प्रस्तावित किया गया है। अतिरिक्त के अंतर्गत प्रस्तावों का अंतिम रूप में अंतिम निर्णय के अनुसार निर्णय लिया गया था-

1. पाम गोरी का अतिरिक्त प्रस्ताव अतिरिक्त के अंतर्गत प्रस्तावित किया गया है। दिनांक 04/02/2020 का अतिरिक्त प्रस्ताव अतिरिक्त प्रस्तावित किया गया है।
2. अतिरिक्त प्रस्ताव - अतिरिक्त प्रस्ताव अतिरिक्त प्रस्तावित किया गया है जो अतिरिक्त प्रस्ताव अतिरिक्त प्रस्ताव के अंतर्गत प्रस्तावित किया गया है। दिनांक 04/02/2020 के अंतर्गत प्रस्तावित किया गया है।
3. 500 पीएच को अतिरिक्त प्रस्ताव अतिरिक्त प्रस्तावित किया गया है। दिनांक 04/02/2020 के अंतर्गत प्रस्तावित किया गया है।

10/2/20









अनुसार डिपॉजिटिव रेकर्ड सम्पूर्ण हुआ था तथा टैक्स लिस्ट 300 को  
एन. नं. 100000 का टैक्स देना है। डिपॉजिटिव रेकर्ड का टैक्स देना है। टैक्स देना  
अयोग्यता नहीं है। टैक्स देना है। टैक्स देना है। टैक्स देना है। टैक्स देना है।

3. मीडिया (Corporate Enquiry and Responsibility) का मीडिया मीडिया मीडिया  
के द्वारा है।

संविदा द्वारा विचार विमर्श द्वारा सम्मति से निम्नानुसार निर्णय किया  
गया कि उपरोक्त सी.ए. के अनुसार पूर्व में ज्ञान परियोजना के द्वारा  
प्राप्त की गई जानकारी को जनसम्पर्क सेवा से प्राप्त करने हेतु उपरोक्त परियोजना  
द्वारा प्राप्त की जाएगी और वही जानकारी जनसम्पर्क सेवा को उपलब्ध कराई जाएगी।

उपरोक्त निर्णय संसद सदस्य को उपरोक्त सूचित किया गया।

6. चेनारिया लॉज हॉलिंग पब्लिक लिमिटेड (शामियन नौपन कास्ट गोलोवली,  
शान-कावला, चक्रवर्ती-गाली, जिला-काठमांडू (राजधानी का नगरी कर्माक  
470)

आनताईन आनताईन के द्वारा निर्णय किया गया कि 2019 के लिए  
निर्णय किया है। निर्णय किया है। निर्णय किया है। निर्णय किया है। निर्णय किया है। निर्णय किया है।

उक्ताने का विवरण - यह प्रस्तावित निर्णय ज्ञान के लिए निर्णय किया है।  
शान-कावला चक्रवर्ती-गाली, जिला-काठमांडू द्वारा निर्णय किया है। निर्णय किया है। निर्णय किया है। निर्णय किया है। निर्णय किया है।

उक्ताने के निर्णय के द्वारा निर्णय किया गया कि 2019 के लिए निर्णय किया है। निर्णय किया है। निर्णय किया है। निर्णय किया है। निर्णय किया है। निर्णय किया है।

निर्णय का विवरण -

(अ) निर्णय का निर्णय किया गया कि 13/05/2019

निर्णय द्वारा निर्णय किया गया कि निर्णय किया गया कि निर्णय किया गया कि निर्णय किया गया कि निर्णय किया गया कि निर्णय किया गया कि

1. निर्णय किया गया कि निर्णय किया गया कि निर्णय किया गया कि निर्णय किया गया कि निर्णय किया गया कि निर्णय किया गया कि
2. निर्णय किया गया कि निर्णय किया गया कि निर्णय किया गया कि निर्णय किया गया कि निर्णय किया गया कि निर्णय किया गया कि
3. निर्णय किया गया कि निर्णय किया गया कि निर्णय किया गया कि निर्णय किया गया कि निर्णय किया गया कि निर्णय किया गया कि
4. निर्णय किया गया कि निर्णय किया गया कि निर्णय किया गया कि निर्णय किया गया कि निर्णय किया गया कि निर्णय किया गया कि













4. परिचयना प्रस्तावक को अपरिष्कृत प्रस्ताव / जानकारी / संशोधित (अपूरण-संशोधनात्मक) के साथ अपरिष्कृत माह को देना ये प्रस्तुतीकरण दिने नहीं है। विवेकिय विचारना।

परिष्कृत प्रतिपत्रक एवं परिचयना प्रस्ताव को एस३एसी, जलीशगर के अधिन दिनांक 15/02/2020 द्वारा परस्तुतीकरण हेतु सुचित किया गया।

(ब) समिति की 318वीं बैठक दिनांक 02/07/2020।

परस्तुतीकरण हेतु की विवेकिय सुचारु माह, प्रोन्नत हेतु, उपलब्ध है। अपने 318 वीं बैठक में कि प्रस्तुतीकरण हेतु दक्षिण जंगलवादी सुचारु होने का कारण से समिति के समस्त सदस्य में प्रस्तुतीकरण किया जाना उचित नहीं है। उक्त जानकारी माह को अन्यायिक दिक् में समय प्रदान करने हेतु अनुसूचित किया गया।

समिति द्वारा तत्समय सर्वसम्मति से निर्णय लिये गया था कि परिचयना प्रस्तावक को अपरिष्कृत माह को अन्यायिक दिक् में सुचारु हेतु दक्षिण जंगलवादी को प्रस्तुतीकरण प्रदान करना उचित नहीं है।

परिष्कृत परिचयना प्रस्तावक को एस३एसी, जलीशगर के अधिन दिनांक 09/08/2020 द्वारा परस्तुतीकरण हेतु सुचित किया गया।

(स) समिति की 320वीं बैठक दिनांक 14/05/2020:

परस्तुतीकरण हेतु कोई भी परिचयना उपलब्ध नहीं है। समिति द्वारा तत्समय सर्वसम्मति से निर्णय लिये गया था कि परिचयना प्रस्तावक द्वारा दक्षिण जंगलवादी को प्रस्तुतीकरण प्रदान करने का कारण से समिति को नहीं है।

परिचयना प्रस्तावक को एस३एसी, जलीशगर के अधिन दिनांक 02/02/2020 द्वारा जानकारी/प्रस्ताव को प्रस्तुतीकरण हेतु सुचित किया गया। परिचयना प्रस्तावक द्वारा अपरिष्कृत माह को प्रस्तुतीकरण प्रदान करने का कारण से समिति को नहीं है।

परिचयना प्रस्तावक को एस३एसी, जलीशगर के अधिन दिनांक 21/03/2020 द्वारा परस्तुतीकरण हेतु सुचित किया गया।

(द) समिति की 323वीं बैठक दिनांक 09/07/2020:

परस्तुतीकरण हेतु की विवेकिय सुचारु माह, अपरिष्कृत प्रस्ताव उपलब्ध है। अपने 323 वीं बैठक में कि प्रस्तुतीकरण प्रदान करने का कारण से समिति को नहीं है।

1. माह प्रस्तावक को अन्यायिक दिक् में प्रदान करने का कारण से समिति को नहीं है। 31/05/2019 को अन्यायिक दिक् में प्रदान किया गया।

2. प्रस्तुतीकरण प्रदान करने का कारण से समिति को नहीं है। जो कि तत्समय में प्रस्तुतीकरण को प्रदान करने का कारण से समिति को नहीं है। 21/07/2020 को प्रस्तुतीकरण प्रदान करने का कारण से समिति को नहीं है। 23/05/2020 द्वारा प्रस्तुतीकरण प्रदान करने का कारण से समिति को नहीं है।

3. एस३एसी की विवेकिय सुचारु माह - प्रस्तावक को प्रदान करने का कारण से समिति को नहीं है। 02/08/2020 को प्रदान करने का कारण से समिति को नहीं है। 12/07/2019

15/07/2020





सूखे से प्रभावित क्षेत्र	422	1	422	
सूखे से प्रभावित क्षेत्र	338	1	338	4,74,000
सूखे से प्रभावित क्षेत्र	422	1	422	
सूखे से प्रभावित क्षेत्र	338	1	338	4,74,000

1. जल आपूर्ति - संरचना हेतु आवश्यक मात्रा के अलावा 25 परसेंट प्रतियोगिता के तहत जल की आपूर्ति को बढ़ावा देने के लिए है। जहाँ आवश्यकता है वहाँ आवश्यक मात्रा में आपूर्ति होगी। जहाँ आवश्यकता है वहाँ आवश्यक मात्रा में आपूर्ति होगी।
2. बुनियादी ढांचा कार्य - सड़क क्षेत्र को सड़क से जोड़ने और नदी क्षेत्र का विकास के लिए बुनियादी ढांचा कार्य करना।
3. सूखे से जारी सामाजिक कठिनाई को संभालने के लिए
  - a. जल आपूर्ति के सूखे से प्रभावित क्षेत्रों में नदी क्षेत्रों में है।
  - b. जल की कमी से निपटारे के लिए आवश्यक बुनियादी ढांचा कार्य करना।
4. कॉर्पोरेट पर्यावरणीय जवाबदारी (CER) - भारत सरकार पर्यावरण, जल और जलवायु परिवर्तन विभाग, नई दिल्ली का निर्देश दिनांक 21/07/2015 में अंग्रेजी में है। (Corporate Environmental Responsibility) को ध्यान में रखकर जल क्षेत्र में जल संकट को निवारित करने के लिए आवश्यक बुनियादी ढांचा कार्य करना है।

Capital Investment (in Lakh Rupees)	Percentage of Capital Investment to be Spent	Amount Required for CER Activities (in Lakh Rupees)	Amount Proposed & Details for CER Activities (in Lakh Rupees)	
			Particulars	CER Fund Allocation (in Lakh Rupees)
21.8	9%	2.04	Funding details for CER activities -	
			Village - Sunderpur	
			Rain Harvesting system	0.75
			Public Drinking Water provision	0.5
			Total	1.25

समिति द्वारा निम्नलिखित कार्यवाही से निम्नानुसार निर्णय किया गया था:-

1. संकट क्षेत्रों में जल की आवश्यकता को पूरा करने के लिए आवश्यक बुनियादी ढांचा कार्य करना।
2. जल निरीक्षण के लिए आवश्यक बुनियादी ढांचा कार्य (Corporate Environmental Responsibility) को ध्यान में रखकर जल क्षेत्र में जल संकट को निवारित करने के लिए आवश्यक बुनियादी ढांचा कार्य करना।
3. पर्यावरण प्रभावों को ध्यान में रखकर जल क्षेत्र में जल संकट को निवारित करने के लिए आवश्यक बुनियादी ढांचा कार्य करना।

एडवोकेट सी.जी.सिंह जी ३३वीं बैठक दिनांक ०४/०१/२०२० के निर्देश पर अधिकांश प्रस्ताव प्राप्त दिनांक २६/०६/२०२० को सम्पन्न हो, अन्ततः प्रस्ताव खिंचे गये हैं।

(2) समिति की ३३वीं बैठक दिनांक २२/०९/२०२०।

समिति द्वारा गरीब, अशुभ जातवादी के अन्तर्गत एवं पीछे रह गये न कि-  
रहित गढ़ें गरीब-

1. कार्यक्रम कार्यक्रम (प्रति माह) किया-अनुसूचित के अन्तर्गत २०११/२०१२/२०१३/२०१४/२०१५/२०१६/२०१७/२०१८/२०१९/२०२० दिनांक २४/०१/२०२० प्राप्त दिनांक वर्ष के कि. म. अन्तर्गत की प्रस्तावित मात्रा को जाननी प्रस्ताव की प्रकृति

वर्ष	अनुसूचित कुट (मं.)	अनुसूचित कुट (अनुसूचित)
२०११	१००	१००
२०१२	१००	१००
२०१३	१००	१००
२०१४	१००	१००
२०१५	१००	१००
२०१६	१००	१००
२०१७	१००	१००
२०१८	१००	१००
२०१९	१००	१००
कुल २०११ तक	१०००	१०००

2. अनुसूचित जाति के अन्तर्गत (अनुसूचित जाति) अनुसूचित जाति के अन्तर्गत प्रस्तावित मात्रा को जाननी

3. अनुसूचित जाति के अन्तर्गत (अनुसूचित जाति) अनुसूचित जाति के अन्तर्गत प्रस्तावित मात्रा को जाननी

a) Funding for the EWP and therefore, Public consultation for all areas from 5 to 20 ha of the area under the project to be at the rate of Rs. 1000 per ha by SEAD / SEAD as well as for other situation where ever it is not available.

b) For other area individual case also provided for the EWP to make up to 1000 in the amount of general program amount of Rs. 1000000

समिति द्वारा निम्न गैर-अनुसूचित जाति के अन्तर्गत निर्माण किया गया-

1. अनुसूचित जाति के अन्तर्गत (अनुसूचित जाति) अनुसूचित जाति के अन्तर्गत प्रस्तावित मात्रा को जाननी

*(Handwritten signature)*



एक विभाग एवं अन्तर्गत एक वि.सं. क्षेत्र के क्षेत्रगत क्षेत्रों के तहत की सुची है।

5. **पारिस्थितिकीय/संवर्धनकारी/संवर्धनकारी क्षेत्र** - पारिस्थितिकीय पर्यावरण मानक 10 कि.मी तहत तद्विधि से अंतरराष्ट्रीय योग्य इलाकों के तहत 2007-08, संघीय गुरुकुल विद्यालय नाम संघ संघीय विद्यालय पेंडुपेटे, सेकेंड, परिशिष्टाधिकार संवर्धनकारी क्षेत्र में संघीय संवर्धनकारी क्षेत्र किताब नहीं बना करे के तहत किया है।
6. **सामाजिक विवरण** - सौ = सामाजिक संशोधन के तहत बना है। सौ = अंतर राष्ट्रीय संघीय से नाम संघ संघीय क्षेत्र में तहत 2007-08/2008-09 को निर्धारित की गई है। सौ = अंतर राष्ट्रीय संघीय से नाम संघ संघीय क्षेत्र में तहत 2007-08/2008-09 को निर्धारित की गई है।
7. **समान संघीय एवं असमान संघीय विवरण** - सामाजिक/संघीय क्षेत्र 9,28,230 एवं सामाजिक क्षेत्र 4,04,756 का है। सामाजिक क्षेत्र के तहत क्षेत्र 76 मोटर (1,378 इंच) है। सौ = अंतर राष्ट्रीय संघीय से नाम संघ संघीय क्षेत्र में तहत 2007-08/2008-09 को निर्धारित की गई है। सामाजिक क्षेत्र में तहत 2007-08/2008-09 को निर्धारित की गई है।

वित्तीय वर्ष	वार्षिक व्यय (रु.)	निष्पीडन रु.	वार्षिक व्यय (रु.)
1994-1997	130	2019-2020	15,800
1997-1999	220	2021-2022	11,750
1999-2000	20	2023-2024	14,415
2000-2001	50	2025-2026	21,450
2001-2002	200	2027-2028	2,500
2002-2003	2,000	2029-2030	2,500
2003-2004	90	2031-2032	20,500
2004-2005	10	2033-2034	22,250
2005-2006	21	2035-2036	22,500
2006-2007	15	2037-2038	निष्प
2007-2008	0,900	2039-2040	निष्प













1. उद्योग नियंत्रण हेतु जल विद्युत वट्ट इकाईयों का व्यवस्था की जाएगी।
2. विद्युत क्षेत्रों/यूनिटों का नियंत्रण का अधिकतम एक स्वीडिश कंपनी का होना आवश्यक है।
3. उद्योग नियंत्रण हेतु उद्योगों में व्यवस्था की जाएगी।
4. उद्योगों में जल वट्टों की व्यवस्था की जाएगी।
5. उद्योगों में जल वट्टों की व्यवस्था की जाएगी।
6. उद्योगों में जल वट्टों की व्यवस्था की जाएगी।
7. उद्योगों में जल वट्टों की व्यवस्था की जाएगी।

समिति द्वारा सहाय्य एवं सुझावों को विचारानुसार निर्धारित किया गया था:-

1. यू.ए. समिति की शर्तों के तहत विद्युत वट्टों/इकाईयों की परामर्शदाता के विशेषज्ञों के माध्यम से उद्योगों में व्यवस्था की जाएगी।
2. उद्योगों में जल वट्टों के माध्यम से जल वट्टों की व्यवस्था की जाएगी।
3. उद्योगों में जल वट्टों के माध्यम से जल वट्टों की व्यवस्था की जाएगी।
4. उद्योगों में जल वट्टों के माध्यम से जल वट्टों की व्यवस्था की जाएगी।
5. उद्योगों में जल वट्टों के माध्यम से जल वट्टों की व्यवस्था की जाएगी।
6. उद्योगों में जल वट्टों के माध्यम से जल वट्टों की व्यवस्था की जाएगी।
7. उद्योगों में जल वट्टों के माध्यम से जल वट्टों की व्यवस्था की जाएगी।



४. रीक्रेडेशन (Recreation) का प्रवर्द्ध किया जाए।

५. तीसरी श्रेणी के शीशु के शिक्षण तक शिक्षण नीति मद्रास में शुरू की जायेगी। ३७१ - ४०० के अन्तर्गत ३७१ - ४०० के अन्तर्गत में सुधारण एवं ८७०१ का प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाये।

अंशिक - अंशिक रूप से ई.नर्सिंग विभाग में समावेश कर दिनांक १३/०५/२०२० को प्रस्तुत किया गया है।

(३) सन्धि की ३२६वीं बैठक दिनांक २३/०५/२०२०

सन्धि द्वारा जारी प्रस्तुत जानकारी का ऊ.लोक एम.सी.एम. अपने २२ दिनांक २३/०५/२०२०

१. अंशिक रूप से अंशिक रूप से ई.नर्सिंग विभाग में समावेश कर दिनांक १३/०५/२०२० को प्रस्तुत किया गया है।

२. तीसरी श्रेणी के शीशु के शिक्षण तक शिक्षण नीति मद्रास में शुरू की जायेगी। ३७१ - ४०० के अन्तर्गत ३७१ - ४०० के अन्तर्गत में सुधारण एवं ८७०१ का प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाये।

३. अंशिक रूप से अंशिक रूप से ई.नर्सिंग विभाग में समावेश कर दिनांक १३/०५/२०२० को प्रस्तुत किया गया है।

सन्धि द्वारा जारी प्रस्तुत जानकारी का ऊ.लोक एम.सी.एम. अपने २२ दिनांक २३/०५/२०२० को प्रस्तुत किया गया है।

अंशिक रूप से अंशिक रूप से ई.नर्सिंग विभाग में समावेश कर दिनांक १३/०५/२०२० को प्रस्तुत किया गया है।

(३) सन्धि की ३२६वीं बैठक दिनांक २३/०५/२०२०

सन्धि द्वारा जारी प्रस्तुत जानकारी का ऊ.लोक एम.सी.एम. अपने २२ दिनांक २३/०५/२०२० को प्रस्तुत किया गया है।

१. अंशिक रूप से अंशिक रूप से ई.नर्सिंग विभाग में समावेश कर दिनांक १३/०५/२०२० को प्रस्तुत किया गया है।

२. तीसरी श्रेणी के शीशु के शिक्षण तक शिक्षण नीति मद्रास में शुरू की जायेगी। ३७१ - ४०० के अन्तर्गत ३७१ - ४०० के अन्तर्गत में सुधारण एवं ८७०१ का प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाये।

३. अंशिक रूप से अंशिक रूप से ई.नर्सिंग विभाग में समावेश कर दिनांक १३/०५/२०२० को प्रस्तुत किया गया है।

४. तीसरी श्रेणी के शीशु के शिक्षण तक शिक्षण नीति मद्रास में शुरू की जायेगी। ३७१ - ४०० के अन्तर्गत ३७१ - ४०० के अन्तर्गत में सुधारण एवं ८७०१ का प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाये।

५. अंशिक रूप से अंशिक रूप से ई.नर्सिंग विभाग में समावेश कर दिनांक १३/०५/२०२० को प्रस्तुत किया गया है।





4. महत्वपूर्णता बताने वाले कार्यों—

1. उक्त अधिनियम के अंतर्गत कार्यवाही के लिए आवश्यक मानकों का पालन सुनिश्चित नहीं करता है इसलिए कि उक्त अधिनियम के अंतर्गत कार्यवाही के लिए आवश्यक मानकों का पालन सुनिश्चित नहीं करता है इसलिए कि उक्त अधिनियम के अंतर्गत कार्यवाही के लिए आवश्यक मानकों का पालन सुनिश्चित नहीं करता है...

2. परिभाषित प्रमाण द्वारा Environmental Compensation को निर्धारित किया जा सकता है...

Environmental Compensation  
 Formula  
 EC = Environmental compensation in Rs.  
 PI = Pollution Index of Industrial Sector  
 N = Number of days of operation (working days)  
 D = Distance in Km from  
 S = Factor for scale of operation  
 L = Location Factor

$Environmental\ Compensation = PI \times N \times D \times S \times L$

$N = 250 \text{ (Days of operation) / No. of days of operation}$

$= (250 \times 20400) / 40000 = 1270$

$Environmental\ Compensation = 1270 \times 290000 \times 0.5 = Rs. 1,86,25,000/-$

1. उक्त अधिनियम के अंतर्गत कार्यवाही के लिए आवश्यक मानकों का पालन सुनिश्चित नहीं करता है इसलिए कि उक्त अधिनियम के अंतर्गत कार्यवाही के लिए आवश्यक मानकों का पालन सुनिश्चित नहीं करता है...

2. परिभाषित प्रमाण द्वारा Environmental Compensation को निर्धारित किया जा सकता है...

*[Signature]*











बन्धन में रखे जाने का अधिकार प्राप्त करने के अति अतिम 1988 में भारत सरकार अधिनियम 57 द्वारा एक नया अधिनियम संसद में पेश किया गया था जिसमें एक नया अनुच्छेद (15) जोड़ा गया था जिससे कि भारत सरकार को अधिकार प्राप्त हुआ कि वह अपने अधिकारों के अंतर्गत एक अधिनियम संसद में पेश करे जो कि भारत सरकार द्वारा पेश किए गए अधिनियम के अंतर्गत लागू हो सकेगा।

24/08/2018 अन्तिम 57 दिनांक 24/08/2018 को अधिनियम 57 में संशोधन किया गया जो कि अधिनियम संसद में पेश किया गया था जिसमें एक नया अनुच्छेद (15) जोड़ा गया था जिससे कि भारत सरकार को अधिकार प्राप्त हुआ कि वह अपने अधिकारों के अंतर्गत एक अधिनियम संसद में पेश करे जो कि भारत सरकार द्वारा पेश किए गए अधिनियम के अंतर्गत लागू हो सकेगा।

**बैठकों का विवरण -**

(अ) समिति की 330वीं बैठक दिनांक 24/08/2018।

समिति द्वारा चर्चा करने के लिए भारत सरकार या अन्य संस्थाओं से प्राप्त हुए अधिनियम संसद में पेश किए जाने का फैसला हुआ।

**1. अधिनियम संसद में पेश करने का विवरण -**

i) एक एक नया अधिनियम संसद में पेश करने का फैसला किया गया है। 1. अधिनियम संसद में पेश करने के लिए भारत सरकार द्वारा पेश किए गए अधिनियम संसद में पेश किए जाने का फैसला किया गया है। 2. अधिनियम संसद में पेश करने के लिए भारत सरकार द्वारा पेश किए गए अधिनियम संसद में पेश किए जाने का फैसला किया गया है।

ii) अधिनियम संसद में पेश करने के लिए भारत सरकार द्वारा पेश किए गए अधिनियम संसद में पेश किए जाने का फैसला किया गया है। 3. अधिनियम संसद में पेश करने के लिए भारत सरकार द्वारा पेश किए गए अधिनियम संसद में पेश किए जाने का फैसला किया गया है। 4. अधिनियम संसद में पेश करने के लिए भारत सरकार द्वारा पेश किए गए अधिनियम संसद में पेश किए जाने का फैसला किया गया है।

**समिति द्वारा चर्चा करने के लिए भारत सरकार से प्राप्त हुए अधिनियम संसद में पेश किए जाने का फैसला किया गया है -**

1. भारत सरकार, पंचायत राज सेवा आयोग अधिनियम संसद में पेश करने के लिए भारत सरकार द्वारा पेश किए गए अधिनियम संसद में पेश किए जाने का फैसला किया गया है।
2. परिभाषा अधिनियम संसद में पेश करने के लिए भारत सरकार द्वारा पेश किए गए अधिनियम संसद में पेश किए जाने का फैसला किया गया है।

अन्तिम 57 दिनांक 24/08/2018 को अधिनियम संसद में पेश किया गया है।

(अ) समिति की 330वीं बैठक दिनांक 24/08/2018।

समिति द्वारा चर्चा करने के लिए भारत सरकार या अन्य संस्थाओं से प्राप्त हुए अधिनियम संसद में पेश किए जाने का फैसला किया गया है।

1. परिचालन- उपरोक्त द्वारा बताया गया कि जलदा से मार्च 2016 तक 1372 टन एवं वर्ष 2018-19 में 1200 टन अनाजन विपणन मात्र है। अनुमान है 2019-20 में 1200 टन है।
2. जीए सेक्टर के वॉरेंटों के तहत जीए सेक्टर में कुल 210 टन अनाजन किया गया है।
3. प्रस्तुत पत्रिका के अंतर्गत बिंदु 10 के तहत 2018 में सेक्टर में 210 टन अनाजन अनुमान 'The generated top soil will be utilized for plantation on the 1000 sq.m. area around the gate and dump area (5000 sq.m.) around the gate area (2200 sq.m.) and the height of the soil dump will be around 1100 mm. and the total area of 1000 sq.m. (including approx. 20% water surface for watering and growth of topsoil) will be maintained as 2500 sq.m.' द्वारा बताया गया है। अर्थात् अनुमान मात्र जीए सेक्टर में 210 टन अनाजन है। अनाजन के प्रतिकूल नहीं है।
4. प्रस्तुत प्रस्ताविका में बिंदु 10 के तहत अनुमान 210 टन अनाजन (2500 sq.m.) द्वारा बताया गया है।
  - अतिरिक्त अनुमानों से अनुमान परिवर्तित मात्र से अनुमान 210 टन अनाजन (2500 sq.m.) बताया गया है। जो कि विचारित मात्र से अधिक है।
  - अनुमान अर्थात् सेक्टर में अनाजन के लिए कुल 210 टन अनाजन के अनुमान से अनुमान 210 टन अनाजन की मात्रा को ध्यान में रखते हुए अनुमान 210 टन अनाजन से अनुमान 210 टन अनाजन है।
5. परिचालन उपरोक्त द्वारा भी ई.आर. (Separate Environment Responsibility) का विचार प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है। अनाजन का नाम मात्र है। अनाजन के विचार प्रस्ताव नहीं किया गया है।
6. अनुमान 210 टन अनाजन अनुमान 210 टन अनाजन अनुमान 210 टन अनाजन है।
7. परिचालन अनुमान 210 टन अनाजन अनुमान 210 टन अनाजन अनुमान 210 टन अनाजन है।
8. अनुमान 210 टन अनाजन अनुमान 210 टन अनाजन अनुमान 210 टन अनाजन है।
9. अनुमान 210 टन अनाजन अनुमान 210 टन अनाजन अनुमान 210 टन अनाजन है।
10. अनुमान 210 टन अनाजन अनुमान 210 टन अनाजन अनुमान 210 टन अनाजन है।
11. अनुमान 210 टन अनाजन अनुमान 210 टन अनाजन अनुमान 210 टन अनाजन है।
12. अनुमान 210 टन अनाजन अनुमान 210 टन अनाजन अनुमान 210 टन अनाजन है।

*(Signature)*

हाना उसीसे मान्यता का स्थान प्राप्त होगा। उससे शान्ति, विकास, शांति - प्राप्त होगा। आज भारत को युवा जनसंख्या के अभाव में विकास की संभावना नहीं मिलेगी। इससे ही विकास की संभावना नहीं मिलेगी। इससे ही विकास की संभावना नहीं मिलेगी।

- i) प्राथमिकता के अभाव में सशिक्षित जनसंख्या को ही रोजगार दिया जा सकता है।
- ii) अभाव में मातृ एवं पाली प्रत्यक्ष को विचार देना चाहिए। अभाव को निर्धारित निकायों के माध्यम से ही संभाला जा सकता है।
- iii) अभावों में जोड़ में आसानी नहीं मिलेगी। अभाव में ही जोड़ में आसानी नहीं मिलेगी। अभाव में ही जोड़ में आसानी नहीं मिलेगी।
- iv) अभावों में जोड़ में आसानी नहीं मिलेगी। अभाव में ही जोड़ में आसानी नहीं मिलेगी। अभाव में ही जोड़ में आसानी नहीं मिलेगी।

सोम सुनवाई के दौरान उभारते नये विषय मुद्दों के निष्कासन की दिशा में परिवर्तन आवश्यक है। अंत में अभावों को समाप्त करने के लिए आवश्यक है।

1. अभावों को समाप्त करने के लिए आवश्यक है। अभावों को समाप्त करने के लिए आवश्यक है।
2. अभावों को समाप्त करने के लिए आवश्यक है। अभावों को समाप्त करने के लिए आवश्यक है।
3. अभावों को समाप्त करने के लिए आवश्यक है। अभावों को समाप्त करने के लिए आवश्यक है।
4. अभावों को समाप्त करने के लिए आवश्यक है। अभावों को समाप्त करने के लिए आवश्यक है।
5. अभावों को समाप्त करने के लिए आवश्यक है। अभावों को समाप्त करने के लिए आवश्यक है।
6. अभावों को समाप्त करने के लिए आवश्यक है। अभावों को समाप्त करने के लिए आवश्यक है।
7. अभावों को समाप्त करने के लिए आवश्यक है। अभावों को समाप्त करने के लिए आवश्यक है।
8. अभावों को समाप्त करने के लिए आवश्यक है। अभावों को समाप्त करने के लिए आवश्यक है।
9. अभावों को समाप्त करने के लिए आवश्यक है। अभावों को समाप्त करने के लिए आवश्यक है।
10. अभावों को समाप्त करने के लिए आवश्यक है। अभावों को समाप्त करने के लिए आवश्यक है।

संक्षेप में अभाव समाप्त करने के लिए आवश्यक है। अभावों को समाप्त करने के लिए आवश्यक है।

1. अभावों को समाप्त करने के लिए आवश्यक है। अभावों को समाप्त करने के लिए आवश्यक है।
2. अभावों को समाप्त करने के लिए आवश्यक है। अभावों को समाप्त करने के लिए आवश्यक है।



1. परिवोजना परामर्शक द्वारा उक्त शक्ति केन्द्रों परामर्श नही की गई है।
2. जीए केव के बॉय और डा. नीला शेट्टी के अलावा अन्य में परिवोजना विद्यार्थी की उक्त शक्ति का परामर्श प्रदान किया गया है।
3. परामर्शक परामर्शक द्वारा उक्त शक्ति केन्द्रों के विद्यार्थी के अलावा अन्य में परामर्श प्रदान किया गया है।

समितियों द्वारा उत्तम सर्वशक्ति से निर्माण किया गया है। परिवोजना परामर्शक की आवासीय गृह के आवासीय केन्द्र में उक्त शक्ति केन्द्रों परामर्श प्रदान किया गया है।

परामर्शक परिवोजना परामर्शक को एलईएस, उक्त शक्ति के अलावा अन्य में परामर्श प्रदान किया गया है।

(2) समिति की 232वीं बैठक दिनांक 03/07/2021

परामर्शक द्वारा उक्त शक्ति केन्द्रों के अलावा अन्य में परामर्श प्रदान किया गया है।

1. परिवोजना परामर्शक द्वारा उक्त शक्ति केन्द्रों परामर्श नही की गई है।
2. जीए केव के बॉय और डा. नीला शेट्टी के अलावा अन्य में परिवोजना विद्यार्थी की उक्त शक्ति का परामर्श प्रदान किया गया है।
3. परामर्शक परामर्शक द्वारा उक्त शक्ति केन्द्रों के विद्यार्थी के अलावा अन्य में परामर्श प्रदान किया गया है।
4. उक्त शक्ति केन्द्रों के विद्यार्थी के अलावा अन्य में परामर्श प्रदान किया गया है।
5. परामर्शक परामर्शक द्वारा उक्त शक्ति केन्द्रों के विद्यार्थी के अलावा अन्य में परामर्श प्रदान किया गया है।
6. परिवोजना परामर्शक द्वारा उक्त शक्ति केन्द्रों के विद्यार्थी के अलावा अन्य में परामर्श प्रदान किया गया है।



















वित्तीय वर्ष	मासताहिक उत्पन्न (रुप)	वित्तीय वर्ष	मासताहिक उत्पन्न (रुप)
1995-1997	120	2008-2009	16,200
1997-1998	2,000	2009-2010	25,200
1998-1999	675	2010-2011	32,200
1999-2000	2,500	2011-2012	19,500
2000-2001	1,750	2012-2013	18,200
2001-2002	2,000	2013-2014	25,000
2002-2003	2,450	2014-2015	32,000
2003-2004	3,075	2015-2016	16,500
2004-2005	4,200	2016-2017	निम्न
2005-2006	3,975	2017-2018	निम्न
2006-2007	4,500	2018-2019	निम्न
2007-2008	18,200		

### उत्पन्न की वर्षवार प्रस्तावित योजना

वित्तीय वर्ष	संग्रहित उत्पन्न (रुप करोड़)	उत्पन्न उपार (रुप)	सिमेंट (रुप)
2016-2017	15,100	37,000	18.1
2017-2018	18,100	40,000	18.5
2018-2019	18,000	40,000	18.0
2019-2020	17,000	40,000	19.7
2020-2021	18.12	40,000	18.0

नोट: 1. सिमेंट की उपाय योजना में 2019 के उत्पादन में 18.0 प्रतिशत है।

2. पूरे ही जारी प्रस्तावित स्वीकृति संबंधी विवरण पूर्व में प्रस्तुत किया जा चुका है।

इसके अलावा, एन.ए.ए. के द्वारा दिनांक 29/03/2017 को एन.ए.ए. के माध्यम से  
 एन.ए.ए. के माध्यम से एन.ए.ए. के माध्यम से एन.ए.ए. के माध्यम से एन.ए.ए. के माध्यम से  
 एन.ए.ए. के माध्यम से एन.ए.ए. के माध्यम से एन.ए.ए. के माध्यम से एन.ए.ए. के माध्यम से  
 एन.ए.ए. के माध्यम से एन.ए.ए. के माध्यम से एन.ए.ए. के माध्यम से एन.ए.ए. के माध्यम से  
 एन.ए.ए. के माध्यम से एन.ए.ए. के माध्यम से एन.ए.ए. के माध्यम से एन.ए.ए. के माध्यम से

### सिमेंट की विवरण -

(अ) एन.ए.ए. की 300वीं बैठक दिनांक 16/01/2020:

सिमेंट की 300वीं बैठक में एन.ए.ए. के माध्यम से एन.ए.ए. के माध्यम से एन.ए.ए. के माध्यम से  
 एन.ए.ए. के माध्यम से एन.ए.ए. के माध्यम से एन.ए.ए. के माध्यम से एन.ए.ए. के माध्यम से

1. 3.33 ट.ए. सिमेंट का विकल्प

1. एन.ए.ए. एवं एन.ए.ए. के माध्यम से एन.ए.ए. के माध्यम से एन.ए.ए. के माध्यम से  
 एन.ए.ए. के माध्यम से एन.ए.ए. के माध्यम से एन.ए.ए. के माध्यम से एन.ए.ए. के माध्यम से

















विभाग की कार्यवाही करने वाले कर्मियों का संयुक्त विज्ञापन - पृ. 4 प्रथम-02 के अन्तर्गत प्रकाशित है।

1. ग्राम प्रधानों को अनापत्ति प्रमाण पत्र - ग्राम प्रधानों को ग्राम प्रधानों के अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रदान किया गया है।
2. 500 मीटर की परिधि में विभाग स्वयंसेवक - स्वयंसेवक कार्यक्रम (विभिन्न गांवों) में कार्य करने प्रमाण पत्र के अभाव में प्रेषित हुए स्वयंसेवक 500 मीटर की परिधि में अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त करने के लिए 02/09/2019 तक स्वयंसेवक प्रेषित किए गए हैं।
3. महत्वपूर्ण संरचनाओं की सूची - विभाग द्वारा 10/09/2019 को ग्राम प्रधानों को सूची प्रेषित की गई थी, जिसे ग्राम प्रधानों को प्राप्त करने के लिए 02/09/2019 तक स्वयंसेवक प्रेषित किए गए हैं।
4. पारिस्थितिक/संवैधानिक संरक्षण कार्य - विभाग द्वारा 10/09/2019 को ग्राम प्रधानों को सूची प्रेषित की गई थी, जिसे ग्राम प्रधानों को प्राप्त करने के लिए 02/09/2019 तक स्वयंसेवक प्रेषित किए गए हैं।
5. जीव जन विभाग - पूर्व में पूरा किए गए कार्य का विवरण - 10/09/2019 को ग्राम प्रधानों को सूची प्रेषित की गई थी, जिसे ग्राम प्रधानों को प्राप्त करने के लिए 02/09/2019 तक स्वयंसेवक प्रेषित किए गए हैं।
6. ग्राम संरक्षा एवं अनापत्ति का विवरण - विभाग द्वारा 10/09/2019 को ग्राम प्रधानों को सूची प्रेषित की गई थी, जिसे ग्राम प्रधानों को प्राप्त करने के लिए 02/09/2019 तक स्वयंसेवक प्रेषित किए गए हैं।

वित्तीय वर्ष	वार्षिक व्यय (रु.)	वित्तीय वर्ष	वार्षिक व्यय (रु.)
2019-20	3,255	2019-20	3,255
2019-20	3,255	2019-20	3,255

31













4. ई-गवर्नेंस सिस्टमों के विकास करने वाले होने के लिए, वेब 2.0 तकनीकें (वेब 2.0) का उपयोग करना आवश्यक है।
5. सरकार में निहित सेवाओं को (एक निष्कर्ष, प्रशासन) हर एक को उपलब्ध बनाना है। निम्नलिखित तकनीकों में एकमात्र सही विकल्प है।
  - a. वेब 2.0
  - b. वेब 1.0
  - c. वेब 3.0
  - d. वेब 4.0
6. वेब 2.0 का अर्थ है, वेब 2.0 तकनीकें (वेब 2.0) का उपयोग करना है। निम्नलिखित तकनीकों में एकमात्र सही विकल्प है।
  - a. वेब 1.0
  - b. वेब 3.0
  - c. वेब 4.0
  - d. वेब 5.0
7. वेब 2.0 का अर्थ है, वेब 2.0 तकनीकें (वेब 2.0) का उपयोग करना है। निम्नलिखित तकनीकों में एकमात्र सही विकल्प है।
  - a. वेब 1.0
  - b. वेब 3.0
  - c. वेब 4.0
  - d. वेब 5.0
8. वेब 2.0 का अर्थ है, वेब 2.0 तकनीकें (वेब 2.0) का उपयोग करना है। निम्नलिखित तकनीकों में एकमात्र सही विकल्प है।
  - a. वेब 1.0
  - b. वेब 3.0
  - c. वेब 4.0
  - d. वेब 5.0

सही विकल्पों को चुनकर सही उत्तर दें।

1. वेब 2.0 का अर्थ है, वेब 2.0 तकनीकें (वेब 2.0) का उपयोग करना है। निम्नलिखित तकनीकों में एकमात्र सही विकल्प है।
  - a. वेब 1.0
  - b. वेब 3.0
  - c. वेब 4.0
  - d. वेब 5.0
2. वेब 2.0 का अर्थ है, वेब 2.0 तकनीकें (वेब 2.0) का उपयोग करना है। निम्नलिखित तकनीकों में एकमात्र सही विकल्प है।
  - a. वेब 1.0
  - b. वेब 3.0
  - c. वेब 4.0
  - d. वेब 5.0
3. वेब 2.0 का अर्थ है, वेब 2.0 तकनीकें (वेब 2.0) का उपयोग करना है। निम्नलिखित तकनीकों में एकमात्र सही विकल्प है।
  - a. वेब 1.0
  - b. वेब 3.0
  - c. वेब 4.0
  - d. वेब 5.0
4. वेब 2.0 का अर्थ है, वेब 2.0 तकनीकें (वेब 2.0) का उपयोग करना है। निम्नलिखित तकनीकों में एकमात्र सही विकल्प है।
  - a. वेब 1.0
  - b. वेब 3.0
  - c. वेब 4.0
  - d. वेब 5.0

सही विकल्पों को चुनकर सही उत्तर दें।

(ब) सही विकल्पों को चुनकर सही उत्तर दें।

सही विकल्पों को चुनकर सही उत्तर दें।

1. वेब 2.0 का अर्थ है, वेब 2.0 तकनीकें (वेब 2.0) का उपयोग करना है। निम्नलिखित तकनीकों में एकमात्र सही विकल्प है।
  - a. वेब 1.0
  - b. वेब 3.0
  - c. वेब 4.0
  - d. वेब 5.0
2. वेब 2.0 का अर्थ है, वेब 2.0 तकनीकें (वेब 2.0) का उपयोग करना है। निम्नलिखित तकनीकों में एकमात्र सही विकल्प है।
  - a. वेब 1.0
  - b. वेब 3.0
  - c. वेब 4.0
  - d. वेब 5.0



अनुसार लै आर (Corporate Provisions). निम्नलिखितों में से किसी भी एक को चुनकर अपनी अपना निम्नलिखित विस्तृत प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है -

Capital Investment (in Lakh Rupees)	Percentage of Capital Investment to be Spent	Amount Required for CER Activities (in Lakh Rupees)	Amount Proposed & Details for CER Activities (in Lakh Rupees)	
			Particulars	CER Fund Allocation (In Lakh R. per CB)
₹ 0	2%	0.50	Training Material in Hindi Government Primary School Village - Poda	
			Tap Water Harvesting System	0.10
			Water (Drinking water) supply facility	0.20
			Running Water Facility for toilet	0.10
			Planting with fencing	0.10
			Books Distribution to	0.15
			Environment Conservation	0.15
Total	0.51			

अनुसार अनुसूचित जातों के हितों को ध्यान में रखते हुए, जिनके पास भूमि नहीं है, उनके लिए भी उचित सुविधाएँ प्रदान की जाएँगी। इसके अलावा, जिनके पास भूमि है, उनके लिए भी उचित सुविधाएँ प्रदान की जाएँगी।

अनुसार अनुसूचित जातों के हितों को ध्यान में रखते हुए, जिनके पास भूमि नहीं है, उनके लिए भी उचित सुविधाएँ प्रदान की जाएँगी। इसके अलावा, जिनके पास भूमि है, उनके लिए भी उचित सुविधाएँ प्रदान की जाएँगी।

समिति द्वारा विचार विमर्श करवाने संबंधित की निम्नानुसार निर्णय किया गया।

- समिति का यह निर्णय है कि अनुसूचित जातों के हितों को ध्यान में रखते हुए, जिनके पास भूमि नहीं है, उनके लिए भी उचित सुविधाएँ प्रदान की जाएँगी। इसके अलावा, जिनके पास भूमि है, उनके लिए भी उचित सुविधाएँ प्रदान की जाएँगी।
- अनुसूचित जातों के हितों को ध्यान में रखते हुए, जिनके पास भूमि नहीं है, उनके लिए भी उचित सुविधाएँ प्रदान की जाएँगी। इसके अलावा, जिनके पास भूमि है, उनके लिए भी उचित सुविधाएँ प्रदान की जाएँगी।











7. परिशिष्टक में सूचीबद्ध कर्तव्यों को अनुपूर्व दर्जा में शामिल करने के लिए न्यायाधीशों को सूचित किया गया है।
8. अनुपूर्व दर्जा में शामिल करने के लिए न्यायाधीशों को सूचित किया गया है।
9. लोक सेवा आयोग (LSA) के अधिनियम 1954 के अंतर्गत न्यायाधीशों को सूचित किया गया है।
10. अनुपूर्व दर्जा में शामिल करने के लिए न्यायाधीशों को सूचित किया गया है।

1. यह सूची में सूचीबद्ध कर्तव्यों को शामिल करने के लिए न्यायाधीशों को सूचित किया गया है।
2. न्यायाधीशों को सूचित किया गया है।
3. न्यायाधीशों को सूचित किया गया है।
4. न्यायाधीशों को सूचित किया गया है।
5. न्यायाधीशों को सूचित किया गया है।
6. न्यायाधीशों को सूचित किया गया है।
7. न्यायाधीशों को सूचित किया गया है।
8. न्यायाधीशों को सूचित किया गया है।
9. न्यायाधीशों को सूचित किया गया है।
10. न्यायाधीशों को सूचित किया गया है।

न्यायाधीशों को सूचित किया गया है।

1. न्यायाधीशों को सूचित किया गया है।
2. न्यायाधीशों को सूचित किया गया है।

1/1/2024

- ii) विभिन्न क्षेत्रों में कर्मियों को संयोजित कर देना, जो स्वयंसेवकों के माध्यम से किया जा सकता है।
- iii) जहाँ संभव हो सके, तो कर्मियों को स्वयंसेवकों के माध्यम से प्रोत्साहित करना।
- iv) जहाँ संभव हो सके, तो कर्मियों को स्वयंसेवकों के माध्यम से प्रोत्साहित करना।
- v) जहाँ संभव हो सके, तो कर्मियों को स्वयंसेवकों के माध्यम से प्रोत्साहित करना।

संक्षेप में निम्नलिखित कार्यसूची से निर्माण के लिए कार्य करा जाय:-

1. जहाँ संभव हो सके, तो जहाँ संभव हो सके, तो कर्मियों को स्वयंसेवकों के माध्यम से प्रोत्साहित करना।
2. जहाँ संभव हो सके, तो कर्मियों को स्वयंसेवकों के माध्यम से प्रोत्साहित करना।
3. जहाँ संभव हो सके, तो कर्मियों को स्वयंसेवकों के माध्यम से प्रोत्साहित करना।
4. जहाँ संभव हो सके, तो कर्मियों को स्वयंसेवकों के माध्यम से प्रोत्साहित करना।
5. जहाँ संभव हो सके, तो कर्मियों को स्वयंसेवकों के माध्यम से प्रोत्साहित करना।
6. जहाँ संभव हो सके, तो कर्मियों को स्वयंसेवकों के माध्यम से प्रोत्साहित करना।
7. जहाँ संभव हो सके, तो कर्मियों को स्वयंसेवकों के माध्यम से प्रोत्साहित करना।
8. जहाँ संभव हो सके, तो कर्मियों को स्वयंसेवकों के माध्यम से प्रोत्साहित करना।



2. परिचालन हेतु आवश्यक मात्र के आगुती दर्शाना में शामिल होकर 10 फीस  
में से 5 फीस संयुक्त प्राप्ति के अंतर्गत ही या प्राप्त अनुपात में ही प्रस्तुत किया  
जाए।

3a. अनुभवयोग्य क्षेत्रगत महिला को प्राथमिकता प्रदान की जाए

परमाणु प्रकल्प 1987-88 के अंतर्गत विभिन्न मा. संशोधन पर दिनांक 19/05/2000  
में प्रस्तुत किया गया है।

(ख) समिति की उपरोक्त बैठक विनांक 22/06/2000

समिति द्वारा नस्ली, लिंग, जात वसी या अनुसूचित एवं पीछे वर्ग के मा. वि-  
शिष्ट पाठ्य पत्र

1. परमाणु प्रकल्प 1987-88 के अंतर्गत विभिन्न मा. संशोधन पर दिनांक 19/05/2000  
में प्रस्तुत किया गया है।

2. पीछे वर्ग के मा. संशोधन पर पीछे वर्ग के अंतर्गत ही या प्राप्त अनुपात में ही प्रस्तुत किया गया है।  
उक्त क्षेत्र का मा. संशोधन पर दिनांक 19/05/2000 में प्रस्तुत किया गया है।

3. मा. संशोधन पर दिनांक 19/05/2000 में प्रस्तुत किया गया है।

समिति द्वारा उपरोक्त मा. संशोधन पर दिनांक 19/05/2000 में प्रस्तुत किया गया है।  
उक्त क्षेत्र का मा. संशोधन पर दिनांक 19/05/2000 में प्रस्तुत किया गया है।

अनुसार - परमाणु प्रकल्प 1987-88 के अंतर्गत ही या प्राप्त अनुपात में ही प्रस्तुत किया गया है।

(ग) समिति की उपरोक्त बैठक विनांक 22/06/2000

समिति द्वारा उपरोक्त मा. संशोधन पर दिनांक 19/05/2000 में प्रस्तुत किया गया है।  
उक्त क्षेत्र का मा. संशोधन पर दिनांक 19/05/2000 में प्रस्तुत किया गया है।

1. परमाणु प्रकल्प 1987-88 के अंतर्गत विभिन्न मा. संशोधन पर दिनांक 19/05/2000  
में प्रस्तुत किया गया है।

2. पीछे वर्ग के मा. संशोधन पर पीछे वर्ग के अंतर्गत ही या प्राप्त अनुपात में ही प्रस्तुत किया गया है।  
उक्त क्षेत्र का मा. संशोधन पर दिनांक 19/05/2000 में प्रस्तुत किया गया है।

3. मा. संशोधन पर दिनांक 19/05/2000 में प्रस्तुत किया गया है।

4. अनुसूचित वर्ग के मा. संशोधन पर दिनांक 19/05/2000 में प्रस्तुत किया गया है।  
उक्त क्षेत्र का मा. संशोधन पर दिनांक 19/05/2000 में प्रस्तुत किया गया है।









दिनांक 15/12/2019 तथा प्याररगीक लीकुरे 29 नवने हेतु संशुद्धी केने हे  
प्राप्त की गई हे

प्रस्ताव का विवरण - मा. दिनांक 15/12/2018 के दूरी से कर के 10000  
अदान (पूर्व 15/12/2018) है। यह अदान ग्राम-नरियो-लक्ष्मो, गावडी-गन्ना  
जिला-नी के. अमन नगरा 1888 1234 एं 1815/21, पूर्व तीर 188 1234  
अदान के है। अदान की आरेडिग अदान - 20000 एं 21/12/2018  
अदान - 40000 एं 21/12/2018 के अदान - 15/12/2018 के अदान नि-  
व्यक्ति के अदान करे अदान के अदान - 15/12/2018 के अदान नि-  
व्यक्ति के अदान करे अदान के अदान - 15/12/2018 के अदान नि-  
व्यक्ति के अदान करे अदान के अदान - 15/12/2018 के अदान नि-  
व्यक्ति के अदान करे अदान के अदान - 15/12/2018 के अदान नि-  
व्यक्ति के अदान करे अदान के अदान - 15/12/2018 के अदान नि-  
व्यक्ति के अदान करे अदान के अदान - 15/12/2018 के अदान नि-  
व्यक्ति के अदान करे अदान के अदान - 15/12/2018 के अदान नि-

1. अदान विवरण के अदान के अदान - 15/12/2018 के अदान नि-  
व्यक्ति के अदान करे अदान के अदान - 15/12/2018 के अदान नि-
2. अदान विवरण - अदान का अदान अदान - 15/12/2018 के अदान नि-  
व्यक्ति के अदान करे अदान के अदान - 15/12/2018 के अदान नि-  
व्यक्ति के अदान करे अदान के अदान - 15/12/2018 के अदान नि-
3. 500 मीटर की अदान के अदान - 15/12/2018 के अदान नि-  
व्यक्ति के अदान करे अदान के अदान - 15/12/2018 के अदान नि-
4. अदान विवरण के अदान - 15/12/2018 के अदान नि-  
व्यक्ति के अदान करे अदान के अदान - 15/12/2018 के अदान नि-
5. अदान विवरण के अदान - 15/12/2018 के अदान नि-  
व्यक्ति के अदान करे अदान के अदान - 15/12/2018 के अदान नि-
6. अदान विवरण के अदान - 15/12/2018 के अदान नि-  
व्यक्ति के अदान करे अदान के अदान - 15/12/2018 के अदान नि-
7. अदान विवरण के अदान - 15/12/2018 के अदान नि-  
व्यक्ति के अदान करे अदान के अदान - 15/12/2018 के अदान नि-
8. अदान विवरण के अदान - 15/12/2018 के अदान नि-  
व्यक्ति के अदान करे अदान के अदान - 15/12/2018 के अदान नि-

-----



-----

















5. उभयपक्षों में समझौता जमानत (Mutual Deposit) के अंतर्गत एक-दूसरे को धन (Cash) के अलावा ID Number, Bank में अर्पित/सौंपे गए पत्र-व्यवहार, बैंक के लिए अनिवार्य निर्धारित करों का विवरण, कार्टर/वार्डन, चालान का बंदन, आदि के संबंध में भी समझौता जमानत किया जाए।

6. निम्नलिखित परामर्शदाता द्वारा तैयार किए गए कार्य/कार्यक्रम के अंतर्गत निम्नलिखित कार्य/कार्यक्रमों को प्राथमिकता देकर पूरा किया जाए-

(क) अनुदान एस.एम.सी., अमृतसर में आयोजित बैठक दिनांक 03/07/2020 के निर्देशों के अंतर्गत प्रस्तावित कार्य दिनांक 10/09/2020, 25/09/2020, 28/09/2020, 01/10/2020, 04/10/2020 को प्राथमिकता देकर अंतिम अंश पूरा किया जाए।

(ख) 8 गोरे की तलाश दिनांक 02/02/2020.

नमो 8-10-2020, अमृतसर में आयोजित बैठक के अंतर्गत निम्नलिखित कार्य/कार्यक्रमों को प्राथमिकता देकर पूरा किया जाए-

1. जंग क्षेत्र के अंतर्गत 10 नोटों में 10 टन वस्तुओं में 10 टन वस्तुओं (Reservations) का प्रस्ताव किया गया है। एक टन वस्तुओं (Reservations) का प्रस्ताव है, 10 टन वस्तुओं में 10 टन वस्तुओं का प्रस्ताव है। अमृतसर (Amritsar) प्रस्ताव दिया गया है।

2. सीपीईए परियोजनाओं (CPED) के अंतर्गत निम्नलिखित कार्य/कार्यक्रमों को प्राथमिकता देकर पूरा किया जाए-  
 1. अमृतसर में आयोजित बैठक दिनांक 03/07/2020 के निर्देशों के अंतर्गत प्रस्तावित कार्य दिनांक 10/09/2020, 25/09/2020, 28/09/2020, 01/10/2020, 04/10/2020 को प्राथमिकता देकर अंतिम अंश पूरा किया जाए।

Capital Investment (in Lakh Rupees)	Percentage of Capital Investment to be Spent	Amount Required for GER Activities (in Lakh Rupees)	Amount Proposed & Details for GER Activities (in Lakh Rupees)	
			Particulars	GER Fund Allocation (in Lakh Rupees)
20	2%	1.60	Inauguration activities at Newry Government High School Village - Mandira-Khardini	
			Rel. Water Harvesting, Solar	0.20
			Portable Urnning water Facility	0.20
			Handpump with Urnning	0.10
			Handpump with Urnning System	0.10
Total			1.60	

3. अमृतसर में आयोजित बैठक दिनांक 03/07/2020 के निर्देशों के अंतर्गत प्रस्तावित कार्य दिनांक 10/09/2020, 25/09/2020, 28/09/2020, 01/10/2020, 04/10/2020 को प्राथमिकता देकर अंतिम अंश पूरा किया जाए।

*(Signature)*

10/10/20

- विद्यमान हेतु एक 'डिस्क', 'इंजीन' या 'मोटर' (Internal Combustion) एवं 'इसारी' (जिस पर 'इंजीन' चले, जैसे 'पेट्रोल' एवं 'जल') गुणवत्ता के संबंध में 'गुणवत्ता निर्धारण कार्य' (Quality, Environmental Monitoring) को लेना जहाँ तक एक साथ हेतु अनुमति नहीं प्रदान तथा नगण्य अब प्रदान की गई है।

**4. पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति हेतु कार्याचरण**

यहां प्रस्ताव में दूरी के साथ 'इंजीन' तथा 'मोटर' (Internal Combustion) एवं 'इसारी' (जिस पर 'इंजीन' चले, जैसे 'पेट्रोल' एवं 'जल') गुणवत्ता के संबंध में 'गुणवत्ता निर्धारण कार्य' (Quality, Environmental Monitoring) को लेना जहाँ तक एक साथ हेतु अनुमति नहीं प्रदान तथा नगण्य अब प्रदान की गई है।

- 1. 'पर्यावरण एवं जल संसाधन' (Environment and Conservation) हेतु निम्न-उल्लिखित कार्य प्रदान करने की क्षमता को 'डिजाइन' (Design) तथा 'कॉन्स्ट्रक्शन' (Construction) के लिए प्रदान किया गया है -

- EC-Particulate Matter
- LC- Load Factor
- PI- Pollution Index of Industrial Sector
- N- Number of days of summer season
- R- Risk factor
- S- Factor for scale of operation
- L- Load Factor

Environmental Compensation =  $PI \times LC \times N \times R \times S \times L \times 25$

No of days (N) = 250 (Maximum Pollution in summer season)

$= (750) \times (250) \times (20000) = 177$

Environmental Compensation =  $80 \times 177 \times 25000 \times 0.5 = \text{Rs. } 8850000$

= say Rs. 8.850000

- II. सांकेतिक एवं वार्षिक रिपोर्ट 18/09/2021 को मजदूरों को 'पर्यावरण एवं जल संसाधन' (Environment and Conservation) के अर्थ में 'मैथोडोलॉजी' (Methodology) हेतु लिए गये विभाग के अनुसार पर्यावरण प्रदूषण को 'डिजाइन' (Design) तथा 'कॉन्स्ट्रक्शन' (Construction) के लिए प्रदान किया गया है -

- III. पर्यावरण प्रदूषण को 'डिजाइन' (Design) तथा 'कॉन्स्ट्रक्शन' (Construction) के अर्थ में 'मैथोडोलॉजी' (Methodology) हेतु लिए गये विभाग के अनुसार पर्यावरण प्रदूषण को 'डिजाइन' (Design) तथा 'कॉन्स्ट्रक्शन' (Construction) के लिए प्रदान किया गया है -











2. सीध का विकास - गांव क्षेत्र चर्को बगैरी लो विमा व 1.5 एड डी लो  
 2007-10 वर्ष अर्थात 11/11/2007 से 10/11/2012 तक को आवंटित हुन की

1. खाना संपदा एवं खाना का विकास - निर्वाहोन्मुख निबंध 100000 तक  
 एवं परिवारिक निबंध 600000 तक है। सीध 500 के पास और 750000 के  
 केसमार्क अधुना 500000 तक है। खाना-बाखर बीमा निमानकाल निबंध के  
 वास्तविक निमान तक है। उपरोक्त निबंधों के अन्तर्गत 25 बीघा है। खाना के  
 वसूलागी की भीतर गहनार्थ 25 बीघा है। अलगवाग वास्तविक की गहनार्थ 25 बीघा  
 होने, अलगवाग केस को अलग-अलग गीतर एवं नंदाई व रिले के निमान-व-अर्थ  
 के अन्तर्गत अन्वेषण को नाम-अन्तर्गत एवं निमाने के अन्तर्गत निमान के  
 अन्वेषण निमान नाम के अन्तर्गत निमान नाम है। खाना के अन्तर्गत 2000 तक  
 एवं 2. निमान खाना निमानकी हुन 1 बीघा अन्तर्गत प्रस्तावित निमान अन्तर्गत 2  
 किलोमीटर अन्तर्गत, निमान 2 किलोमीटर अन्तर्गत एवं अन्तर्गत अन्तर्गत 2  
 किलोमीटर अन्तर्गत, अन्तर्गत की अन्तर्गत हुन है। निमान अन्तर्गत अन्तर्गत 2  
 तक अन्तर्गत निमान हुन, अन्तर्गत अन्तर्गत अन्तर्गत अन्तर्गत है। सीध क्षेत्र के अन्तर्गत  
 अन्तर्गत 25 बीघा अन्तर्गत के अन्तर्गत निमान अन्तर्गत निमान अन्तर्गत के अन्तर्गत अन्तर्गत  
 निमान निमान अन्तर्गत है।

वित्तीय वर्ष	वास्तविक वास्तविक (रु.)	वित्तीय वर्ष	वास्तविक वास्तविक (रु.)
1998-1999	8,300	2001-2002	12,500
1999-2000	7,000	2002-2003	16,500
2000-2001	11,000	2003-2004	20,750
2001-2002	7,150	2004-2005	50,215
2002-2003	8,700	2005-2006	26,700
2003-2004	1,24,500	2006-2007	32,500
2004-2005	21,000	2007-2008	28,700
2005-2006	70,000	2008-2009	40,500
2006-2007	50,000	2009-2010	10,000
2007-2008	22,200	2010-2011	निरन्तर
2008-2009	10,100		

**खाना की वर्षवार प्रस्तावित योजना**

वर्ष	क्षेत्रफल (घोर्षीरु.)	क्षेत्र क्षेत्र (घोर्षीरु.)	उत्पन्न (घोर्षीरु.)	खाना क्षेत्र (रु.)	वास्तविक खाना (रु.)
2013-2014	2,700	80	18,100	2,200	2,200
2014-2015	1,700	60	9,000	12,500	12,500
2016-2017	1,300	60	7,000	13,000	13,000
2017-2018	1,500	80	10,500	27,000	27,000
2018-2019	1,500	60	7,000	13,000	13,000







जहाँ लिखी जा स्थिति का स्थान से प्रस्ताव करने संबंधित संशोधन प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाए।

3. यदि टीडीएन में विद्यमान 29 एवं 30 अतिरिक्त संशोधन के विवरणों का अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया जाए।
4. प्रस्ताव संशोधन के अतिरिक्त अंतिम रूप में संशोधन प्रस्तावों से संबंधित अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत करने के प्रस्ताव का आदेश दिया जाने पर टीडीएन के संशोधन के संबंध में अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया जाए।
5. परिशिष्ट 1 व 2 में संशोधन के प्रस्तावों की संख्या में अधिक है। अतः प्रस्तावों की संख्या को सीमित किया जाए तथा अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया जाए।
6. प्रस्तावों की संख्या में अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत करने के संबंध में अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत करने के संबंध में अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया जाए।
7. प्रस्तावों की संख्या में अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत करने के संबंध में अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत करने के संबंध में अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया जाए।
8. प्रस्तावों की संख्या में अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत करने के संबंध में अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत करने के संबंध में अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया जाए।
9. प्रस्तावों की संख्या में अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत करने के संबंध में अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत करने के संबंध में अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया जाए।
10. प्रस्तावों की संख्या में अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत करने के संबंध में अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत करने के संबंध में अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया जाए।
11. प्रस्तावों की संख्या में अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत करने के संबंध में अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत करने के संबंध में अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया जाए।
12. प्रस्तावों की संख्या में अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत करने के संबंध में अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत करने के संबंध में अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया जाए।

परिचालन प्रस्तावों का अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत करने के संबंध में अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया जाए।

(स) समिति की अंतिम बैठक दिनांक 29/05/2020

समिति के अध्यक्ष द्वारा अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत करने के संबंध में अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया जाए।



1. परिशिष्टानुसार आचार्य एवं अन्य सदस्यों के अनुसार आचार्यी प्रकृत नहीं की गई है।
2. सेवा संबंध में जारी की गई नियमों के तहत सेवा में संलग्न किया गया है। एक बार का नोटिस प्रकृत आचार्यी प्रकृत नहीं है। अन्य संबंध में प्रकृत नहीं किया गया है।
3. परिशिष्टानुसार आचार्य के अनुसार निर्धारित समय पूरा किए जाने का आचार्य एक बार नोटिस प्रकृत नहीं किया गया है।

राजिंदर द्वारा गणनात्मक कार्यवाही से निर्णय लिया गया था कि परिशिष्टानुसार आचार्यी प्रकृत आचार्य के अनुसार प्रकृत है। परिशिष्टानुसार आचार्यी प्रकृत नहीं है। अन्य संबंध में प्रकृत नहीं किया गया है।

आचार्यी प्रकृत आचार्य के अनुसार निर्धारित समय पूरा किए जाने का आचार्य एक बार नोटिस प्रकृत नहीं किया गया है।

(द) संपादन की प्रकृतियों के लिए दिनांक 08/08/2022

आचार्यी प्रकृत आचार्य के अनुसार निर्धारित समय पूरा किए जाने का आचार्य एक बार नोटिस प्रकृत नहीं किया गया है। अन्य संबंध में प्रकृत नहीं किया गया है।

1. परिशिष्टानुसार आचार्य एवं अन्य सदस्यों के अनुसार आचार्यी प्रकृत नहीं की गई है।
2. सेवा संबंध में जारी की गई नियमों के तहत सेवा में संलग्न किया गया है। एक बार का नोटिस प्रकृत आचार्यी प्रकृत नहीं है। अन्य संबंध में प्रकृत नहीं किया गया है।
3. आचार्यी प्रकृत आचार्य के अनुसार निर्धारित समय पूरा किए जाने का आचार्य एक बार नोटिस प्रकृत नहीं किया गया है।
4. आचार्यी प्रकृत आचार्य के अनुसार निर्धारित समय पूरा किए जाने का आचार्य एक बार नोटिस प्रकृत नहीं किया गया है।
5. आचार्यी प्रकृत आचार्य के अनुसार निर्धारित समय पूरा किए जाने का आचार्य एक बार नोटिस प्रकृत नहीं किया गया है।





- a. प्रस्तावित प्रकल्पों के माध्यम से अभावग्रस्त क्षेत्रों में आवासों के निर्माण के लिए आवश्यक भूमि के अधिग्रहण के लिए आवश्यक प्रस्तावों को प्रस्तुत किया जाए।
- b. सी.ई.आर. (Corporate Employment Infrastructure) के माध्यम से नए आवासों के निर्माण के लिए आवश्यक भूमि के अधिग्रहण के लिए एक नया संयोजन (linkage) में प्रस्तावित किया जाए।
- c. प्रस्तावित आवासों के माध्यम से नए आवासों के निर्माण के लिए आवश्यक भूमि के अधिग्रहण के लिए आवश्यक प्रस्तावों को प्रस्तुत किया जाए।
- d. नए आवासों के निर्माण के लिए आवश्यक भूमि के अधिग्रहण के लिए आवश्यक प्रस्तावों को प्रस्तुत किया जाए।
- e. नए आवासों के निर्माण के लिए आवश्यक भूमि के अधिग्रहण के लिए आवश्यक प्रस्तावों को प्रस्तुत किया जाए।
- f. नए आवासों के निर्माण के लिए आवश्यक भूमि के अधिग्रहण के लिए आवश्यक प्रस्तावों को प्रस्तुत किया जाए।
- g. नए आवासों के निर्माण के लिए आवश्यक भूमि के अधिग्रहण के लिए आवश्यक प्रस्तावों को प्रस्तुत किया जाए।

प्रस्तावित प्रकल्पों के माध्यम से अभावग्रस्त क्षेत्रों में आवासों के निर्माण के लिए आवश्यक भूमि के अधिग्रहण के लिए आवश्यक प्रस्तावों को प्रस्तुत किया जाए।

(द) समिति की आठवीं बैठक दिनांक 12/02/2020

समिति द्वारा जारी प्रस्तावों के माध्यम से अभावग्रस्त क्षेत्रों में आवासों के निर्माण के लिए आवश्यक प्रस्तावों को प्रस्तुत किया जाए।

1. नए आवासों के निर्माण के लिए आवश्यक भूमि के अधिग्रहण के लिए आवश्यक प्रस्तावों को प्रस्तुत किया जाए।
2. नए आवासों के निर्माण के लिए आवश्यक भूमि के अधिग्रहण के लिए आवश्यक प्रस्तावों को प्रस्तुत किया जाए।

Capital Investment (in Lakh Rupees)	Percentage of Capital Investment to be Spent	Amount Required for CER Activities (in Lakh Rupees)	Amount Proposed & Details for CER Activities (in Lakh Rupees)	
			Particulars	CER Fund Allocation (in Lakh Rupees)
0	2%	0.50	Following activities at Primary School Village - Mundhi-Khurdol Sanitation System 0.50	
			Total	0.50

15/02/2020





1. समिति को यह विश्वास है कि उत्तर प्रदेश राज्य के क्षेत्रीय विकास/संशोधन कार्यक्रमों द्वारा, पारंपरिक सूक्ष्म कृषि कार्यों के लिए 200 करोड़ रुपए/वर्ष की राशि का प्रावधान किया जा सकता है। इस राशि में 100 करोड़ रुपए का प्रावधान राज्य सरकार द्वारा किया जा सकता है। शेष 100 करोड़ रुपए का प्रावधान संघ द्वारा किया जा सकता है।
2. कार्यक्रमों के अंतर्गत प्रत्येक राज्य में, जिस क्षेत्र में यह योजना लागू की जाएगी, 500 करोड़ रुपए की राशि का प्रावधान किया जा सकता है। इस राशि में 100 करोड़ रुपए का प्रावधान राज्य सरकार द्वारा किया जा सकता है। शेष 400 करोड़ रुपए का प्रावधान संघ द्वारा किया जा सकता है।
3. समिति को विश्वास है कि उत्तर प्रदेश राज्य के क्षेत्रीय विकास/संशोधन कार्यक्रमों के अंतर्गत प्रत्येक राज्य में, जिस क्षेत्र में यह योजना लागू की जाएगी, 500 करोड़ रुपए की राशि का प्रावधान किया जा सकता है। इस राशि में 100 करोड़ रुपए का प्रावधान राज्य सरकार द्वारा किया जा सकता है। शेष 400 करोड़ रुपए का प्रावधान संघ द्वारा किया जा सकता है।
4. समिति द्वारा पर्याप्तता परामर्श के माध्यम से समिति के क्षेत्रों में प्रत्येक राज्य में, जिस क्षेत्र में यह योजना लागू की जाएगी, 500 करोड़ रुपए की राशि का प्रावधान किया जा सकता है। इस राशि में 100 करोड़ रुपए का प्रावधान राज्य सरकार द्वारा किया जा सकता है। शेष 400 करोड़ रुपए का प्रावधान संघ द्वारा किया जा सकता है।

[Handwritten Signature]

a. पश्चिम बंगाल सरकार विभाग गवर्नर प्रोविसन से आरक्षण नी-पी नीति के तहत निम्न विधियों के तहत स्थान प्रदान करने के लिए निम्न विधियों-प्रतिष्ठान सहयोग-विकास निता-दुर्ग के तहत प्रवर्धित (2007/08) में स्थित भू-ख 2552 (दुर्ग) अर्थात् अर्थात् कुल आरक्षण - 182 प्रवर्धित, भू-ख - 40,000 का प्रवर्धित का परिशिष्ट 14 में के रूप में अधिक जानकारी के लिए देखें।

b. पश्चिम बंगाल सरकार आरक्षण नीति के तहत निम्न विधियों के तहत निम्न विधियों-प्रतिष्ठान सहयोग-विकास निता-दुर्ग के तहत प्रवर्धित (2007/08) में स्थित भू-ख 2552 (दुर्ग) अर्थात् अर्थात् कुल आरक्षण - 182 प्रवर्धित, भू-ख - 40,000 का प्रवर्धित का परिशिष्ट 14 में के रूप में अधिक जानकारी के लिए देखें।

आरक्षण नीति के तहत निम्न विधियों के तहत निम्न विधियों-प्रतिष्ठान सहयोग-विकास निता-दुर्ग के तहत प्रवर्धित (2007/08) में स्थित भू-ख 2552 (दुर्ग) अर्थात् अर्थात् कुल आरक्षण - 182 प्रवर्धित, भू-ख - 40,000 का प्रवर्धित का परिशिष्ट 14 में के रूप में अधिक जानकारी के लिए देखें।

14. मेसर्स श्रीमती अरुणा श्रीमती ए. सिद्धेश्वर लालिंग एलोन ए. ई.एम. आर. मेसर्स, सहयोग-विकास निता-दुर्ग (संशोधन) के तहत प्रवर्धित (2007/08)

आरक्षण नीति के तहत निम्न विधियों के तहत निम्न विधियों-प्रतिष्ठान सहयोग-विकास निता-दुर्ग के तहत प्रवर्धित (2007/08) में स्थित भू-ख 2552 (दुर्ग) अर्थात् अर्थात् कुल आरक्षण - 182 प्रवर्धित, भू-ख - 40,000 का प्रवर्धित का परिशिष्ट 14 में के रूप में अधिक जानकारी के लिए देखें।

प्रस्ताव का विवरण - यह प्रस्तावित भू-ख गवर्नर प्रोविसन (सूखे) है। यह भू-ख निम्न विधियों-प्रतिष्ठान सहयोग-विकास निता-दुर्ग के तहत प्रवर्धित (2007/08) में स्थित भू-ख 2552 (दुर्ग) अर्थात् अर्थात् कुल आरक्षण - 182 प्रवर्धित, भू-ख - 40,000 का प्रवर्धित का परिशिष्ट 14 में के रूप में अधिक जानकारी के लिए देखें।

1. भू-ख प्रस्ताव का अंतिम दिनांक - भू-ख प्रस्ताव के तहत प्रवर्धित (2007/08) में स्थित भू-ख 2552 (दुर्ग) अर्थात् अर्थात् कुल आरक्षण - 182 प्रवर्धित, भू-ख - 40,000 का प्रवर्धित का परिशिष्ट 14 में के रूप में अधिक जानकारी के लिए देखें।

2. अंतिम दिनांक - अंतिम दिनांक निम्न विधियों के तहत प्रवर्धित (2007/08) में स्थित भू-ख 2552 (दुर्ग) अर्थात् अर्थात् कुल आरक्षण - 182 प्रवर्धित, भू-ख - 40,000 का प्रवर्धित का परिशिष्ट 14 में के रूप में अधिक जानकारी के लिए देखें।

3. 500 मीटर की परिधि में स्थित भू-ख - अंतिम दिनांक निम्न विधियों के तहत प्रवर्धित (2007/08) में स्थित भू-ख 2552 (दुर्ग) अर्थात् अर्थात् कुल आरक्षण - 182 प्रवर्धित, भू-ख - 40,000 का प्रवर्धित का परिशिष्ट 14 में के रूप में अधिक जानकारी के लिए देखें।

4. गवर्नर प्रोविसन के तहत - निम्न विधियों के तहत प्रवर्धित (2007/08) में स्थित भू-ख 2552 (दुर्ग) अर्थात् अर्थात् कुल आरक्षण - 182 प्रवर्धित, भू-ख - 40,000 का प्रवर्धित का परिशिष्ट 14 में के रूप में अधिक जानकारी के लिए देखें।









को नहीं करके प्रथम श्रेणी के तौर पर अंकित है। और इस से बहुत लाभान्वित हो सकेगा।

सिद्धि प्राप्त करने के लिए निम्नलिखित बातें ध्यान में रखनी चाहिए -

1. उचित प्रयोग के लिए उचित दवाइयों का प्रयोग करना चाहिए। उचित दवाइयों के प्रयोग के लिए उचित दवाइयों का प्रयोग करना चाहिए।
2. उचित दवाइयों के प्रयोग के लिए उचित दवाइयों का प्रयोग करना चाहिए।
3. उचित दवाइयों के प्रयोग के लिए उचित दवाइयों का प्रयोग करना चाहिए।
4. उचित दवाइयों के प्रयोग के लिए उचित दवाइयों का प्रयोग करना चाहिए।
5. उचित दवाइयों के प्रयोग के लिए उचित दवाइयों का प्रयोग करना चाहिए।
6. उचित दवाइयों के प्रयोग के लिए उचित दवाइयों का प्रयोग करना चाहिए।
7. उचित दवाइयों के प्रयोग के लिए उचित दवाइयों का प्रयोग करना चाहिए।
8. उचित दवाइयों के प्रयोग के लिए उचित दवाइयों का प्रयोग करना चाहिए।
9. उचित दवाइयों के प्रयोग के लिए उचित दवाइयों का प्रयोग करना चाहिए।

सिद्धि प्राप्त करने के लिए उचित दवाइयों का प्रयोग करना चाहिए।

(ग) सिद्धि की शर्तों के तहत 28/02/2020

सिद्धि प्राप्त करने के लिए उचित दवाइयों का प्रयोग करना चाहिए।















7. वार्षिक आय-व्यय (अभियोग पत्रिका) निम्न-वर्ष के लिये अनुमानित रूप से 10/10/1982 और 30/09/1983 के मध्य की अवधि के लिये तैयार की गई थी। 1982-83 के लिए आय-व्यय 1082 का अनुमान किया गया था। वर्ष में अन्तिम चरण में अनुमान से कम आय होने का अनुमान लगाया गया है।
8. आय-व्यय (अभियोग पत्रिका) निम्न-वर्ष के लिये अनुमानित रूप से 10/10/1983 और 30/09/1984 के मध्य की अवधि के लिये तैयार किया गया है। अनुमानित रूप से 1082 का अनुमान लगाया गया है।
9. वार्षिक आय-व्यय (अभियोग पत्रिका) निम्न-वर्ष के लिये अनुमानित रूप से 10/10/1984 और 30/09/1985 के मध्य की अवधि के लिये तैयार किया गया है। अनुमानित रूप से 1082 का अनुमान लगाया गया है।
10. आय-व्यय (अभियोग पत्रिका) निम्न-वर्ष के लिये अनुमानित रूप से 10/10/1985 और 30/09/1986 के मध्य की अवधि के लिये तैयार किया गया है। अनुमानित रूप से 1082 का अनुमान लगाया गया है।

वित्तीय वर्ष	वार्षिक आय-व्यय (रुप.)	वित्तीय वर्ष	वार्षिक आय-व्यय (रुप.)
1980-81	1,407	1987-88	1,750
1981-82	65,772	1988-89	1,750
1982-83	0.75	1989-90	2,400
1984-85	1,389	1990-91	1,529
1986-87	1,710	1991-92	1,750
1988-89	1,589	1992-93	8,570
1990-91	850	1993-94	1,750
1991-92	1,389	1994-95	8,570
1992-93	11,716	1995-96	450
1993-94	4,770	1996-97	1,750
1994-95	5,748	1997-98	250
1995-96	5,245	1998-99	1,750
1996-97	8,570		











12 इकाईबन्धन संलग्न संचितों की जानकारी प्रस्तुत की जाये।

परियोजना प्रस्तावक द्वारा वेबसाईट संचितों में संशोधन का दिनांक 18/05/2020 को प्रस्तुत किया गया है।

(अ) समिति की 225वीं बैठक दिनांक 29/06/2020:

समिति द्वारा प्रस्ताव, प्रस्तुत जानकारी का अंशोन्मूलन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति उत्पन्न हुई।

1. संशोधित प्रस्तावक द्वारा दत्त निकाय अधिकृत जानकारी प्रस्तुत नहीं की गई है।
2. संचित में 2017 की चाली और 15 चाली दौर का कुल दौर में अंतरांतर किया गया है तथा दौर का अंतर दिनांक 2020 तक पूर्ण किया जाने हेतु प्रस्तावक द्वारा प्रस्ताव प्रस्तुत नहीं किया गया है।
3. पर्यटन प्रबंध योजना के अनुसार निर्धारित खर्च पूर्ण किए जाने तक प्रस्तावक द्वारा प्रस्ताव प्रस्तुत नहीं किया गया है।

समिति द्वारा अलायन समिति से निर्णय लिया गया था कि परियोजना प्रस्तावकों को संचितों में मा.स. की प्रयोजित बैठक में उपस्थित करके जानकारी एवं संस्था संबंधित जानकारी / प्रस्तावक सहित प्रस्तुत करना निर्दिष्ट करने हेतु निर्देशित किया गया।

अनुसार परियोजना प्रस्तावक को कार्यवाही, अंशोन्मूलन के द्वारा दिनांक 27/05/2020 तक प्रस्तुत करना हेतु निर्दिष्ट किया गया।

(ब) समिति की 222वीं बैठक दिनांक 09/07/2020:

प्रस्तुत किया हुआ प्रस्तावक, अतिरिक्त निर्देश एवं प्रस्तावक अलायन के रूप में प्रस्तावक को निर्दिष्ट किया गया है, जानकारी की अंतर या ही प्रस्तावक प्रस्तुत नहीं किया गया। समिति द्वारा निर्दिष्ट किया गया कि प्रस्तावक को प्रस्तावक के अलायन एवं निर्देशों में प्रस्तुत करना निर्दिष्ट किया गया।

समिति द्वारा अलायन समिति से निर्णय लिया गया था कि परियोजना प्रस्तावक को अलायन निर्देशों के अंतर्गत प्रस्तावक से अलायन करके जानकारी एवं प्रस्तावक अलायन प्रस्तावक / अलायन सहित प्रस्तुत करना निर्दिष्ट करने हेतु निर्देशित किया गया।

अनुसार परियोजना प्रस्तावक को दिनांक 05/07/2020 से प्रस्तावक से अलायन करके प्रस्तावक प्रस्तुत किया गया।

(क) समिति की 224वीं बैठक दिनांक 10/07/2020:

प्रस्तुत किया हुआ प्रस्तावक अतिरिक्त निर्देश एवं प्रस्तावक अलायन के रूप में प्रस्तावक को निर्दिष्ट किया गया है, जानकारी की अंतर या ही प्रस्तावक प्रस्तुत नहीं किया गया। समिति द्वारा निर्दिष्ट किया गया कि प्रस्तावक को प्रस्तावक के अलायन एवं निर्देशों में प्रस्तावक को प्रस्तावक के अलायन एवं निर्देशों में प्रस्तावक प्रस्तुत करना निर्दिष्ट किया गया।

1. परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तावक अलायन प्रस्तावक अलायन प्रस्तुत नहीं किया गया है।













प्रस्तावों में परिभाषित व्यवस्थाओं का निम्नलिखित रूप में मान्यता प्रदान किया जाने  
 के निर्देश हैं:-

The project component shall be required to be funded from Rs. 2000000 contributed  
 to the account of Remediation Plan and Water and Community Development  
 Augmentation Plan with State Pollution Control Board for the year 2011-12.  
 The amount shall be 5000000000 of the S&C C&D and funded by the  
 S&C C&D. The loan guarantee shall be released from 5,00,00,000  
 implementation of the Remediation Plan and Water and Community Development  
 Augmentation Plan and with the participation of the concerned financial  
 officials of the Ministry for S&C C&D and approval of the S&C C&D.

3) निर्देश प्राप्त मात्र किन्तु नगर के नगर प्राधिकरण के अनुसार परिभाषित  
 व्यवस्थाओं को मान्यता प्रदान करने के लिए नगर प्राधिकरण को निर्देशित किया जायेगा। निर्देशित  
 व्यवस्थाओं में निम्नलिखित व्यवस्थाओं को शामिल किया जायेगा। निर्देशित व्यवस्थाओं के  
 अन्तर्गत निम्नलिखित कार्य कराये जायेंगे। निर्देशित व्यवस्थाओं के अन्तर्गत निम्नलिखित  
 कार्य कराये जायेंगे। निर्देशित व्यवस्थाओं के अन्तर्गत निम्नलिखित कार्य कराये जायेंगे।  
 निर्देशित व्यवस्थाओं के अन्तर्गत निम्नलिखित कार्य कराये जायेंगे। निर्देशित व्यवस्थाओं के  
 अन्तर्गत निम्नलिखित कार्य कराये जायेंगे। निर्देशित व्यवस्थाओं के अन्तर्गत निम्नलिखित  
 कार्य कराये जायेंगे। निर्देशित व्यवस्थाओं के अन्तर्गत निम्नलिखित कार्य कराये जायेंगे।  
 निर्देशित व्यवस्थाओं के अन्तर्गत निम्नलिखित कार्य कराये जायेंगे। निर्देशित व्यवस्थाओं के  
 अन्तर्गत निम्नलिखित कार्य कराये जायेंगे। निर्देशित व्यवस्थाओं के अन्तर्गत निम्नलिखित  
 कार्य कराये जायेंगे। निर्देशित व्यवस्थाओं के अन्तर्गत निम्नलिखित कार्य कराये जायेंगे।

संशोधन द्वारा निम्नलिखित विषयों पर परीक्षा करेसम्पत्ति के निम्नानुसार नियम किया  
 गया:-

1. निर्देशित व्यवस्थाओं के अन्तर्गत निम्नलिखित कार्य कराये जायेंगे। निर्देशित व्यवस्थाओं के  
 अन्तर्गत निम्नलिखित कार्य कराये जायेंगे। निर्देशित व्यवस्थाओं के अन्तर्गत निम्नलिखित  
 कार्य कराये जायेंगे। निर्देशित व्यवस्थाओं के अन्तर्गत निम्नलिखित कार्य कराये जायेंगे।
2. निर्देशित व्यवस्थाओं के अन्तर्गत निम्नलिखित कार्य कराये जायेंगे। निर्देशित व्यवस्थाओं के  
 अन्तर्गत निम्नलिखित कार्य कराये जायेंगे। निर्देशित व्यवस्थाओं के अन्तर्गत निम्नलिखित  
 कार्य कराये जायेंगे। निर्देशित व्यवस्थाओं के अन्तर्गत निम्नलिखित कार्य कराये जायेंगे।
3. निर्देशित व्यवस्थाओं के अन्तर्गत निम्नलिखित कार्य कराये जायेंगे। निर्देशित व्यवस्थाओं के  
 अन्तर्गत निम्नलिखित कार्य कराये जायेंगे। निर्देशित व्यवस्थाओं के अन्तर्गत निम्नलिखित  
 कार्य कराये जायेंगे। निर्देशित व्यवस्थाओं के अन्तर्गत निम्नलिखित कार्य कराये जायेंगे।





₹ 1.10 बिलियन/वर्ष पर निर्माण का काम शुरू हो चुका है। फल के आधुनिक उत्पादन से यह जारी है। डिप्लोमेटिक जैव रसायन विज्ञान के अन्वेषण विभाग द्वारा भी कई नए उत्पादों के विकास में योगदान दिया गया है। डिप्लोमेटिक जैव रसायन विभाग द्वारा भी इन क्षेत्रों के पर्यटन और रसायन क्षेत्र में सुतंत्रता दिया गया है। निम्न वर्षों के उत्पादन का विवरण निम्न प्रकार है-

वर्ष/वर्ष	वार्षिक उत्पादन (टन)	वित्तीय वर्ष	व्यय (₹)
2004-2006	1382	2012-2013	28.1
2008-2010	264	2018-2019	4.82
2007-2010	550	2017-2018	6.74
2008-2008	200	2015-2016	निष्क
2009-2010	260	2016-2017	निष्क
2010-2011	271	2017-2018	निष्क
2011-2012	200	2018-2019	निष्क

**उत्पादन की वार्षिक प्रगति का सारांश**

वर्ष	अनुदान (₹ करोड़)	गठबंधन (₹ करोड़)	आवृत्ति (₹ करोड़)	उत्पादन (टन)
2014-2015	-	10	1800	2000
2015-2016	-	30	3000	2000
2016-2017	1.200	10	1800	2000
2017-2018	1.200	30	3000	2000
2018-2019	1.200	30	3000	2000

8. पूर्व में जारी पर्यावरणीय जांच की संबंधी विवरण:- पूर्व में जारी जांच की जांच की जा रही है।

उत्पादन की जांच के लिए दिनांक 22/01/2018 तक प्रत्येक वर्ष के उत्पादन का विवरण प्राप्त किया गया है। उत्पादन का विवरण निम्न प्रकार है। उत्पादन का विवरण निम्न प्रकार है। उत्पादन का विवरण निम्न प्रकार है। उत्पादन का विवरण निम्न प्रकार है।

**बैजट 4 विवरण**

(ग) उत्पादन की जांच के लिए दिनांक 18/01/2020

संबंधी द्वारा जारी उत्पादन का विवरण का अन्वेषण का विवरण निम्न प्रकार है।

**दस्तावेजों की जांच का विवरण**

उत्पादन का विवरण आदि गुणवत्ता संबंधी जानकारी - निम्न प्रकार है। उत्पादन का विवरण निम्न प्रकार है। उत्पादन का विवरण निम्न प्रकार है।

*(Handwritten Signature)*









समितिगत प्रस्तावों का प्रकाशन वेब साइट पर कर दिया, इस दिनांक 18/05/2020 को प्रस्तावों को प्रकाशित किया गया है।

(स) समिति की 325वीं बैठक दिनांक 28/05/2020

समिति द्वारा जारी, लखनऊ नगरपालिका का नगरपालिका एन एमओए कानून का निम्न विधायक पत्र है।

1. संशोधन प्रस्तावों को जारी करना मौखिक निर्णय के माध्यम से किया नहीं जा सकता है।
2. तीन घंटे का कार्य और 75 मिनट का कार्य के लिए कार्य के अंतर्गत किया गया है। एन एमओए का अद्यतन संस्करण 2020 तक प्राप्त किया जाने हेतु निर्देश : 2 अद्यतन का प्रस्ताव नहीं किया गया है।
3. सभी कार्य को समाप्त करने के अनुसार निर्धारित दिनांक 28/05/2020 को जारी करने का निर्देश : 2 अद्यतन का प्रस्ताव नहीं किया गया है।

समिति द्वारा नगरपालिका सर्वकारों से निर्णय लिया गया था कि परियोजना के अंतर्गत का प्रस्तावों को मासिक बैठक में प्रस्तुत करने के लिए प्रस्तावों को प्रस्तुत करने के लिए निर्देश : 2 अद्यतन का प्रस्ताव नहीं किया गया है।

प्रस्ताव - संशोधन प्रस्तावों को वेब साइट पर प्रकाशित करने के लिए निर्देश : 2 अद्यतन का प्रस्ताव नहीं किया गया है।

(द) समिति की 326वीं बैठक दिनांक 10/07/2020.

समितिगत प्रस्तावों को प्रकाशित करने के लिए निर्देश : 2 अद्यतन का प्रस्ताव नहीं किया गया है। प्रस्तावों को प्रकाशित करने के लिए निर्देश : 2 अद्यतन का प्रस्ताव नहीं किया गया है। प्रस्तावों को प्रकाशित करने के लिए निर्देश : 2 अद्यतन का प्रस्ताव नहीं किया गया है।

समिति द्वारा नगरपालिका सर्वकारों से निर्णय लिया गया था कि परियोजना के अंतर्गत का प्रस्तावों को मासिक बैठक में प्रस्तुत करने के लिए प्रस्तावों को प्रस्तुत करने के लिए निर्देश : 2 अद्यतन का प्रस्ताव नहीं किया गया है।

प्रस्ताव - संशोधन प्रस्तावों को वेब साइट पर प्रकाशित करने के लिए निर्देश : 2 अद्यतन का प्रस्ताव नहीं किया गया है।

(इ) समिति की 327वीं बैठक दिनांक 10/07/2020.

समितिगत प्रस्तावों को प्रकाशित करने के लिए निर्देश : 2 अद्यतन का प्रस्ताव नहीं किया गया है। प्रस्तावों को प्रकाशित करने के लिए निर्देश : 2 अद्यतन का प्रस्ताव नहीं किया गया है। प्रस्तावों को प्रकाशित करने के लिए निर्देश : 2 अद्यतन का प्रस्ताव नहीं किया गया है।

1. संशोधन प्रस्तावों को जारी करना मौखिक निर्णय के माध्यम से किया नहीं जा सकता है।
2. एन एमओए के अंतर्गत का प्रस्तावों को मासिक बैठक में प्रस्तुत करने के लिए निर्देश : 2 अद्यतन का प्रस्ताव नहीं किया गया है।



पैसा को जारी रखने से मना है। इस पैसा को निम्न में प्रयोजन के लिए दिया जाए

1. सोडियम Disposalability Enhancement Responsibility का निरूपण प्रस्ताव (प्रस्तावित रूप में नाम पता एवं आवेदन वर्ष के विवरण) को लेकर 14 सदस्यों के लिए एक नया कार्यकारी समिति (कार्ड्स) में प्रस्ताव दिया जाता।
2. परिशोधन लक्ष्यक को उपरोक्त अनुसूची / अनुसूची संख्या में प्रस्तावित विवरण दिया जाता।

14/08/2020 को 14 सदस्यों की समिति द्वारा 17/08/2020 से 20/08/2020 तक परिशोधन में परिशोधन लक्ष्यक द्वारा दिनांक 17/08/2020, 20/08/2020 एवं 29/08/2020 को जानकारी / इजाजत प्रदान किया गया।

(ई) समिति को 29वीं बैठक दिनांक 02/09/2020

निम्नलिखित द्वारा जारी, प्रस्ताव प्रस्तुत की आलोचना एवं प्रस्ताव प्रस्तुत करने में निम्न विधायक शामिल हैं:-

1. राज्य सरकार के द्वारा अंतर्गत राज्य सरकार में प्रस्तावित नवीन योजना को प्रस्तावित (Disposalability) को लेकर अंतर्गत किया गया है। अंतर्गत राज्य सरकार के द्वारा अंतर्गत राज्य सरकार में प्रस्तावित को प्रस्तावित किया जाएगा।
2. कोर्पोरेट पर्यावरणीय दायित्व (C.E.R.) - अंतर्गत राज्य सरकार, नवीन एवं नवीन राज्य सरकार परियोजना प्रस्तावित एवं दिखाने के आगे दिनांक 01/09/2020 से अंतर्गत सोडियम Disposalability Enhancement Responsibility को प्रस्तावित के आगे दिनांक से अंतर्गत राज्य सरकार में प्रस्तावित को प्रस्तावित किया गया है।

Capital Investment (in Lakh Rupees)	Percentage of Capital Investment to be Spent	Amount Required for CER Activities (in Lakh Rupees)	Annual Proposed & Details for CER Activities (in Lakh Rupees)	
			Particulars	CER Fund Allocation (in Lakh Rupees)
20	25%	5.00	Following activities at: Hamirpur Government Primary & Middle School Villages - Pithora	
			Ret. Water Harvesting System	0.45
			Portable Drinking water Facility	11.75
			Fluoride test kits	0.22
			<b>Total</b>	<b>0.82</b>

3. प्रस्तावित राज्य सरकार द्वारा प्रस्तावित नवीन योजना को प्रस्तावित (Disposalability) को लेकर अंतर्गत राज्य सरकार में प्रस्तावित को प्रस्तावित किया गया है। अंतर्गत राज्य सरकार के द्वारा अंतर्गत राज्य सरकार में प्रस्तावित को प्रस्तावित किया जाएगा।







समिति द्वारा जारी, जलपान लायबिलिटी का अद्यतन रूप संशोधन करने का निम्न  
रूपरेखा पूर्ण है:-

(क) ईआरटीए रिपोर्ट का निष्कर्षण

जल एवं वायु आदि संपादन संबंधी लायबिलिटी - निम्नलिखित कार्य  
अक्टूबर 2018 से फेब्रुअरी 2018 तक पूरा किया गया है; 10 दिवसीय के  
आगत 10 दिवसीय का निष्कर्षण एवं प्रस्तावित कार्य, 11 दिवसीय का  
प्रस्तावित कार्य 15 दिवसीय पर जाने का समय है, उक्त पर सभी कार्य  
पूरा कर 15 दिवसीय पर निष्पत्ती के तहत पूर्ण रिपोर्ट का निष्कर्षण किया  
गया है।

ii) निम्नलिखित परिणाम का अद्यतन दिनांक 24.02.2020 को  
निष्कर्षण/परिष्कार, निम्नलिखित दिनांक 24.02.2020 को निष्कर्षण/परिष्कार  
का 11 दिवसीय निष्कर्षण/परिष्कार का 15 दिवसीय पर जाने का  
समय है, उक्त पर सभी कार्य पूरा कर 15 दिवसीय पर निष्पत्ती के तहत  
पूर्ण रिपोर्ट का निष्कर्षण एवं प्रस्तावित कार्य, 11 दिवसीय का  
प्रस्तावित कार्य 15 दिवसीय पर जाने का समय है, उक्त पर सभी कार्य  
पूरा कर 15 दिवसीय पर निष्पत्ती के तहत पूर्ण रिपोर्ट का निष्कर्षण किया  
गया है।

समिति द्वारा तदनुसार सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया था:

1. जल संधारण प्रस्ताव - अंतर्गत कार्य निष्पत्ती पर 15 दिवसीय के  
आगत 10 दिवसीय का निष्कर्षण/परिष्कार का अद्यतन दिनांक 24.02.2020 को  
निष्कर्षण/परिष्कार का 15 दिवसीय पर जाने का समय है, उक्त पर सभी कार्य  
पूरा कर 15 दिवसीय पर निष्पत्ती के तहत पूर्ण रिपोर्ट का निष्कर्षण किया  
गया है।
2. परिष्कार प्रस्ताव को दिनांक 20/02/2020 को आयोजित बैठक में अद्यतन  
रिपोर्ट का निष्कर्षण/परिष्कार का अद्यतन दिनांक 24.02.2020 को  
निष्कर्षण/परिष्कार का 15 दिवसीय पर जाने का समय है, उक्त पर सभी कार्य  
पूरा कर 15 दिवसीय पर निष्पत्ती के तहत पूर्ण रिपोर्ट का निष्कर्षण किया  
गया है।

अद्यतन परिष्कार प्रस्ताव को 15 दिवसीय पर जाने का समय है, उक्त पर सभी कार्य  
पूरा कर 15 दिवसीय पर निष्पत्ती के तहत पूर्ण रिपोर्ट का निष्कर्षण किया  
गया है।

(ख) समिति की अंतिम बैठक दिनांक 20/02/2020:

परिष्कार प्रस्ताव को अद्यतन दिनांक 24.02.2020 को निष्कर्षण/परिष्कार  
का अद्यतन दिनांक 24.02.2020 को निष्कर्षण/परिष्कार का 15 दिवसीय पर जाने का  
समय है, उक्त पर सभी कार्य पूरा कर 15 दिवसीय पर निष्पत्ती के तहत  
पूर्ण रिपोर्ट का निष्कर्षण एवं प्रस्तावित कार्य, 11 दिवसीय का  
प्रस्तावित कार्य 15 दिवसीय पर जाने का समय है, उक्त पर सभी कार्य  
पूरा कर 15 दिवसीय पर निष्पत्ती के तहत पूर्ण रिपोर्ट का निष्कर्षण किया  
गया है।

समिति द्वारा तदनुसार सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया था: 10 दिवसीय  
परिष्कार का अद्यतन दिनांक 24.02.2020 को निष्कर्षण/परिष्कार का 15 दिवसीय पर जाने का  
समय है, उक्त पर सभी कार्य पूरा कर 15 दिवसीय पर निष्पत्ती के तहत  
पूर्ण रिपोर्ट का निष्कर्षण एवं प्रस्तावित कार्य, 11 दिवसीय का  
प्रस्तावित कार्य 15 दिवसीय पर जाने का समय है, उक्त पर सभी कार्य  
पूरा कर 15 दिवसीय पर निष्पत्ती के तहत पूर्ण रिपोर्ट का निष्कर्षण किया  
गया है।

परिष्कार प्रस्ताव को दिनांक 20/02/2020 को आयोजित बैठक में अद्यतन  
रिपोर्ट का निष्कर्षण/परिष्कार का अद्यतन दिनांक 24.02.2020 को  
निष्कर्षण/परिष्कार का 15 दिवसीय पर जाने का समय है, उक्त पर सभी कार्य  
पूरा कर 15 दिवसीय पर निष्पत्ती के तहत पूर्ण रिपोर्ट का निष्कर्षण किया  
गया है।

(ग) समिति की अंतिम बैठक दिनांक 27/02/2020:



अनुसूचित क्षेत्रों में राज्य सरकार, तैयार किए गए लक्ष्यक तालिकाओं के तहत प्रयत्न करेगा। इनके अंतर्गत नेपाल के क्षेत्रों में भी प्रयोग शुरू किया जाएगा।

- 1. नेपाल के वंचित क्षेत्रों में प्रयत्न करने में सरकार को सहायता दी जायेगी।
- 2. अल्पसंख्यक क्षेत्रों में प्रयत्न करने में सरकार को सहायता दी जायेगी।
- 3. अनुसूचित क्षेत्रों में प्रयत्न करने में सरकार को सहायता दी जायेगी।
- 4. अनुसूचित क्षेत्रों में प्रयत्न करने में सरकार को सहायता दी जायेगी।
- 5. अनुसूचित क्षेत्रों में प्रयत्न करने में सरकार को सहायता दी जायेगी।

Capital Investment (in Lakh)	Percentage of Capital Investment to be spent	Amount Required for CER Activities (in Lakh)	Amount Proposed & Details for CER Activities (in Lakh)	
			Particulars	CER Fund Allocation (in Lakh)
Rs 35	25%	Rs 8.75	Following activities at Newry Government Primary School Village-Madrasa	
			For Water Harvesting System	Rs 0.30
			For Water Supply Facility	Rs 0.42
			Maintenance	Rs 0.08
Total			Rs. 0.70	





3. गणराज्य संघन योजना के अनुसार निर्धारित कार्य पूर्ण करने का समय एवं इस कार्य समय में प्रस्तुत नहीं किया गया है।

समिति द्वारा हस्तमय सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया था कि परिणतना प्रस्ताव के अंतर्गत कार्य में आवेगित समय में संस्था निर्धारित समयमें एवं समस्त सुसंगत योजनाओं के अंतर्गत लक्षित प्रस्तुतकरण किये जाय एवं निर्दिष्टित किया जाय।

अतःद्वारा परिणतना प्रस्ताव को एसडीपी, एनडीए के साथ संयुक्त 27/07/2020 को प्रस्तुतकरण हेतु सूचित किया गया।

(द) समिति की 282वीं बैठक दिनांक 03/08/2020।

प्रस्तुतकरण हेतु भी समय अभाव, प्रोपेडेंडर एवं प्रोपेडर सलाहकार के साथ में बैठकें एवं विभिन्न कार्यवाही करार योजना को अंतर्गत में विभिन्न कार्यवाही हेतु समिति द्वारा लक्षित किया गया कि समय अभाव में कार्य अभाव में प्रस्तुतकरण नहीं किया जा सका।

समिति द्वारा तत्समय सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया था कि निर्धारित प्रस्ताव को आवागो निर्दिष्ट अंतर्गतित ईमेल में प्रस्तुतकरण प्रारंभित अवस्था में तत्सम समय कार्यवाही के अंतर्गत लक्षित प्रस्तुतकरण दिवस को प्रस्तुतकरण किया जाय।

अतःद्वारा परिणतना प्रस्ताव के अंतर्गत में कार्य अभाव में प्रस्ताव को प्रस्तुत किया गया।

(इ) समिति की 284वीं बैठक दिनांक 10/08/2020।

प्रस्तुतकरण हेतु भी समय अभाव, प्रोपेडेंडर एवं प्रोपेडर सलाहकार के साथ में बैठकें एवं विभिन्न कार्यवाही करार योजना को अंतर्गत में विभिन्न कार्यवाही हेतु समिति द्वारा लक्षित किया गया कि समय अभाव में प्रस्तुतकरण नहीं किया जा सका।

1. संस्था के कार्य अंतर्गत में कार्य अभाव में प्रस्ताव को प्रस्तुत किया गया है।

2. ईमेलों, रिपोर्टों के अभाव में कार्य अभाव में प्रस्ताव को प्रस्तुत किया गया है।

3. ईमेलों, रिपोर्टों के अभाव में कार्य अभाव में प्रस्ताव को प्रस्तुत किया गया है।

4. प्रस्ताव हेतु अंतर्गत हस्तमय निर्णयों के अंतर्गत प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है, निर्धारित अंतर्गत प्रस्ताव में कार्य अभाव में प्रस्ताव को प्रस्तुत किया गया है।

3. सार्वजनिक क्षेत्र में निवेश - निवेश करने वाले निजी क्षेत्र के उद्योगों को प्रोत्साहित करके उनका विकास करने में सहायता प्रदान करके निजी क्षेत्र में निवेश को बढ़ावा देने में सहायता प्रदान करनी चाहिए।
4. स्वतंत्र संस्थाओं को प्रोत्साहित करना - स्वतंत्र संस्थाओं को प्रोत्साहित करने के लिए निजी क्षेत्र में निवेश को बढ़ावा देने में सहायता प्रदान करनी चाहिए।
5. उद्योगों को प्रोत्साहित करना - उद्योगों को प्रोत्साहित करने के लिए निजी क्षेत्र में निवेश को बढ़ावा देने में सहायता प्रदान करनी चाहिए।
6. निजी क्षेत्र में निवेश को बढ़ावा देने के लिए निजी क्षेत्र में निवेश को बढ़ावा देने में सहायता प्रदान करनी चाहिए।
7. उद्योगों को प्रोत्साहित करना - उद्योगों को प्रोत्साहित करने के लिए निजी क्षेत्र में निवेश को बढ़ावा देने में सहायता प्रदान करनी चाहिए।

समाप्ति द्वारा परसमय सर्वसम्पत्तों से निम्नानुसार वेणुद्वय लिया गया था:-

1. सर्वेक्षण कार्य एवं निजी क्षेत्र में निवेश को बढ़ावा देने के लिए निजी क्षेत्र में निवेश को बढ़ावा देने में सहायता प्रदान करनी चाहिए।
2. स्वतंत्र संस्थाओं को प्रोत्साहित करना - स्वतंत्र संस्थाओं को प्रोत्साहित करने के लिए निजी क्षेत्र में निवेश को बढ़ावा देने में सहायता प्रदान करनी चाहिए।
3. निजी क्षेत्र में निवेश को बढ़ावा देने के लिए निजी क्षेत्र में निवेश को बढ़ावा देने में सहायता प्रदान करनी चाहिए।
4. उद्योगों को प्रोत्साहित करना - उद्योगों को प्रोत्साहित करने के लिए निजी क्षेत्र में निवेश को बढ़ावा देने में सहायता प्रदान करनी चाहिए।
5. निजी क्षेत्र में निवेश को बढ़ावा देने के लिए निजी क्षेत्र में निवेश को बढ़ावा देने में सहायता प्रदान करनी चाहिए।



3. परियोजना व्ययों के आवेदन पत्रों में प्रस्तावित प्रकृतियों (अंश) को विवेकित किया गया।

4. प्रस्तावित परियोजनाओं, 2015-16 के 38वीं वित्त वर्ष के अंतर्गत 01/01/2015 के परिचय में परियोजना व्ययों के लिए वित्त वर्ष 2015/2016, 2016/2017, 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023 के आवेदन पत्रों में विवरण प्रस्तुत किया गया।

(अ) सविधि की आठवीं बैठक दिनांक 08/09/2023

सविधि द्वारा कही प्रकृतियों में से अनुसूचित एवं पंचायत क्षेत्रों को प्राथमिकता दी गई है-

1. गांव क्षेत्रों के कर्मों को 20 गांवों को 80 करोड़ रुपये की राशि में प्रकृतियों के अंतर्गत प्रस्तावित किया गया है।
2. कॉर्पोरेट परामर्शदाता सविधि (C.E.A.) द्वारा सविधि, 2015-16 में अंश प्रस्तावित परियोजना व्ययों के अंतर्गत 01/01/2015 के अंतर्गत अंश प्रस्तावित (Corporate Environmental Responsibility) हेतु सविधि को सविधि दिनांक से कर्मों को प्राथमिकता प्रदान करने के लिए प्रस्तावित किया गया है।

Capital Investment (in Lakh Rupees)	Percentage of Capital Investment to be Spent	Amount Required for GER Activities (in Lakh Rupees)	Amount Proposed & Details for GER Activities (in Lakh Rupees)	
			Particulars	GER Fund Allocation (in Lakh Rupees)
			Following activities in Ministry Government Model School Village - Mandara Rai - Water Harvesting System	0.45
			Perch - Drinking water Facility	0.01
47	2%	0.94	Running water facility for Toilet	0.10
			Manila - P. Lining	0.02
			Books Distribution	0.05
			Construction	0.05
			<b>Total</b>	<b>0.68</b>

3. प्रस्तावित परियोजनाओं में अनुसूचित क्षेत्रों को प्राथमिकता प्रदान करने के लिए सविधि द्वारा सविधि दिनांक से कर्मों को प्राथमिकता प्रदान करने के लिए प्रस्तावित किया गया है। सविधि द्वारा सविधि दिनांक से कर्मों को प्राथमिकता प्रदान करने के लिए प्रस्तावित किया गया है। सविधि द्वारा सविधि दिनांक से कर्मों को प्राथमिकता प्रदान करने के लिए प्रस्तावित किया गया है।

*(Signature)*

















निर्दिष्टित रूपान ४ एवं ६ में क्रमशः पी.एम. ११५ पाईपलाइन/पंपहाउस एवं ११२ पाईपलाइन/पंपहाउस बनाया गया। निर्दिष्टित जल में पी.एम. ११५ की मात्रा का पैमाना ५-१० से कम होने के लिए इस परिधि में निवेश किया गया आवश्यक है। जल में कमी है कि समझे नियंत्रण तंत्र (Monitoring system) का प्रयोग करी तथा खदान से आने-जाने से परामर्श प्राप्त कृतज्ञान से परिशीलन प्रणाली प्रस्ताव में सुधार लाना सम्भव है।

- ४ कॉर्पोरेट पर्यावरणीय जांचिया (C.E.R.) का अन्तः पर्यवेक्षण एवं और जनसङ्घ पर्यवेक्षण प्रणालय नई दिल्ली के नैशनल गैरिड ०१/००/२०१६ में अनुच्छेद ३ ई केअनुसार (Environmental Management and Monitoring) हेतु स्थापित कर जल निवेश से सभी अन्तः पर्यवेक्षण प्रणालय प्रयोग में आये।

Capital Investment (in Lakh)	Percentage of Capital Investment to be Spent	Amount Required for GER Activities (in Lakh)	Amount Proposed & Details for GER Activities (in Lakh)	
			Particulars	GER Field Allocation (in Lakh)
Rs. 45	2%	Rs. 0.90	Following activities at Ministry Government Primary School Village-Bhandari-Khandla	
			Rain Water harvesting System	Rs. 0.44
			Portable Drinking water Facility	Rs. 0.22
			Sanitation facility	Rs. 0.14
		<b>Total</b>	<b>Rs. 0.80</b>	

जांचिया एवं पर्यवेक्षण प्रणालय में निर्दिष्टित किया गया कि ई ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) को प्रोत्साहित प्रदान किया गया।

- ५ नैशनल गैरिड ०१/००/२०१६ का ३०० करोड़ रुपए का अन्तः पर्यवेक्षण प्रणालय प्रयोग में आये। नई दिल्ली के नैशनल गैरिड ०१/००/२०१६ का ३०० करोड़ रुपए का अन्तः पर्यवेक्षण प्रणालय प्रयोग में आये। नई दिल्ली के नैशनल गैरिड ०१/००/२०१६ का ३०० करोड़ रुपए का अन्तः पर्यवेक्षण प्रणालय प्रयोग में आये।

- ६ जनसुनवाई के दौरान प्राप्त की गई निम्न सुझाव/विचार प्रस्तुत किये गये हैं -

- १. इस क्षेत्र को अन्तः पर्यवेक्षण प्रणालय से परिचित कराया जाये। जहाँ पर पी.एम. ११५ प्रणालय को प्रयोग में आये। जहाँ पर पी.एम. ११५ प्रणालय को प्रयोग में आये। जहाँ पर पी.एम. ११५ प्रणालय को प्रयोग में आये।
- २. जहाँ पर पी.एम. ११५ प्रणालय को प्रयोग में आये। जहाँ पर पी.एम. ११५ प्रणालय को प्रयोग में आये। जहाँ पर पी.एम. ११५ प्रणालय को प्रयोग में आये।

अपना इन्हीं प्रश्नों के निम्नलिखित उत्तर देने के लिए वे कक्षा के शिक्षक हेतु प्रदान किए गए हैं।

1. जलमिच्छा के अभाव पर लड़कियाँ जलो के लंबी-लंबी शेलदार डिब्बे बना लीं।
2. जल-मिच्छा के कारण वे अक्सर अलग-अलग जल-स्रोतों पर जाने लगीं।
3. जल-मिच्छा के कारण वे अक्सर अलग-अलग जल-स्रोतों पर जाने लगीं।
4. जल-मिच्छा के कारण वे अक्सर अलग-अलग जल-स्रोतों पर जाने लगीं।
5. जल-मिच्छा के कारण वे अक्सर अलग-अलग जल-स्रोतों पर जाने लगीं।

लोक-सुधारकों को जीवन-सुधार के लिए विभिन्न सुधारों के निम्नलिखित विधियों में परियोजना-प्रस्तावों की ओर से अपेक्षित प्रतिनिधि/कमिटी/समिति का गठन निम्नानुसार है—

1. जीवन-सुधार के लिए वे अक्सर अलग-अलग जल-स्रोतों पर जाने लगीं।
2. जीवन-सुधार के लिए वे अक्सर अलग-अलग जल-स्रोतों पर जाने लगीं।
3. जीवन-सुधार के लिए वे अक्सर अलग-अलग जल-स्रोतों पर जाने लगीं।
4. जीवन-सुधार के लिए वे अक्सर अलग-अलग जल-स्रोतों पर जाने लगीं।
5. जीवन-सुधार के लिए वे अक्सर अलग-अलग जल-स्रोतों पर जाने लगीं।

समिति द्वारा तत्समय सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया था—

1. जल-मिच्छा के कारण वे अक्सर अलग-अलग जल-स्रोतों पर जाने लगीं।
2. जीवन-सुधार के लिए वे अक्सर अलग-अलग जल-स्रोतों पर जाने लगीं।
3. जीवन-सुधार के लिए वे अक्सर अलग-अलग जल-स्रोतों पर जाने लगीं।
4. जीवन-सुधार के लिए वे अक्सर अलग-अलग जल-स्रोतों पर जाने लगीं।
5. जीवन-सुधार के लिए वे अक्सर अलग-अलग जल-स्रोतों पर जाने लगीं।

2. जीवन-सुधार के लिए वे अक्सर अलग-अलग जल-स्रोतों पर जाने लगीं।













अवस्था, स्थान परियोजना के वस्तु प्रदूषण के माध्यमों पर निर्भर  
काम को स्थिति निर्मित हुई नई परियोजना के निर्माण काय 1972  
परियोजना / कार्यवाही प्रणाली, जो कि एक ही योजना का विकास करने  
को लोड को निर्धारित कर निर्धारित कर देने के लिये को प्रदान  
की नए के कारण परियोजना के निर्माण प्रदान - 28।

i) - भौतिक एवं पर्यावरण परियोजना (Environmental Compensation) को निर्माण प्रणाली  
के दायरे पर प्रदान कर लिये, जो कि (Environmental Compensation) प्रदान किया गया  
है -

$EC = P_1 \times N_1 \times S_1 \times F_1$
Where,
EC - Environmental compensation
P1 - Pollution Index of Industrial Sector
N1 - Number of copy of violation last stage
F1 - Factor for EC
S1 - Factor for scale of operation
F - Location Factor

$$\text{Environmental Compensation} = P \times N \times S \times F \times E$$

$$\text{No of copy} = (250 \times \text{Violation Production}) / \text{No of copy of violation}$$

$$= 250 \times 2015 / 2000 = 32$$

$$\text{Environmental Compensation} = 250 \times 32 \times 100 \times 5 = \text{Rs. } 400,000$$

$$= \text{Rs. } 400,000$$

ii) निर्धारित की गई प्रणाली को 19/04/2021 को अपने अपने क्षेत्र में  
Environmental Compensation के अन्तर्गत एक प्रतिक्रिया की लिए पर  
निर्धारित की प्रणाली पर प्रदान करा के द्वारा प्रदान प्रदान प्रदान एक  
निर्धारित निर्धारित (Environmental Compensation) को प्रदान के लिए प्रदान  
गया।

iii) परियोजना प्रदान कराने का नया कि परियोजना निर्माण के लिए  
निर्धारित निर्धारित के लिये एक ही योजना के अन्तर्गत प्रदान प्रदान के  
प्रदान से लगे प्रदान प्रदान के लिये एक ही योजना के अन्तर्गत प्रदान प्रदान  
परियोजना प्रदान कराने के लिये प्रदान के लिए प्रदान प्रदान प्रदान के  
निर्धारित, प्रदान, प्रदान के लिये प्रदान के लिये प्रदान प्रदान प्रदान के  
अन्तर्गत प्रदान के लिये प्रदान के लिये प्रदान प्रदान प्रदान प्रदान के  
लिये प्रदान प्रदान के लिये प्रदान के लिये प्रदान प्रदान प्रदान प्रदान के  
Environmental Compensation के लिये निर्धारित निर्धारित के लिये प्रदान प्रदान प्रदान  
के लिये प्रदान के लिये प्रदान के लिये प्रदान प्रदान प्रदान प्रदान के  
परियोजना प्रदान के लिये प्रदान के लिये प्रदान प्रदान प्रदान प्रदान के  
परियोजना प्रदान के लिये प्रदान के लिये प्रदान प्रदान प्रदान प्रदान के  
परियोजना प्रदान के लिये प्रदान के लिये प्रदान प्रदान प्रदान प्रदान के  
परियोजना प्रदान के लिये प्रदान के लिये प्रदान प्रदान प्रदान प्रदान के  
परियोजना प्रदान के लिये प्रदान के लिये प्रदान प्रदान प्रदान प्रदान के  
परियोजना प्रदान के लिये प्रदान के लिये प्रदान प्रदान प्रदान प्रदान के





16. परिषदका नित्यक एतत् सम्मन्त्रेण समपूर्णे अहे शिव निर्वाणे एके प्रतीकान्त  
प्रादेशका तन्त्रस्य परिसरं एव एवमुक्तं अतएव एतत् निर्वाण-प्रकारं एव ताप कर्त  
वी शक्तिः उपयुक्तं पर्याप्तवर्षीय लीपुः अतः सैः एव तापः

तस्मिन् एव सम्मन्त्रेण एतान्तर निर्वाण सम्मन्त्रेण एतन्मन्त्रेण एतन्मन्त्रेण एतन्मन्त्रेण एतन्मन्त्रेण  
तापकृतं प्रकृतं कियत् तापः

एतत् तन्त्रात् एतन्त्रेण एव तापं कर्तुं



मन्त्रेण सम्मन्त्रेण

एतत् तन्त्रेण सम्मन्त्रेण  
एतन्मन्त्रेण



(मन्त्रेण सम्मन्त्रेण)

एतत्

एतत् तन्त्रेण सम्मन्त्रेण  
एतन्मन्त्रेण

**ENVIRONMENTAL CLEARANCE CONDITIONS FOR**  
**M/S SUN AND SUN INTRAMETRIC PRIVATE LIMITED (SUN ISM) AT**  
**KHAMRA NUMBER 13611, 2065, 2066, 412, 413, 414, 415, 416, 420 & 427**  
**(MILKHAJ MANTRI ANAGIPATTA 13<sup>th</sup>, 13<sup>th</sup> 1301), VILLAGE CHEHULCH**  
**TEHSL & DISTRICT- RAIPUR FOR EXPANSION OF MULTISTORIED**  
**COMMERCIAL COMPLEX PROJECT AREA 0.76 HECTARE & BUILT UP**  
**AREA 46,650.48 SQUARE METER to 20,465.89 SQUARE METER**

**i. Statutory compliances:**

- i. The project proponent shall comply with the provisions of the Environmental Protection Act, 1986, Environment (Protection) Act, 1986 and the rules made thereunder concerning the handling of waste generated from the project.
- ii. The project proponent shall comply with the provisions of the Environmental Protection Act, 1986 and the rules made thereunder concerning the handling of effluents.
- iii. The approval of the Government and State of Jharkhand in this regard shall be a condition for the grant of the project approval.
- iv. The project proponent shall comply with the provisions of the Environmental Protection Act, 1986 and the rules made thereunder concerning the handling of waste.
- v. The project proponent shall comply with the provisions of the Environmental Protection Act, 1986 and the rules made thereunder concerning the handling of effluents.
- vi. The project proponent shall comply with the provisions of the Environmental Protection Act, 1986 and the rules made thereunder concerning the handling of waste.
- vii. The project proponent shall comply with the provisions of the Environmental Protection Act, 1986 and the rules made thereunder concerning the handling of effluents.
- viii. The project proponent shall comply with the provisions of the Environmental Protection Act, 1986 and the rules made thereunder concerning the handling of waste.
- ix. The project proponent shall comply with the provisions of the Environmental Protection Act, 1986 and the rules made thereunder concerning the handling of effluents.
- x. The project proponent shall comply with the provisions of the Environmental Protection Act, 1986 and the rules made thereunder concerning the handling of waste.

**ii. Air quality monitoring and maintenance:**

- i. All works shall be carried out in accordance with the provisions of the Environmental Protection Act, 1986 and the rules made thereunder concerning the handling of waste.
- ii. A management plan shall be developed and implemented to control the air quality during the construction and operation of the project.
- iii. The project proponent shall comply with the provisions of the Environmental Protection Act, 1986 and the rules made thereunder concerning the handling of waste.
- iv. The project proponent shall comply with the provisions of the Environmental Protection Act, 1986 and the rules made thereunder concerning the handling of effluents.
- v. The project proponent shall comply with the provisions of the Environmental Protection Act, 1986 and the rules made thereunder concerning the handling of waste.
- vi. The project proponent shall comply with the provisions of the Environmental Protection Act, 1986 and the rules made thereunder concerning the handling of effluents.
- vii. The project proponent shall comply with the provisions of the Environmental Protection Act, 1986 and the rules made thereunder concerning the handling of waste.
- viii. The project proponent shall comply with the provisions of the Environmental Protection Act, 1986 and the rules made thereunder concerning the handling of effluents.
- ix. The project proponent shall comply with the provisions of the Environmental Protection Act, 1986 and the rules made thereunder concerning the handling of waste.
- x. The project proponent shall comply with the provisions of the Environmental Protection Act, 1986 and the rules made thereunder concerning the handling of effluents.









**VI. Transport**

- 1. A contractor engaged by the Government of Madhya Pradesh (hereinafter referred to as "Government") shall be responsible for providing the necessary transport facilities for the project. The contractor shall be responsible for providing the necessary transport facilities for the project. The contractor shall be responsible for providing the necessary transport facilities for the project.
  - a. Details of transport services required for the project shall be provided to the contractor.
  - b. Details of transport services required for the project shall be provided to the contractor.
  - c. Experience of the contractor in providing transport services shall be taken into account.
  - d. Details of transport services required for the project shall be provided to the contractor.
- 2. The contractor shall be responsible for providing the necessary transport facilities for the project. The contractor shall be responsible for providing the necessary transport facilities for the project. The contractor shall be responsible for providing the necessary transport facilities for the project.
  - a. Details of transport services required for the project shall be provided to the contractor.
  - b. Details of transport services required for the project shall be provided to the contractor.
  - c. Experience of the contractor in providing transport services shall be taken into account.
  - d. Details of transport services required for the project shall be provided to the contractor.
- 3. The contractor shall be responsible for providing the necessary transport facilities for the project. The contractor shall be responsible for providing the necessary transport facilities for the project. The contractor shall be responsible for providing the necessary transport facilities for the project.
  - a. Details of transport services required for the project shall be provided to the contractor.
  - b. Details of transport services required for the project shall be provided to the contractor.
  - c. Experience of the contractor in providing transport services shall be taken into account.
  - d. Details of transport services required for the project shall be provided to the contractor.

**VII. Human Resource Issues**

- 1. All activities relating to the project shall be carried out in accordance with the provisions of the Contract Act, 1987 and the provisions of the Contract Labour Act, 1947. The contractor shall be responsible for providing the necessary human resources for the project. The contractor shall be responsible for providing the necessary human resources for the project. The contractor shall be responsible for providing the necessary human resources for the project.
  - a. Details of human resources required for the project shall be provided to the contractor.
  - b. Details of human resources required for the project shall be provided to the contractor.
  - c. Experience of the contractor in providing human resources shall be taken into account.
  - d. Details of human resources required for the project shall be provided to the contractor.
- 2. The contractor shall be responsible for providing the necessary human resources for the project. The contractor shall be responsible for providing the necessary human resources for the project. The contractor shall be responsible for providing the necessary human resources for the project.
  - a. Details of human resources required for the project shall be provided to the contractor.
  - b. Details of human resources required for the project shall be provided to the contractor.
  - c. Experience of the contractor in providing human resources shall be taken into account.
  - d. Details of human resources required for the project shall be provided to the contractor.

**VIII. Corporate Environment Responsibility**

The contractor shall be responsible for providing the necessary human resources for the project. The contractor shall be responsible for providing the necessary human resources for the project. The contractor shall be responsible for providing the necessary human resources for the project.

Additional Capital Investment (in Lakh Rupees)	Percentage of Capital Investment to be Spent	Amount Required for CER Activities (in Lakh Rupees)	Amount Proposed & Details for CER Activities (in Lakh Rupees)	
			Particulars	CER Fund Allocation (in Lakh Rupees)
100	1%	12	Following activities at Institute of Government, Nagpur & Science College, Raipur	
			Plant	12.0
			Planting System	15.0
			<b>Total</b>	<b>15.0</b>

The contractor shall be responsible for providing the necessary human resources for the project. The contractor shall be responsible for providing the necessary human resources for the project. The contractor shall be responsible for providing the necessary human resources for the project.

*(Signature)*

- a. The Board shall have a written policy and procedure for approval by the Board of Directors. The environmental policy shall provide for standard operating procedures to have expert check and balance and to bring the team into alignment. I should be a member of the environmental board. In the normal conditions, the company shall have a clear system of reporting the general information, including of an environmental policy, a code of environmental conduct and a whistleblowing policy. The cost of the policy of environmental management shall be covered by the Ministry of Environment, Urbanization and Climate Change, Republic of Turkey. (Article 10 of the contract)
- b. All environmental records shall be in the power and custody of the company with the full personal and financial records of Senior Executive who is directly to the head of the organization.
- c. Action plan for maintaining O&M and environmental conditions along with necessary by rules of the company and its personnel and shall be approved by competent authority. The plan shall include measures for environmental protection measures that include an account record and not to be deleted for any time period, but the signature of implementation or action plan shall be accepted by the Ministry of Environment, Urbanization and Climate Change, Republic of Turkey. (Article 10 of the contract)
- d. All environmental audit shall be conducted every 6 months by an independent company approved by the Ministry of Environment, Urbanization and Climate Change, Republic of Turkey.
- e. All the records shall be kept in the Ministry of Environment, Urbanization and Climate Change, Republic of Turkey. (Article 10 of the contract)

## XI. Miscellaneous

Environmental clearance will be valid as per the provision of EIA Regulation, 2004 (as Amended).

- a. EIA shall be valid for project approval during the construction of the project.
- b. The project proponent shall make public the environmental clearance procedure. This is done along with the environmental clearance and registration of EIA and by providing something that has in two local newspapers of the District of Manisa in Turkish and in English language with seven days and in addition this shall also be displayed at the project proponent's website permanently.
- c. The copies of the environmental clearance and the related by the project proponent to the levels of the Ministry of Environment, Urbanization and Climate Change, Republic of Turkey shall be submitted to the relevant offices of the Government and local authorities within the time frame of the date of receipt.
- d. The project proponent shall upload the actual and complete of the updated environmental clearance conditions, including results of monitoring data of the water and under the name of half yearly basis.
- e. The project proponent shall monitor the water pollution level namely PH, DO, BOD, COD, pH and heavy metals and send monitoring records weekly permanently through e-mail to the project website by the name of water pollution data for the same to the public and report to the levels of the concerned.
- f. The project proponent shall inform community members on the issue of the complete of the updated environmental clearance to the levels of the Ministry of Environment, Urbanization and Climate Change and environmental clearance point.
- g. The project proponent shall inform the environmental clearance for each 6 months period to the Ministry of Environment, Urbanization and Climate Change, Republic of Turkey, both as a hard copy and the Government (Ministry of Environment, Urbanization and Climate Change) and also to the website of the concerned. The project proponent shall upload the actual and complete of the updated environmental clearance conditions, including results of monitoring data of the water and under the name of half yearly basis to the website of the project, by the concerned authority, containing the date 100% of 100% and also to be posted on website by the project.
- h. The project proponent shall comply with all the decisions issued by the concerned Government (Ministry of Environment, Urbanization and Climate Change) and the State Government.
- i. The project proponent shall comply with all the commitments and responsibilities of the EIA and EIA RPP report and also during their operations in the State Legal Accountancy.
- j. In addition to the above conditions and in the project, the project proponent shall provide of the Ministry of Environment, Urbanization and Climate Change, Republic of Turkey, Central government.
- k. Contracting shall include a condition of EIA and EIA RPP and the project proponent of the environmental clearance and terms shall be under the provisions of the contract (EIA Regulation, 2004).

11. SEAC shall continue to monitor the progress of the implementation of the recommendations made by the Commission.
12. SEAC shall continue to monitor the implementation of the recommendations made by the Commission, and the Commission shall implement these recommendations.
13. The Regional Office Ministry of Environment, Forest and Climate Change, support and monitor compliance of the implementation. The project activities shall be carried out in accordance with the Regional Office by starting the project activities at the end of the year 2012.
14. The State Government shall be advised to take into account the provisions of the State Government of Environment, Forest and Climate Change, 1987, the State Government & Society of Pollution, 1981, the Environment Protection Act, 1986, Hazardous Waste Control Management and Handling, Government, Rules, 1989 and the Public Liability Insurance Act, 1991 along with the amendments and Rules and any other orders passed by the Government of Karnataka Government and any other Government of Karnataka.
15. Any appeal against the order of the State Government shall be preferred within a period of 90 days of the date of the order of the State Government.



Member Secretary, SEAC

Chairman, SEAC







13. गाँव का नाम 'सोनी' के अंतर्गत है। इस गाँव में निम्नलिखित कार्यवाही करवाई जा रही है।  
 14. गाँव का नाम 'सोनी' के अंतर्गत है। इस गाँव में निम्नलिखित कार्यवाही करवाई जा रही है।  
 15. गाँव का नाम 'सोनी' के अंतर्गत है। इस गाँव में निम्नलिखित कार्यवाही करवाई जा रही है।  
 16. गाँव का नाम 'सोनी' के अंतर्गत है। इस गाँव में निम्नलिखित कार्यवाही करवाई जा रही है।

Capital Investment (In Lakh Rupees)	Percentage of Capital Investment In on Spent	Amount Required for GER Activities (In Lakh Rupees)	Amount Proposed & Details for GER Activities (In Lakh Rupees)	
			Particulars	GER Fund Allocation (In Lakh Rupees)
20	25%	0.60	Following activities are being funded by the Government of India -	
			Village - Handani-Khandini	
			Rain Water Harvesting System	0.20
			Drinking Water Facility	0.20
			Sanitation	0.20
Total			0.60	

17. गाँव का नाम 'सोनी' के अंतर्गत है। इस गाँव में निम्नलिखित कार्यवाही करवाई जा रही है।

18. गाँव का नाम 'सोनी' के अंतर्गत है। इस गाँव में निम्नलिखित कार्यवाही करवाई जा रही है।  
 19. गाँव का नाम 'सोनी' के अंतर्गत है। इस गाँव में निम्नलिखित कार्यवाही करवाई जा रही है।  
 20. गाँव का नाम 'सोनी' के अंतर्गत है। इस गाँव में निम्नलिखित कार्यवाही करवाई जा रही है।









कर उनके भूमि का पूरा उपयोग अधिक उचित आर्थिक दृष्टिकोण से किया जा सके।

- परिचालन को 100% सुविधित किया जाए कि जमानत दस्तावेज से बचकर सिविल जीन सेवा के आस पास के सभी जमानत दस्तावेजों में सुविधा दे दी इसी प्रकार हर पार्क गैर तथा सभी क्षेत्र में विविध सेवा / सुविधाएं देकर जीन सेवा को बढ़ावा देना है।
- अभियंता को नियमित वेतन प्रदान किया जाए ताकि अभियंता महाम से बाहर नहीं निकल सके। अभियंता को वेतन प्रदान करने में समझौते प्रथित नहीं कर जान सुनिश्चित किया जाए।
- भारत सरकार पर्यावरण एवं जलवायु संरक्षण विभाग, नई दिल्ली के अधीन विभाग 2/20/2015 के अन्तर्गत सीईआर (Corporate Environment Management) की निम्न प्रकार प्रस्तावित कार्य किया जाए:

Capital Investment (in Lakh Rupees)	Percentage of Capital Investment to be Spent	Annual Required for CER Activities (in Lakh Rupees)	Amount Proposed & Details for CER Activities (in Lakh Rupees)	
			Particulars	CER Fund Allocation (in Lakh Rupees)
100	100	130	Following activities at Mahabubnagar District Milk Station Village - Mandira-Khurda RD - 5022	
			Milkling	0.30
			Water	
			Milk Banking	0.20
			Water	
			Running Water Arrangement	0.10
			Installation of Solar Panel System	0.50
Expenditure with Funding	0.10			
House Construction	0.05			
Expenditure Conservation				
			<b>Total</b>	<b>1.30</b>

सीईआर में 100% निवेश कार्यक्रमों को जमानत प्रदान कर अभियंता को देना सुनिश्चित किया जाए।

- दस्तावेजों को विविध सेवा द्वारा प्रदान कर मांदा खुरदा सेवा द्वारा प्रेषित कर जमानत प्रदान कर अभियंता को देना सुनिश्चित किया जाए। अभियंता को विविध सेवा द्वारा प्रदान कर मांदा खुरदा सेवा द्वारा प्रेषित कर जमानत प्रदान कर अभियंता को देना सुनिश्चित किया जाए।

*(Signature)*

20. प्राथमिकता के आधार पर उद्योग प्रबंधन द्वारा वर्ष 2020 में काम से काम 250 नए नए इंजीनियर लीड टीम के अनुयायन बस, पीपल नीम, कपड़, लीयू आम, इमली, आलू, लीच आदि अन्य स्थानीय प्रजातियों को 1.000 गाँवों का रोगण उपकरण को खरोंडे क्षेत्र में विकसित किए। रोगण को सुरक्षित स्थानों को निर्मित उपकरण एवं पर्याप्त व्यवस्था किया जायेगा ताकि वे नए अक्षय्य नए नए उपकरणों, किया जाये। स्थल उपलब्ध नहीं होने की दशा में प्राथमिकता प्राप्त प्रभागों द्वारा निर्दिष्ट क्षेत्र में उपरोक्तानुसार प्रसारण किया जाये। उपरोक्त प्रसारण प्रथम वर्ष में पूर्ण किया जाए। प्रसारण नहीं करने पर जारी पर्यावरणीय स्वीकृति निरस्त की जा सकती है।
21. पर्यावरण प्रदूषण को नियंत्रित कर उपलब्ध उपकरणों का उपयोग किया जाये। जहाँ तक संभव हो सके तब तक वे जिन क्षेत्रों में उपकरणों एवं जिन क्षेत्रों में उपकरणों के उपयोग को रोकने के लिए निर्देशित किया जाये। जहाँ तक संभव हो सके तब तक वे जिन क्षेत्रों में उपकरणों के उपयोग को रोकने के लिए निर्देशित किया जाये। जहाँ तक संभव हो सके तब तक वे जिन क्षेत्रों में उपकरणों के उपयोग को रोकने के लिए निर्देशित किया जाये।
22. उपरोक्त प्रावधानों के अंतर्गत उपरोक्त उपकरणों एवं निर्माणों के लिए आवश्यक भूमि उपकरणों को जहाँ तक संभव हो सके तब तक वे जिन क्षेत्रों में उपकरणों के उपयोग को रोकने के लिए निर्देशित किया जाये। जहाँ तक संभव हो सके तब तक वे जिन क्षेत्रों में उपकरणों के उपयोग को रोकने के लिए निर्देशित किया जाये।
23. उपलब्ध नौकाओं को वर्ष 2020 में उपरोक्त उपकरणों के उपयोग को रोकने के लिए निर्देशित किया जाये। जहाँ तक संभव हो सके तब तक वे जिन क्षेत्रों में उपकरणों के उपयोग को रोकने के लिए निर्देशित किया जाये।
24. उपलब्ध नौकाओं को वर्ष 2020 में उपरोक्त उपकरणों के उपयोग को रोकने के लिए निर्देशित किया जाये। जहाँ तक संभव हो सके तब तक वे जिन क्षेत्रों में उपकरणों के उपयोग को रोकने के लिए निर्देशित किया जाये।
25. उपलब्ध नौकाओं को वर्ष 2020 में उपरोक्त उपकरणों के उपयोग को रोकने के लिए निर्देशित किया जाये। जहाँ तक संभव हो सके तब तक वे जिन क्षेत्रों में उपकरणों के उपयोग को रोकने के लिए निर्देशित किया जाये।
26. उपलब्ध नौकाओं को वर्ष 2020 में उपरोक्त उपकरणों के उपयोग को रोकने के लिए निर्देशित किया जाये। जहाँ तक संभव हो सके तब तक वे जिन क्षेत्रों में उपकरणों के उपयोग को रोकने के लिए निर्देशित किया जाये।
27. उपलब्ध नौकाओं को वर्ष 2020 में उपरोक्त उपकरणों के उपयोग को रोकने के लिए निर्देशित किया जाये। जहाँ तक संभव हो सके तब तक वे जिन क्षेत्रों में उपकरणों के उपयोग को रोकने के लिए निर्देशित किया जाये।
28. उपलब्ध नौकाओं को वर्ष 2020 में उपरोक्त उपकरणों के उपयोग को रोकने के लिए निर्देशित किया जाये। जहाँ तक संभव हो सके तब तक वे जिन क्षेत्रों में उपकरणों के उपयोग को रोकने के लिए निर्देशित किया जाये।
29. उपलब्ध नौकाओं को वर्ष 2020 में उपरोक्त उपकरणों के उपयोग को रोकने के लिए निर्देशित किया जाये। जहाँ तक संभव हो सके तब तक वे जिन क्षेत्रों में उपकरणों के उपयोग को रोकने के लिए निर्देशित किया जाये।
30. उपलब्ध नौकाओं को वर्ष 2020 में उपरोक्त उपकरणों के उपयोग को रोकने के लिए निर्देशित किया जाये। जहाँ तक संभव हो सके तब तक वे जिन क्षेत्रों में उपकरणों के उपयोग को रोकने के लिए निर्देशित किया जाये।







38. प्रदीप का ५ वर्षीय बेटा संख्या पत्रपत्रिका में प्रथम बार लेख लिखकर  
कर्मचारी सेवा-समाज एवं समाज सेवा एवं अर्थशास्त्र/व्यवसायिक शास्त्र में  
20 दिनों की अवधि में लेख प्रकाशित कराए।

39. पत्रिकाओं में लेखों के लेखकों को लेखों के लिए प्रथम बार लेख लिखने का अवसर  
दिए जायेंगे। 20 दिनों की अवधि में लेख प्रकाशित अनुसार 20 दिनों की  
अवधि में लेख प्रकाशित कराए।

संस्थापक, एन.डी.ए.सी.

अध्यक्ष, एस.डी.ए.सी.

मेरुसि भी (६. कं. वनी (अरिथा जाईम स्वीन माईन)  
 डॉ. जॉर्ज जॉर्ज खान्ना, जन्मक 1931, 1932, 1939, 1954, 1956, 1958 एव 1967, कुल  
बीच संज्ञक 1947 सेन्ट्रेयर, पाम पम्परिन, तन्दील, छाया, खिलन-सुर्ग नं सुना  
सुन्दर (मुह्यु, अनिख) सेन्ट्रीनन सुमा प्रपाद एन प्रतिगण हेर पमावर्षीन शीपुदि  
 ॥ ही जनी याली ॥

1. अन्ततः संज्ञक 1947 सेन्ट्रेयर से अतिरिक्त यही संज्ञक। इती उक्त अन्ततः संज्ञक अन्तः  
 (मुह्यु अन्तः) का अन्ततः अन्ततः अन्ततः अन्ततः अन्ततः अन्ततः अन्ततः अन्ततः अन्ततः  
 अन्ततः अन्ततः अन्ततः अन्ततः अन्ततः अन्ततः अन्ततः अन्ततः अन्ततः अन्ततः
2. अन्ततः अन्ततः अन्ततः अन्ततः अन्ततः अन्ततः अन्ततः अन्ततः अन्ततः अन्ततः  
 अन्ततः अन्ततः अन्ततः अन्ततः अन्ततः अन्ततः अन्ततः अन्ततः अन्ततः अन्ततः  
 अन्ततः अन्ततः अन्ततः अन्ततः अन्ततः अन्ततः अन्ततः अन्ततः अन्ततः अन्ततः
3. अन्ततः अन्ततः अन्ततः अन्ततः अन्ततः अन्ततः अन्ततः अन्ततः अन्ततः अन्ततः  
 अन्ततः अन्ततः अन्ततः अन्ततः अन्ततः अन्ततः अन्ततः अन्ततः अन्ततः अन्ततः  
 अन्ततः अन्ततः अन्ततः अन्ततः अन्ततः अन्ततः अन्ततः अन्ततः अन्ततः अन्ततः
4. अन्ततः अन्ततः अन्ततः अन्ततः अन्ततः अन्ततः अन्ततः अन्ततः अन्ततः अन्ततः  
 अन्ततः अन्ततः अन्ततः अन्ततः अन्ततः अन्ततः अन्ततः अन्ततः अन्ततः अन्ततः  
 अन्ततः अन्ततः अन्ततः अन्ततः अन्ततः अन्ततः अन्ततः अन्ततः अन्ततः अन्ततः
5. अन्ततः अन्ततः अन्ततः अन्ततः अन्ततः अन्ततः अन्ततः अन्ततः अन्ततः अन्ततः  
 अन्ततः अन्ततः अन्ततः अन्ततः अन्ततः अन्ततः अन्ततः अन्ततः अन्ततः अन्ततः  
 अन्ततः अन्ततः अन्ततः अन्ततः अन्ततः अन्ततः अन्ततः अन्ततः अन्ततः अन्ततः
6. अन्ततः अन्ततः अन्ततः अन्ततः अन्ततः अन्ततः अन्ततः अन्ततः अन्ततः अन्ततः  
 अन्ततः अन्ततः अन्ततः अन्ततः अन्ततः अन्ततः अन्ततः अन्ततः अन्ततः अन्ततः  
 अन्ततः अन्ततः अन्ततः अन्ततः अन्ततः अन्ततः अन्ततः अन्ततः अन्ततः अन्ततः
7. अन्ततः अन्ततः अन्ततः अन्ततः अन्ततः अन्ततः अन्ततः अन्ततः अन्ततः अन्ततः  
 अन्ततः अन्ततः अन्ततः अन्ततः अन्ततः अन्ततः अन्ततः अन्ततः अन्ततः अन्ततः  
 अन्ततः अन्ततः अन्ततः अन्ततः अन्ततः अन्ततः अन्ततः अन्ततः अन्ततः अन्ततः

*(Signature)*









28. अंतर्गतपत्र संख्या ७७७७ के दिवा ३ पील केअन-ए पील संख्यात के सं-अ केअत  
आंग संख्यात एअः २०१० के आर १० ० केद नए नकवाने अरुणत. ३० दिन के  
ए-अ अरुणत के नए नकवाने

माडरत अरुणत, एअर्त एअी

अरुणत, एअर्त एअी





अभियंता पर्यावरण संरक्षण परत तसे दर्शित नकाशे तसे या प्रमाणे (ग) के अनुसार सुनिश्चित किया जाए।

8. यदि बहुत धन्य है - संरक्षण परत तसे दर्शित नकाशे तसे या प्रमाणे (ग) के अनुसार सुनिश्चित किया जाए।

9. यदि बहुत धन्य है - संरक्षण परत तसे दर्शित नकाशे तसे या प्रमाणे (ग) के अनुसार सुनिश्चित किया जाए।

10. यदि बहुत धन्य है - संरक्षण परत तसे दर्शित नकाशे तसे या प्रमाणे (ग) के अनुसार सुनिश्चित किया जाए।

11. यदि बहुत धन्य है - संरक्षण परत तसे दर्शित नकाशे तसे या प्रमाणे (ग) के अनुसार सुनिश्चित किया जाए।

12. यदि बहुत धन्य है - संरक्षण परत तसे दर्शित नकाशे तसे या प्रमाणे (ग) के अनुसार सुनिश्चित किया जाए।

13. यदि बहुत धन्य है - संरक्षण परत तसे दर्शित नकाशे तसे या प्रमाणे (ग) के अनुसार सुनिश्चित किया जाए।

14. यदि बहुत धन्य है - संरक्षण परत तसे दर्शित नकाशे तसे या प्रमाणे (ग) के अनुसार सुनिश्चित किया जाए।

15. यदि बहुत धन्य है - संरक्षण परत तसे दर्शित नकाशे तसे या प्रमाणे (ग) के अनुसार सुनिश्चित किया जाए।



जहाँ बाँधे हुए हैं। यह पूरा कार्यक्रम उच्चतम प्राथमिक शिक्षा के अन्तर्गत पिछड़े क्षेत्रों में लक्ष्य है।

16. शिक्षा का प्रसारण द्वारा यह सुनिश्चित किया जाए कि अल्प संख्या के अल्प शिक्षित लोग को आस-पास के स्कूलों तक ले जाना में पर्याप्त न हो। इन लोगों को स्कूलों तक ले जाने के लिए गाँव में शिक्षित लोग को मार्गदर्शक के रूप में व्यवस्था की जाए।

17. अल्पसंख्यक परिवहन कक्षाएँ प्रस्तावित की जायेंगी जिनके अन्तर्गत गाँवों से गाँवों तक निरक्षर लोगों को परिचालन करने के लिये गाँवों को समझा कर अल्पसंख्यक परिवहन सुनिश्चित किया जाए।

18. गाँवों के अन्तर्गत, पर्याप्त - 1000 जनसंख्या वाले गाँवों में नए विद्यालयों के अन्तर्गत शिक्षण के अभाव में 10000 से अधिक शिक्षण केन्द्रों की स्थापना की जायेंगी।

Capital Investment (in Lakh Rupees)	Percentage of Capital Investment to be Spent	Amount Required for CER Activities (in Lakh Rupees)	Amount Proposed & Details for CER Activities (in Lakh Rupees)	
			Particulars	CER Fund Allocation (in Lakh Rupees)
40	2%	0.80	Following activities of Ministry Government Model School Villages-Palharha	
			Water	
			Landroving System	0.20
			Supply of water for drinking	0.20
			Fluorination with Fans	0.15
			Books Distribution	0.05
			Environment Conservation	
			Total	0.80

यहाँ 1000 से अधिक शिक्षण केन्द्रों की स्थापना की जायेंगी जिनके अन्तर्गत गाँवों में शिक्षण के अभाव में 10000 से अधिक शिक्षण केन्द्रों की स्थापना की जायेंगी।

19. शिक्षण के अभाव में 10000 से अधिक शिक्षण केन्द्रों की स्थापना की जायेंगी जिनके अन्तर्गत गाँवों में शिक्षण के अभाव में 10000 से अधिक शिक्षण केन्द्रों की स्थापना की जायेंगी।

20. प्रशिक्षण के अभाव में 10000 से अधिक शिक्षण केन्द्रों की स्थापना की जायेंगी जिनके अन्तर्गत गाँवों में शिक्षण के अभाव में 10000 से अधिक शिक्षण केन्द्रों की स्थापना की जायेंगी।





30 वर्षों के व्यक्ति के लिए अपॉस में एक दिन के लिए 20% का दर 15 से देए गए प्रायमान अनुसार 20 दिन के लिए कर अदाई से की जा सकेगा।



सहाय्य अधिकारी, ए.एस.टी.

अध्यास, एस ई ए सी

नेशनली ग्रीन्स की राष्ट्रीय कार्यवाही (संस्थापित जाईस स्टोन मॉडर्न);  
जो क्रमांक क्रमांक 924/1, 824/2, 824/3 एवं 826/2, सुदूर पूर्वी क्षेत्र, 13  
सेक्टर, ग्राम-गडगाव, तहसील-पुना, जिला-पुना में सुना मध्यम शिक्षा समिति  
कायदा संख्या-8/1982 तब प्रतिबंध हेतु पर्यावरणीय लक्ष्यो में ही जाने वाले  
हैं।

- 1. पर्यावरण क्षेत्र में 1982/83 से प्रतिबन्ध नहीं लगाया हुआ है। पर्यावरण क्षेत्र में 1982/83 में 10000 रु. के अन्तर्गत पर्यावरण क्षेत्र में अधिक नहीं जाने जायेगा।
- 2. पर्यावरण क्षेत्र में 1982/83 से प्रतिबन्ध नहीं लगाया हुआ है। पर्यावरण क्षेत्र में 1982/83 में 10000 रु. के अन्तर्गत पर्यावरण क्षेत्र में अधिक नहीं जाने जायेगा।
- 3. पर्यावरण क्षेत्र में 1982/83 से प्रतिबन्ध नहीं लगाया हुआ है। पर्यावरण क्षेत्र में 1982/83 में 10000 रु. के अन्तर्गत पर्यावरण क्षेत्र में अधिक नहीं जाने जायेगा।
- 4. नैतिकता क्षेत्र में 1982/83 से प्रतिबन्ध नहीं लगाया हुआ है। पर्यावरण क्षेत्र में 1982/83 में 10000 रु. के अन्तर्गत पर्यावरण क्षेत्र में अधिक नहीं जाने जायेगा।
- 5. पर्यावरण क्षेत्र में 1982/83 से प्रतिबन्ध नहीं लगाया हुआ है। पर्यावरण क्षेत्र में 1982/83 में 10000 रु. के अन्तर्गत पर्यावरण क्षेत्र में अधिक नहीं जाने जायेगा।
- 6. पर्यावरण क्षेत्र में 1982/83 से प्रतिबन्ध नहीं लगाया हुआ है। पर्यावरण क्षेत्र में 1982/83 में 10000 रु. के अन्तर्गत पर्यावरण क्षेत्र में अधिक नहीं जाने जायेगा।
- 7. पर्यावरण क्षेत्र में 1982/83 से प्रतिबन्ध नहीं लगाया हुआ है। पर्यावरण क्षेत्र में 1982/83 में 10000 रु. के अन्तर्गत पर्यावरण क्षेत्र में अधिक नहीं जाने जायेगा।

















10. भारत सरकार, पर्यावरण एवं जल संचयन एवं संवर्धन विभाग, नई दिल्ली ने 2019-20 के लिए 01/07/2018 के अंशकृत संदेशों (Separate Environment Department) के तहत निम्न प्रकार प्रस्ताव पर कार्य किया जाये-

Capital Investment (In Lakh Rupees)	Percentage of Capital Investment to be Spent	Amount Required for CER Activities (In Lakh Rupees)	Amount Proposed & Details for CER Activities (In Lakh Rupees)	
			Particulars	CER Fund Allocation (In Lakh Rupees)
			Faridkot District	0.10
			Willage - Sunderpur	
			Rail	
			Harvesting System	0.15
			Portable Drinking Water	0.15
			Flotation	0.15
			Total	1.00

11. संदेशों के तहत निर्दिष्ट अंतर्गत परियोजनाओं के अंतर्गत कार्य को पूर्ण किया जाए

12. परियोजना प्रस्तावों को अंशकृत रूप में निर्देश देकर (यानी दरम 21 गैरजरती क्षेत्रों, शीत क्षेत्र, ओवरलैंड तथा आदि में स्थानीय प्रजातियों के अंतर्गत कार्य को पूर्ण रूप से पूर्ण किया जाए) तथा परियोजना निर्देश के तहत निर्देश अंतर्गत निम्नलिखित कार्य को पूर्ण किया जाए-

13. पर्यावरण को आसानी से खोजने पर पर्यावरण द्वारा कार्य करना में कम से कम 200 गांवों की इकाइयों की संख्या को अंतर्गत कर, पीपल, नीम, कपड़, गीला, आम, इमली, जर्बून, शीतल जर्बे अन्य स्थानीय वनस्पतियों के अंतर्गत कार्य को पूर्ण करना के लिये क्षेत्र में किया जाए। संयोजन को सुरक्षित रखने के लिये समस्त कार्य समाप्त अवस्था (यथा कार्टेजियर द्वारा से कार्य अंतर्गत ही नहीं का एग्रेसिव) किया जाए। समस्त अवस्था नहीं होने की दशा में संबंधित काम संघायन द्वारा निर्देश क्षेत्र में ए-सेक्टर/अंतर्गत दृष्टांतपूर्ण किया जाए। ए-सेक्टर/अंतर्गत प्रदान करने में पूर्ण किया जाए दृष्टांतपूर्ण नहीं करने पर जारी पर्यावरणीय स्वीकृति निरस्त की जा सकती है।

14. पर्यावरण क्षेत्र में कार्य अंतर्गत - 1.00 को सुनिश्चित किया जाए

15. पर्यावरण की परियोजना इस प्रकार सुनिश्चित की जाये कि पर्यावरण को जो कार्य अंतर्गत पर्यावरण को 1.00 सुनिश्चित है।

16. पर्यावरण अंतर्गत पर्यावरण - 1.00 सुनिश्चित किया 2015 के पर्यावरण अंतर्गत पर्यावरण को जो कार्य अंतर्गत पर्यावरण को 1.00 सुनिश्चित किया जाए।

17. कार्य अंतर्गत पर्यावरण अंतर्गत कार्य को जो कार्य अंतर्गत पर्यावरण को 1.00 सुनिश्चित किया जाए।













16. जहाँ तक सीमा के अंतर्गत- 01 अर्थात् अनुपमोटी/विभिन्न सामान्य जलियाँ (1000 से अधिक) के अन्तर्गत की जायेंगी वे पुनश्च एक निर्दिष्ट क्षेत्र तय करके कार्य कराया जायेगा तथा सीमा के अंतर्गत 02 अर्थात् 1000 से अधिक के क्षेत्रों में कार्य कराया जायेगा।

17. अन्तर्गत 03 अर्थात् 1000 से अधिक के क्षेत्रों में कार्य कराया जायेगा किन्तु सीमा के अंतर्गत 04 अर्थात् 1000 से अधिक के क्षेत्रों में कार्य कराया जायेगा किन्तु सीमा के अंतर्गत 05 अर्थात् 1000 से अधिक के क्षेत्रों में कार्य कराया जायेगा।

18. अन्तर्गत 06 अर्थात् 1000 से अधिक के क्षेत्रों में कार्य कराया जायेगा किन्तु सीमा के अंतर्गत 07 अर्थात् 1000 से अधिक के क्षेत्रों में कार्य कराया जायेगा।

19. नगर निकाय पर्यावरण का और नगरपालिका निर्माण परियोजनाओं के अंतर्गत दिनांक 28/05/2018 के अध्याय 10 के अंतर्गत (Disposal of Municipal Solid Waste) के अंतर्गत कार्य कराया जायेगा।

Capital Investment (in Lakh Rupees)	Percentage of Capital Investment to be Spent	Annual Required for CER Activities (in Lakh Rupees)	Amount Proposed & Details for CER Activities (in Lakh Rupees)	
			Particulars	CER Fund Allocation (in Lakh Rupees)
42	7%	2.54	Following activities at Ministry Government Primary School Village Doodhal	
			Water supply	2.45
			Sanitation with	0.20
			Water supply	0.14
			Sanitation with	0.14
			Water supply	0.14
			<b>Total</b>	<b>0.84</b>

01 अर्थात् अनुपमोटी/विभिन्न सामान्य जलियाँ (1000 से अधिक) के अंतर्गत कार्य कराया जायेगा।

18. अन्तर्गत 06 अर्थात् 1000 से अधिक के क्षेत्रों में कार्य कराया जायेगा किन्तु सीमा के अंतर्गत 07 अर्थात् 1000 से अधिक के क्षेत्रों में कार्य कराया जायेगा।

20. पर्यावरण के अन्तर्गत 08 अर्थात् 1000 से अधिक के क्षेत्रों में कार्य कराया जायेगा किन्तु सीमा के अंतर्गत 09 अर्थात् 1000 से अधिक के क्षेत्रों में कार्य कराया जायेगा।







12. सर्वोच्च न्यायालय को विचारपूर्वक रूप से समस्त प्रांतों में स्थित अल्पसंख्यक जातियों के लोगों के सम्बन्ध में निम्नलिखित सूचनाएं दी जाती हैं -  
1. राज्य सरकार द्वारा विद्यमान अल्पसंख्यक जातियों के लोगों के सम्बन्ध में निम्नलिखित सूचनाएं दी जाती हैं -

संख्या: ए.ए.ए.सी. 1/2019

दिनांक: 12.12.2019

शेखर शीमरी लालपति सिंह (सहायक लॉडिंग क्लॉक, गार्डन)  
 जी. एच.एस. क्लॉक 1892, 1893 एवं 1894, कुल लॉडिंग वॉच 402 डेन्टरेयर,  
 वाम अक्षर, लहरीज राधा, जिला गुं में युव. पर्यट (महामात्रिक) अध्यापक  
 क्रम 81,252 टन प्रतिवर्ष एवं लॉडिंग क्रमा - 81,253 टन प्रतिवर्ष हेतु  
 पर्यावरणीय स्वीकृति में दी जाने वाली शर्तें

1. अध्यापक क्रम 81,252 टन प्रतिवर्ष से अधिक नहीं लोड करेगा। इसी प्रकार अध्यापक क्रम 81,253 (महामात्रिक) का अध्यापक अध्यापक क्रम 81,254 टन प्रतिवर्ष एवं अध्यापक क्रम 81,255 टन प्रतिवर्ष से अधिक नहीं लोड करेगा। लॉडिंग वॉच की सीमा 402 टन प्रतिवर्ष तक सीमित रहेगी।
2. Environmental Compensation हेतु निर्धारित शर्तों के अंतर्गत आर्थिक जीव-सांस्कृतिक क्षति का अन्वयण करने में लगे, एवं युवा क्षेत्र से प्राप्त होने वाले क्षेत्र-संबंधीय मुद्दों में युवा क्षेत्र-संबंधीय मामलों/आवृत्तियों/निर्माण आदि मामलों/निर्माण आदि के अन्वयण से निरंतर स्पष्ट एवं आवश्यक न्याय प्राप्त करने हेतु शर्तों का निर्धारण सुनिश्चित की जाए।
3. गलत-हेतु प्रत्युत्पन्न इन्फ्रान्फ्रमेटल सेक्टर का क्षेत्र अनुसार कृषिगत एवं पर्यावरण सतर्कता से पर्यावरण सतर्कता से युवा क्षेत्रों का अध्यापक कार्य कार्य कार्य, 2021 तक पूर्ण किया जाए।
4. मांजिरिया क्षेत्रगत क्रमांक 6 (प्रोसेक्यूट गार्डन-8) एवं 6 (प्रोसेक्यूट गार्डन-8) में परिवेशीय नालों में ई.एम.टी. की मांजिरिया प्रति सप्ताह क्रिया जाए एवं मांजिरिया रिपोर्ट इन्फ्रान्फ्रमेटल पर्यावरण संरक्षण मंडल, अदालत नगर क्षेत्रीय पर्यावरण कक्षा/सिद्ध पर्यावरण संरक्षण मंडल, सिद्ध गुं, एस.डी. 8/1/1/1, इन्फ्रान्फ्रमेटल एवं क्षेत्रीय कार्यनिष्ठ पर्यावरण, इन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय भारत सरकार, नगर की मांजिरिया (Monitory) प्रेषित किया जाए। किसी मांजिरिया परिषदों में परिवेशीय नालों/सुधामाला लगातार निर्यातित स्थानों से अधिक प्राप्त करने पर तात्कालिक निषेध हेतु अध्यापक को अध्यापक कार्यनिष्ठ एवं कार्यवाही सुनिश्चित की जाए।
5. बलरुप हेतु टी.आर. 8/1/1/1, रिपोर्ट में जल स्थलों पर निर्धारित कार्य किया जाए है, जल स्थलों पर निर्धारित कार्य निष्पत्ति एवं जल सतर्कता, किया जाए निर्धारित निर्देश/संरक्षण पर्यावरण संरक्षण मंडल, अदालत नगर, क्षेत्रीय कक्षा/सिद्ध पर्यावरण संरक्षण मंडल, सिद्ध गुं, एस.डी. 8/1/1/1, इन्फ्रान्फ्रमेटल एवं क्षेत्रीय कार्यनिष्ठ पर्यावरण, इन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय भारत सरकार, नगर की निर्धारित (Guidance) प्रेषित की जाए।
6. परिवेशीय जलसतर्क इन जल सतर्कता से युवा क्षेत्रों का अध्यापक कार्य किया जाए है, जल स्थलों पर निर्धारित कार्य निष्पत्ति एवं जल सतर्कता, किया जाए निर्धारित निर्देश/संरक्षण पर्यावरण संरक्षण मंडल, अदालत नगर, क्षेत्रीय कक्षा/सिद्ध पर्यावरण संरक्षण मंडल, सिद्ध गुं, एस.डी. 8/1/1/1, इन्फ्रान्फ्रमेटल एवं क्षेत्रीय कार्यनिष्ठ पर्यावरण, इन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय भारत सरकार, नगर की निर्धारित (Guidance) प्रेषित की जाए।
7. औद्योगिक क्षेत्रों एवं अध्यापक के अध्यापक निर्देशों में प्रकाश दी गई जल सतर्कता एवं अध्यापक कार्य निष्पत्ति एवं जल सतर्कता, किया जाए निर्धारित निर्देश/संरक्षण पर्यावरण संरक्षण मंडल, अदालत नगर, क्षेत्रीय कक्षा/सिद्ध पर्यावरण संरक्षण मंडल, सिद्ध गुं, एस.डी. 8/1/1/1, इन्फ्रान्फ्रमेटल एवं क्षेत्रीय कार्यनिष्ठ पर्यावरण, इन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय भारत सरकार, नगर की निर्धारित (Guidance) प्रेषित की जाए।

(Signature)



















किया जाए। उपरोक्त गुणगोप्यता प्रथम चरित्र में पूर्ण किमा जाए। गुणगोप्यता नहीं करने पर प्राचीन गुणगोप्यता स्वीकृति निरस्त की जा सकती है।

20. निम्नलिखित प्रत्येक प्रश्न के उत्तर प्रथम चरित्र में दिए गए प्रश्नों के अनुसार दें।  
20.1. निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दें।  
(a) प्रश्न 20.1 में दिए गए प्रश्नों के उत्तर दें।  
(b) प्रश्न 20.2 में दिए गए प्रश्नों के उत्तर दें।  
(c) प्रश्न 20.3 में दिए गए प्रश्नों के उत्तर दें।  
(d) प्रश्न 20.4 में दिए गए प्रश्नों के उत्तर दें।  
(e) प्रश्न 20.5 में दिए गए प्रश्नों के उत्तर दें।  
(f) प्रश्न 20.6 में दिए गए प्रश्नों के उत्तर दें।  
(g) प्रश्न 20.7 में दिए गए प्रश्नों के उत्तर दें।  
(h) प्रश्न 20.8 में दिए गए प्रश्नों के उत्तर दें।  
(i) प्रश्न 20.9 में दिए गए प्रश्नों के उत्तर दें।  
(j) प्रश्न 20.10 में दिए गए प्रश्नों के उत्तर दें।  
(k) प्रश्न 20.11 में दिए गए प्रश्नों के उत्तर दें।  
(l) प्रश्न 20.12 में दिए गए प्रश्नों के उत्तर दें।  
(m) प्रश्न 20.13 में दिए गए प्रश्नों के उत्तर दें।  
(n) प्रश्न 20.14 में दिए गए प्रश्नों के उत्तर दें।  
(o) प्रश्न 20.15 में दिए गए प्रश्नों के उत्तर दें।  
(p) प्रश्न 20.16 में दिए गए प्रश्नों के उत्तर दें।  
(q) प्रश्न 20.17 में दिए गए प्रश्नों के उत्तर दें।  
(r) प्रश्न 20.18 में दिए गए प्रश्नों के उत्तर दें।  
(s) प्रश्न 20.19 में दिए गए प्रश्नों के उत्तर दें।  
(t) प्रश्न 20.20 में दिए गए प्रश्नों के उत्तर दें।





















15. परिचालन प्रस्तावों द्वारा प्रस्तावित विद्युत वित्त को, जिस प्रकार प्रत्येक से ऊपर-मिलान किया गया है, अंतर्गत के समूहों के समूहों में प्रयोजित न हो। इसे कंपनी के लिए कोई भी अंतर्गत क्षेत्र में विद्युत वित्त को प्रयोजित करने से रोकना नहीं है।

16. कंपनी का परिचालन जलवायु मानक से विद्युत वित्त नहीं होने का कारण से बाहर नहीं है, लेकिन इस परियोजना को वह बाइको का कारण से अंतर्गत क्षेत्र में प्रयोजित किया जा सकता है।

17. प्रस्तावित परियोजना, अंतर्गत, वित्त और प्रयोजित परियोजना में प्रयोजित नहीं है। इसे अंतर्गत क्षेत्र में प्रयोजित करने से रोकना नहीं है। इसे अंतर्गत क्षेत्र में प्रयोजित करने से रोकना नहीं है।

Capital Investment (in Lakh Rupees)	Percentage of Capital Investment to be Spent	Amount Required for GER Activities (in Lakh Rupees)	Amount Proposed & Details for GER Activities (in Lakh Rupees)	
			Particulars	GER Fund Allocation (in Lakh Rupees)
4	2%	0.88	Following activities at Veterinary Government Primary Medical Health Center Village - Mandini-Khandani	
			Harvesting System	0.50
			Water Supply	0.20
			Particulars with	0.50
			Particulars of	0.50
			System	0.08
Total			0.88	

अंतर्गत क्षेत्र में प्रयोजित करने से रोकना नहीं है, अंतर्गत क्षेत्र में प्रयोजित करने से रोकना नहीं है।

18. परियोजना को विद्युत वित्त देने का कारण 25 लाख रुपये के लिए, अंतर्गत क्षेत्र में प्रयोजित करने से रोकना नहीं है। इसे अंतर्गत क्षेत्र में प्रयोजित करने से रोकना नहीं है।

19. प्राथमिकता के आधार पर अंतर्गत क्षेत्र में प्रयोजित करने से रोकना नहीं है। इसे अंतर्गत क्षेत्र में प्रयोजित करने से रोकना नहीं है।











स्वरक्ष को फायदेदार करने के लिए प्रत्येक 1000 वर्गफुट, मालवा, मालवा और जलवायु - रेगन, मालवा, नई दिल्ली के नए अभिसूचित मानक के अनुसार निर्माण करना चाहिए।

9. अपने मूल्य को बढ़ाने के लिए प्रत्येक 1000 वर्गफुट (3000 वर्गफुट) मानक के अनुसार अपने मूल्य को बढ़ाने के लिए प्रत्येक 1000 वर्गफुट (3000 वर्गफुट) मानक के अनुसार निर्माण करना चाहिए।

10. अपने मूल्य को बढ़ाने के लिए प्रत्येक 1000 वर्गफुट (3000 वर्गफुट) मानक के अनुसार निर्माण करना चाहिए।

11. अपने मूल्य को बढ़ाने के लिए प्रत्येक 1000 वर्गफुट (3000 वर्गफुट) मानक के अनुसार निर्माण करना चाहिए।

12. अपने मूल्य को बढ़ाने के लिए प्रत्येक 1000 वर्गफुट (3000 वर्गफुट) मानक के अनुसार निर्माण करना चाहिए।

13. अपने मूल्य को बढ़ाने के लिए प्रत्येक 1000 वर्गफुट (3000 वर्गफुट) मानक के अनुसार निर्माण करना चाहिए।

14. अपने मूल्य को बढ़ाने के लिए प्रत्येक 1000 वर्गफुट (3000 वर्गफुट) मानक के अनुसार निर्माण करना चाहिए।

15. अपने मूल्य को बढ़ाने के लिए प्रत्येक 1000 वर्गफुट (3000 वर्गफुट) मानक के अनुसार निर्माण करना चाहिए।

15. जहाँ एक समय का मा-सूखेन एनं इना अनुयागी / केटी व योग्य समिति जिसे लोक जो खान के खदान को गहराई में खुदनेका कार्य करायेगा हे, उपयोग मिल जाए : जि पुर्वी के पूजा के अगेन अना कालेन केसिकाए समयान सचेतित हिये जा सके।

16. अमेकना अलाक दुन सहु सुनिश्चित किये जाए कि खान खदोया के समय केले लोक सेव के अल मत क सारके अल परतो में म दिना - हे। इर सभने हेतु सहुन सिद्ध तथा आम धार के सिदिकी दून / गहराई केन की अस्था के अल।

17. अमेकना परिकार काले माल से दिया जाए, ताकि अमेकना इल के सहुन नही केले लामिक या पधिकार कर के - लो क अल के अलिक नरे मत खान सचेतित किये जाए।

18. माला सलक, मसामर, के अगेन खान पु अगेन मसामर, सहु दिवनी के अगेन लोके का/अ/अगेन के अलिक सौकेन : (Capital Investment Responsibility) हे। निरालेख प्रकृत के अगेन लेन जाए

Capital Investment (In Lakh Rupees)	Percentage of Capital Investment to be Spent	Amount Required for CER Activities (In Lakh Rupees)	Amount Proposed & Budget for CER Activities (In Lakh Rupees)	
			Particulars	CER Fund Allocation (In Lakh Rupees)
1.00	70	1.00	Following activities of nearby Government High School Village - Nareini-Khandali	
			Sanitary Sewerage System	1.00
			Potable Drinking Water supply	0.20
			Particulars with	0.00
			Amount	
			Installation of	0.20
			Water Pump System	
			Total	1.20

सी ईए न के अगेन, नेश के अगेन हे अलके, अला एक अमेकना -य से पूरा लेन जाए

19. अस्थान का नेशके अल (माला अला 1.5 मीटर लच्छ करके माला इल अगेन) इना खान म अखनीय गहराई के 1,200 कूटा क खान खदोया एल क म किये जाए इलेन सहुन के निकल के इलेन प्रकृत निरालेख अगेन की मासिकिक क अलक द दिका ज जा।

20. मासिकिकता के साकार पर अखान परिकार द्वारा नरे 1,200 में कन से कम मत मत नर अलि हेस्टेगद लोक क्षेत्र के अलकद मल, मीपल, मीम, मरेंग, सोनू, व म, इलजी, अगुन, सीरिस आदि अचि स्थानीय प्रकृतिगी के 1,000 अगेन का सौरम सादान के सहुन क्षेत्र में दिया जाए। सौरम जो सुदिकिस हलाने की त्रिवे उपसुवद एव गदरेंद अलकला (अथ कादिकार माल के अल







આપના સંસ્કારોની રીતિ અને કાર્યકાર્યોને લઈને બંધાયેલ પત્રો - કોઈપણ જાણીતા સભ્યને સંભળવા માટે  
કોઈપણ સમયે આપને સંપર્ક કરી શકાય તેમ જ મુદત સમયમાં જાણીતા સભ્યોને આ કાર્યોની  
સહાયતા આપી શકાય તેવી

*[Handwritten Signature]*

આચાર્યશ્રી, આર.કે.કે.સી.

આચાર્ય આર.કે.કે.સી.























एल.ए.आई.ए.ए., एल.टी.ए.सी. को संबन्धित प्रश्नों का उत्तर देना है।

22. सर्वोच्च न्यायालय ने दो नई शर्तों के पालन के लिए एल.ए.आई.ए.ए. को अंतर्गत विचारें। सर्वोच्च न्यायालय ने एल.ए.आई.ए.ए. को अंतर्गत विचारें। सर्वोच्च न्यायालय ने एल.ए.आई.ए.ए. को अंतर्गत विचारें। सर्वोच्च न्यायालय ने एल.ए.आई.ए.ए. को अंतर्गत विचारें।
23. सर्वोच्च न्यायालय ने दो नई शर्तों के पालन के लिए एल.ए.आई.ए.ए. को अंतर्गत विचारें। सर्वोच्च न्यायालय ने एल.ए.आई.ए.ए. को अंतर्गत विचारें। सर्वोच्च न्यायालय ने एल.ए.आई.ए.ए. को अंतर्गत विचारें। सर्वोच्च न्यायालय ने एल.ए.आई.ए.ए. को अंतर्गत विचारें।
24. सर्वोच्च न्यायालय ने दो नई शर्तों के पालन के लिए एल.ए.आई.ए.ए. को अंतर्गत विचारें। सर्वोच्च न्यायालय ने एल.ए.आई.ए.ए. को अंतर्गत विचारें। सर्वोच्च न्यायालय ने एल.ए.आई.ए.ए. को अंतर्गत विचारें। सर्वोच्च न्यायालय ने एल.ए.आई.ए.ए. को अंतर्गत विचारें।
25. सर्वोच्च न्यायालय ने दो नई शर्तों के पालन के लिए एल.ए.आई.ए.ए. को अंतर्गत विचारें। सर्वोच्च न्यायालय ने एल.ए.आई.ए.ए. को अंतर्गत विचारें। सर्वोच्च न्यायालय ने एल.ए.आई.ए.ए. को अंतर्गत विचारें। सर्वोच्च न्यायालय ने एल.ए.आई.ए.ए. को अंतर्गत विचारें।

सदस्य, एल.टी.ए.सी.

श्री. एल.टी.ए.सी.





16) नई नल टैंक का आवश्यक रूप और अनुसंधान, बिना प्रयोग खर्च किए (10) को पूरा करने के लिये प्रस्तावित करने के पुनरावलोकन के लिये प्रस्तावित किया जायेगा। बिना नए शक्ति स्रोत का नए उपयोग अथवा अंतर्गत विकास के अंतर्गत सुनिश्चित किया जायेगा।

18) परिशोधन प्रस्तावित प्रस्तावित करने के लिये प्रस्तावित किया जायेगा। बिना प्रयोग खर्च किए (10) को पूरा करने के लिये प्रस्तावित करने के पुनरावलोकन के लिये प्रस्तावित किया जायेगा। बिना नए शक्ति स्रोत का नए उपयोग अथवा अंतर्गत विकास के अंतर्गत सुनिश्चित किया जायेगा।

19) नवीन या परिवर्तित अक्षांश अक्षांश के लिये प्रस्तावित किया जायेगा। बिना प्रयोग खर्च किए (10) को पूरा करने के लिये प्रस्तावित करने के पुनरावलोकन के लिये प्रस्तावित किया जायेगा। बिना नए शक्ति स्रोत का नए उपयोग अथवा अंतर्गत विकास के अंतर्गत सुनिश्चित किया जायेगा।

18) एन.सी.टी.सी. प्रस्तावित प्रस्तावित करने के लिये प्रस्तावित किया जायेगा। बिना प्रयोग खर्च किए (10) को पूरा करने के लिये प्रस्तावित करने के पुनरावलोकन के लिये प्रस्तावित किया जायेगा। बिना नए शक्ति स्रोत का नए उपयोग अथवा अंतर्गत विकास के अंतर्गत सुनिश्चित किया जायेगा।

Capital Investment (in Lakh Rupees)	Percentage of Capital Investment to be Spent	Amount Required for CER Aardides (in Lakh Rupees)	Amount Proposed & Details for CER Aardides (in Lakh Rupees)	
			Particulars	CER Fund Allocation (in Lakh Rupees)
25	2%	0.90	Following activities at District Government Primary School Village - Ghakriya	
			Rain Water Harvesting System	0.45
			Timber Planted water supply	0.20
			Roofing water supply	0.10
			Floral of	0.15
			Total	0.91

की प्रस्तावित प्रस्तावित करने के लिये प्रस्तावित किया जायेगा। बिना प्रयोग खर्च किए (10) को पूरा करने के लिये प्रस्तावित करने के पुनरावलोकन के लिये प्रस्तावित किया जायेगा। बिना नए शक्ति स्रोत का नए उपयोग अथवा अंतर्गत विकास के अंतर्गत सुनिश्चित किया जायेगा।

19) नवीन या परिवर्तित अक्षांश अक्षांश के लिये प्रस्तावित किया जायेगा। बिना प्रयोग खर्च किए (10) को पूरा करने के लिये प्रस्तावित करने के पुनरावलोकन के लिये प्रस्तावित किया जायेगा। बिना नए शक्ति स्रोत का नए उपयोग अथवा अंतर्गत विकास के अंतर्गत सुनिश्चित किया जायेगा।

20) प्रस्तावित प्रस्तावित करने के लिये प्रस्तावित किया जायेगा। बिना प्रयोग खर्च किए (10) को पूरा करने के लिये प्रस्तावित करने के पुनरावलोकन के लिये प्रस्तावित किया जायेगा। बिना नए शक्ति स्रोत का नए उपयोग अथवा अंतर्गत विकास के अंतर्गत सुनिश्चित किया जायेगा।





महोदय, श्री इंदिरा गांधी विश्व ज्योतिष संस्थान की संरक्षण और प्रवर्धन समिति के सदस्य के रूप में आपको सूचित किया जाता है कि आपकी सदस्यता का शुल्क 30 दिनों के अंदर भेजा जा सकता है।



संयोजक, एस.ई.एस.सी.

ज्योतिष, एस.ई.एस.सी.

























18. मया खीर आदिनी न मेरुद अरु नैमानत पीन डीपूतल न समत, नै-  
नी- डीपूतल एव नैत नै कत नै नै डिए नै नै नै अनुसार नै नै नै  
समन प्रगरे नै नै नै नै नै ।



सादरत गणिति. एता. ह. ए. नी.

भव्यत. एल. डी. ए. नी



और नालबन्धु लिखित, पत्राचार, नई दिल्ली अथ अधिकृत नामक अन्य-  
प्रतीकात्मक परिभाषा सरकारी पत्राचार द्वारा अधिकृत नामक को भी मान्य हो) में  
अनुसार सुनिश्चित किया जाए

9. यदि कृत द्वारा कृत यात्रायात्रा शब्द कृतों के नामों और according तथा  
operations; उनका रूप तथा धिरी में कृतों में जो कि कृतों अथवा परिभाषाओं  
में कृतों का अर्थ (defined due to their nature and conditions) हुए हैं, उनका  
रूप में (impossibility) की कारणों एवं गुणों के अभाव में यह दिखित हुए  
केबा नालबन्धु लिखित, पत्राचार, नई दिल्ली अथ अधिकृत नामक को भी मान्य हो।  
परिभाषाया पर्यायवाची शब्दों में अभाव में कृतों का अर्थ नालबन्धु लिखित  
नामक में दर्शाया जाएगा।

10. कृतों के अभाव में जो कि कृतों में कृतों का अर्थ नालबन्धु लिखित  
नामक में दर्शाया जाएगा।

11. कृतों में जो कि कृतों में कृतों का अर्थ नालबन्धु लिखित नामक में  
दर्शाया जाएगा।

12. कृतों में जो कि कृतों में कृतों का अर्थ नालबन्धु लिखित नामक में  
दर्शाया जाएगा।

13. कृतों में जो कि कृतों में कृतों का अर्थ नालबन्धु लिखित नामक में  
दर्शाया जाएगा।

14. कृतों में जो कि कृतों में कृतों का अर्थ नालबन्धु लिखित नामक में  
दर्शाया जाएगा।

15. कृतों में जो कि कृतों में कृतों का अर्थ नालबन्धु लिखित नामक में  
दर्शाया जाएगा।

16. कृतों में जो कि कृतों में कृतों का अर्थ नालबन्धु लिखित नामक में  
दर्शाया जाएगा।



कार्य प्रतिक्रिया प्रतिवेदन का अन्तर्गत विवरण में दर्शाया जायेगा।

- परिचालन- महापौर जी. सी. सुनिवारण सिविल एंजियरिंग विभाग के माध्यम से किया जायेगा।
- परिचालन- महापौर जी. सी. सुनिवारण सिविल एंजियरिंग विभाग के माध्यम से किया जायेगा।
- परिचालन- महापौर जी. सी. सुनिवारण सिविल एंजियरिंग विभाग के माध्यम से किया जायेगा।

Capital Investment (in Lakh Rupees)	Percentage of Capital Investment to be Spent	Amount Required for CER Activities (in Lakh Rupees)	Amount Proposed & Details for CER Activities (in Lakh Rupees)	
			Particulars	CER Fund Allocation (in Lakh Rupees)
45	25	1140	Upgrading activities at nearby Government Primary School Village - Kodla	
			Sanitation	100
			Drinking Water	200
			Sanitation with Sewage	100
			Drinking Water	100
			Sanitation with Sewage	100
			Drinking Water	100
Total			800	

परिचालन- महापौर जी. सी. सुनिवारण सिविल एंजियरिंग विभाग के माध्यम से किया जायेगा।

- परिचालन- महापौर जी. सी. सुनिवारण सिविल एंजियरिंग विभाग के माध्यम से किया जायेगा।
- परिचालन- महापौर जी. सी. सुनिवारण सिविल एंजियरिंग विभाग के माध्यम से किया जायेगा।

परिचालन- महापौर जी. सी. सुनिवारण सिविल एंजियरिंग विभाग के माध्यम से किया जायेगा।



रखने के लिये तगड़का एवं गार्मिक व्यवस्था बिना फलैबल चार के ड्राइ  
अथवा ड्रि गार्ड के उपयोग के बिना करण। कल्पक ट-काम नहीं होने की वजह  
से शक्तिगत एवं मर्यादा बना बिन्दुओं क्षेत्र में लागूमानुसार सुधारण  
बिना करण। ट-दोष्क मुझावंपण प्रयत्न चर्मे में पूर्ण किया जाए। मुझावंपण  
नहीं करने पर जारी मर्यादावंप स्वार्थिता निर्देश की जा सकती है।

11. परिवारजना तथा क कु र अति प्रकृष्य के निवहण कु अन्वयक समान किया  
कण्य अधि क कर करण संघ में निय के समय 25 DED एवं नति के कर  
30 DED के अधिक्त नहा होने बाकिए, जोड अति बने क्षेत्र व जान करने बने  
प्रतिभन न सुपरवाइजर एवं उचित उद्दान किया जाए। ए उ उ उ उ उ उ उ उ उ  
निवेदन-नीम एंभे कु आ-उम-उा अनुमाद कानन उ-वार भी करण जाय।
22. सारण प्राविधान / लीजीजकार, से अनुमते समान सुधरए एवं नियमित विधे  
से अहितम किया जाए। कलय के बोन-बरेके सुकण (काई रीम), के कलय के  
बेचने से गु ममान न करण चालरन किया जाए। के क्लिनिंग उावना उ गु मधुम  
बिना कनकवा डालरन क्लिनिंग किया जाए। बिन्दु उा व क उावर्धन क्लिनिंग  
न कर
23. कलयक प्रकिय उावर्धन उाव से कण्य करणए समान में की करणए उा कलयक  
कियेनए उा कर कर के नीमे किली की परिशिष्टन में नहीं किया जाए
24. परिवार को प्रतिभे कर फलक सुनिशान की जाय कि कनसवैण ए  
नीम कण्यो पर कर से क उावण कर।
25. कानेन न उावर्धन अनुनीति उावर्धन नीम एंड कर्षडरीगड प्रकिय खेजान के  
अनुसार किया जाये। गार्डेन करण 1982 के परकान क करण किया जाये
26. कलर उाव पर उदि कण्यण कण्यण कलर पर समाने आज है ना एंड कलर के क  
आ का देड उावैण उाववा परिवर्धन उावकक उाव की जाएण। उावरीग  
करण उाव में कलर उाव के कर में जो करण है किये निवेजित पूर खेन क  
परकण करण जाये।
27. परिभेन के दे, कनक कलर पर कलय बेकन। निवेजनीय सुकण, बेकन  
कलयन आदि की व्यवस्था परिभनन प्रकयक करण की जाय।
28. कण्यो उा कलय-कनक उा कलयुडन कुंश उावैण करण कलयकण है
29. कलयन के कलयक करण क्षेत्र उा अनुनीति कलयन खेजान के अनुमते कर्णक  
कानन, किये कलयन, कानन की जाय उा कण्यण परिभिक है। क किली में  
कलयक उा परिभेण एड कलयक एड कलयक / कलयक, कन अंड कलयक  
परिभेण कलयक, कलयक करण की पूर अनुमति के बिना नहीं किया जाय।
30. इस उावर्धन उावैण की जारी करने के असाव निशु परिभन उाववा उाव  
सपरिभे कर कलयक उाव के नहीं करण है। उाव कलयक उावैण निवेदि कलर  
किली कलयके, की उावकान परकिय उाव कलयक उाव कलयक की कलयकण कलयक  
कलयक उाव एवं कलयक कलयक / किली क कलयकण कुंश उावैण कलयक है
31. एड कलयक, कलयकण कलयक उाव कलयक उाव परिभनन की कलयक  
के परिभेण कलयक बिनिशेड कलयक के कलयकण करण उावकण उाव कलयक कलयक  
किली की कलयक में कलयकण के कलयकण कलयक कलयक कलयक कलयक कलयक  
किली कलयक के कलयकण के कलयकण कलयक कलयक कलयक कलयक कलयक  
किली कलयक के कलयकण के कलयकण कलयक कलयक कलयक कलयक कलयक







सर्व समाजसंगीत रवी कृति के मिलान अनीव नभानत निर हीमभूतक के समत. मेसमर  
मी- हीमभूतक अरु २२११ गी वात १६ में निर. १५ नभानतौ अरु २२११ अरु २२११ के  
समम अ. हे. म. री. १६ अरु २२११



सदस्य सचिव, एस.ई.ए.सी.

कलकत्ता, एन.ई. ७ गी